खण्ड-193, अंक-5
बुधवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(19 मार्च, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 193 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १९ मार्च, १९५८ ई०

[विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य (३२५)

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ , श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनंद ब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईन्दी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजोतय ादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री

बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य श्री

रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्री निवास, श्री
श्रीपालसिंह कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १९ मार्च, १९५८ ई०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जुडिशियरी को प्रशासन विभाग से अलग रखने का सुझाव

**१--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में न्याय विभाग व शासन विभाग अलहदा-अलहदा चल रहे हैं, उन जिलों में जुडिशियल आफिसर जिला न्यायाधीश व हाईकोर्ट के अधीन हैं या नहीं ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--जी नहीं ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जुडिशियल अफसरों को जिला न्यायाधीश या हाईकोर्ट के अधीन करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--पैसे की कठिनाई सब से बड़ी है, और भी अनेकों हो सकती हैं। इससे ज्यादा इस वक्त नहीं बतला सकता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने पैसे की कठिनाई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर हाईकोर्ट के अधीन नहीं, तो किस के अधीन हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--शासन सम्बन्धी मामलों में तो वे सरकार के अधीन हैं, जिला मैजिस्ट्रेट के और अन्य मामलों में वे हाईकोर्ट के अधीन हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या जुडिशियल अफसर ऐडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी करते हैं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--साधारण तौर पर नहीं करते उनके नाम के साथ मैजिस्ट्रेट शब्द लगा हुआ है वह इस बात का प्रमाण है और जब उनकी नियुक्ति हुई थी उस वक्त जो आर्डर्स निकले थे उनसे भी यह बात जाहिर होती है कि अगर कोई स्पेशल अवस्था पैदा हो जाय तो उनसे मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी ली जा सकती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार भविष्य में इस बात की व्यवस्था करेगी कि यह जुडिशियल अफसर जिला मैजिस्ट्रेट के अधीन न रह कर हाईकोर्ट और सेशन जज के अधीन हों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सिवाय ऐसे मौकों के जबकि उनको कोई मैजिस्टीरियल ड्यूटी करनी पड़े, आज भी वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधीन नहीं हैं, इसलिये कि जहां पर ऐसा सेपरेशन हो गया है वहां जो ए०डी०एम०जे० होते हैं वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मातहत नहीं हैं, बल्कि वे कमिश्नर के मातहत हैं ।

देवरिया जिले में प्राइवेट भट्ठों के लिये कोयला देने का सुझाव

**२--श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--क्या सरकार के समक्ष कोई ऐसी योजना विचाराधीन है कि प्रदेश में जो लोग अपने निजी प्रयोग के लिये ईंटों का भट्ठा लगाना चाहें उनको भी कोयले की परमिट दी जाय ? यदि हां, तो देवरिया जिले के लिये बजट वर्ष १९५७-५८ में कितना वैगन कोयला इस कार्य के लिये रखा गया था ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--(अ) जी नहीं, ऐसी कोई विशेष योजना विचाराधीन नहीं है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने प्रयोग के लिये भट्ठा लगाना चाहता है और जिले में कोयला उपलब्ध हो सकता है तो इसके लिये परमिट देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ब) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामायण राय--पूर्ति अधिकारी का यह कथन कि ऐसे लोगों को परमिट केवल हाउसिंग और प्लानिंग कमेटियों की सिफारिश के बाद ही दिया जायगा, कहां तक सरकार के आदेशों और मंत्री जी के आश्वासन के अनुरूप होगा ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो परामर्श कमेटियां जिलों में बनी हुई हैं। वे सलाह देती हैं, लेकिन उसमें और बहुत-सी बातें सोचने की होती हैं और उनको सोच कर जिलाधीश परमिट देते हैं।

श्री रामायण राय--क्या जिलाधीश के आदेश के बाद भी ए, बी प्रकार के लाइसेंस के लोगों को भट्ठा लगाने के लिये कोयला नहीं दिया जा सका ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, कोयले के उपलब्ध होने में अगर कठिनाई पड़ती है तो बावजूद इसके कि कोयला उनको एलाट किया जाता है, नहीं दिया जा सकता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार के आदेश जिलाधीशों के पास मौजूद हैं कि सिर्फ बेसिक ईयर्स में ही भट्ठा चलाने वालों को कोयला दिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर--ब्रिक किल्न का कोयला उसका कारबार करने वालों को ही दिया जाता है। बाढ़ रिलीफ वगैरह के सिलसिले में कभी-कभी मजीद कोयला जिलों में भेजा जाता है। उसके मुताल्लिक उनको हिदायतें हैं कि अगर कोई अपनी इमारत के लिये भट्ठा लगाना चाहे तो उसे कोयला दिया जा सकता है।

श्री रामायण राय--पूर्ति अधिकारी का कहना है कि इस तरह के लोगों के लिये कोयला आता ही नहीं है और अन्य वर्षों में ऐसे लोगों को कोयला मिल रहा है। प्लानिंग आफिसर और उनके बीच में विवाद चल रहा है और अभी तक किसी को कोयला नहीं मिला है। क्या इस कठिनाई को मंत्री जी दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--जहां तक मैं समझता हूं ऐसे लोगों को वे कोयला नहीं देते। वजह यह नहीं है कि यहां से कोई उनको हिदायत है कि उनको कोयला न दिया जाय। बल्कि वे इसलिये नहीं देते हैं कि जिले में कोयला इतना कम होता है कि खाली भट्ठे वालों को ही पूरा नहीं पड़ता है। दूसरों को देने का सवाल तो बाद में आता है।

एसोशियेट इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स

****३--श्री रामसुन्दर पान्डेय** (जिला आजमगढ़)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन-कौन जिले हैं जिनमें जिला विद्यालय निरीक्षकों की संख्या २-२ है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--निम्नलिखित जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक के अतिरिक्त १-१ आफिसर और हैं जिसका पदनाम एसोशियेट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स हैं :--

१--कानपुर, २--लखनऊ, ३--इलाहाबाद, ४--वाराणसी, ५--बरेली, ६--आगरा, ७--मेरठ, ८--नैनीताल।

श्री रामसुन्दर पान्डेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन ८ जिलों में एसोशियेट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स रखने का कारण क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश---वहां शिक्षा संस्थायें और कार्य अधिक हैं ?

श्री रामसुन्दर पान्डेय---क्या यह सही है कि इन ८ जिलों के अलावा और भी जिले ऐसे हैं जहां शिक्षा संस्थायें इनसे अधिक हैं और वहां अतिरिक्त इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश---यह सही है, और भी जिले ऐसे हैं जहां शिक्षा संस्थायें काफी हैं और वहां आवश्यकता इस बात की पड़ सकती है कि कोई दूसरा अधिकारी हो। नैनीताल में विशेष परिस्थिति यह है कि वहां इंग्लिश स्कूलों का काम भी उनके सुपुर्द है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि और जिलों मे जहां शिक्षा संस्थायें इन ८ जिलों से अधिक हैं और वहां डिग्री कालेज भी हैं, तो वहां अतिरिक्त इंसपेक्टर न रखने का क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---खर्चा बहुत बढ़ जायगा । आवश्यकता होते हुये भी स्टाफ नहीं बढ़ाया जा रहा है ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या शिक्षा मंत्री को मालूम है कि जब से एसोशियेट इन्सपेक्टर बढ़े हैं तब से चिट्ठी-पत्रियों का उत्तर आने में और देर होने लगी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुझे पता नहीं है। मुमकिन है कानपुर में ऐसा हो, अगर माननीय सदस्य बतावेंगे तो मैं जांच करा लूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या गोरखपुर विद्यालयों की अधिक संख्या को देखते हुये मंत्री जी नया अतिरिक्त इन्सपेक्टर नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यदि माननीय सदस्य और यह आदरणीय सदन उसके लिये रुपया मांगने पर टीकाटिप्पणी न करें तो सरकार सोच सकती है ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि नैनीताल के इन्सपेक्टर के अन्तर्गत मंसूरी के स्कूल्स भी आते हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां, जैसा मैंने निवेदन किया कि नैनीताल के इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के सुपुर्द यूरोपियन स्कूलों का भी काम है और जो मंसूरी में हैं वे भी उसमें शामिल हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---जिन जिलों में २ इन्सपेक्टर हैं उनके वेतनक्रम में अन्तर है या समान है और अधिकार क्षेत्र भी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी पूरी सूचना तो नहीं है लेकिन एसोशियेट इन्सपेक्टर का वेतनक्रम कम है ।

नलकूप संचालकों को उनके निवास-स्थान से दूर न रखने का सुझाव

**४---श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री इस बात पर विचार करने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश के ट्यूबवैल के आपरेटरों को उनके निवास स्थान के जिलों या उनके आस-पास के जिलों में ट्रांसफर कर दिया जाय ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति) (अनुपस्थित)---इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

उप-निर्वाचन क्षेत्रों में मंत्रियों द्वारा सरकारी साधनों के प्रयोग के संबंध में जानकारी

५—श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि केन्द्रीय चुनाव आयुक्त ने कोई ऐसा आदेश भेजा है कि मंत्रीगण उप-निर्वाचन क्षेत्रों में अपने दौरे में सरकारी साधनों का उपभोग न करें ? यदि हां, तो क्या सरकार इस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

तारांकित प्रश्न

कानपुर जिले के कुरौना ग्राम में बन्दूक चल जाने से दुर्घटना

***१—श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि मौजा कुरौना बहादुर नगर (दुर्जनपुर) , जिला कानपुर, में तारीख ३०-५-५७ को बन्दूक के चल जाने पर एक आदमी जान से मर गया तथा एक अन्य आदमी और एक लड़की जख्मी हो गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

***२—श्री मोतीलाल अवस्थी** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार उस घटना के सम्बन्ध में यथोचित जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस घटना की जांच हो चुकी है मगर इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सका, क्योंकि संतोषजनक सबूत उपलब्ध नहीं था । जिस व्यक्ति की बन्दूक थी उसका लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है ।

पुलिस सब-इन्सपेक्टरों को कत्लों के अभियोग में सजा

***३—श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५, १९५६ व सितम्बर, १९५७ तक प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में कितने सब-इंसपेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर कत्ल के अभियोग लगाये गये और मुकदमे चले ? कितने लोगों को सजा हुई और कितने सब-इंस्पेक्टर्स छूट गये ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस अवधि में ९ सब-इंसपेक्टरों पर कत्ल के अभियोग लगाये गये । इनमें से ८ पर मुकदमें चलाये गये जिनमें से ४ को सजा हुई और ३ छूट गये । एक के विरुद्ध अभी मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । एक पर वैभागिक कार्यवाही की गयी जिसमें वह दोषी पाये गये । जिलेवार विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४४१ पर ।)

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस पर वैभागिक कार्यवाही की गई है उस पर कोर्ट में केस क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—जब यह देखा जाता है कि ऐसा मामला है कि कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता और अच्छे गवाह वगैरह नहीं मिल सकते हैं, तो उसमें वैभागिक कार्यवाही की जाती है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—जो सब-इंसपेक्टर्स छोड़ दिये गये हैं क्या वे पुनः थाना-इनचार्ज बनाये जा सकते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो अदालत से छूट गये हैं वे बनाये तो जा ही सकते हैं लेकिन उनकी वैभागिक ढंग से भी जांच-पड़ताल कर ली जाती है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---जो ३ सब-इंसपेक्टर्स कोर्ट में छोड़ दिये गये हैं उनके ऊपर किस प्रकार की वैभागिक कार्यवाही की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---सजावालों को कितनों को जेलखाना और कितनों को जुर्माना हुआ है ?

श्री कैलाश प्रकाश---सबकी लिस्ट मेरे पास है जो छटी हुई नहीं है कि किसको क्या-क्या सजा हुई है । आज्ञा हो तो मैं सबको पढ़ दूं, ये ८ हैं । सबकी लिस्ट सन्वार मेरे पास है ।

श्री अध्यक्ष---कितनों को सजा या जुरमाना हुआ, यह बतला दें आप ।

श्री कैलाश प्रकाश---उत्तर में बता दिया कि ८ पर मुकदमे चले । इनमें से ४ को सजा हुई, ३ छोड़ दिये गये, १ के बारे में मुकदमा चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष---वह जानना चाहते हैं कि कितनों को जेल की सजा हुई और कितनों पर जुरमाना हुआ । अगर आप जल्दी नहीं बता सकते हैं तो नोटिस ले लें । इस समय मैं ज्यादा समय तलाश करने के लिये नहीं दे सकता ।

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां, इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

*४-६---**श्री राम सुन्दर पाण्डेय**---[९ अप्रैल, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये ।]

*७-८---**श्री उग्रसेन**---[९ अप्रैल, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये ।]

देवरिया जिले में भ्रष्टाचार के आरोप में पुलिस कर्मचारियों को दंड

*९---**श्री उग्रसेन**---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ मार्च, १९५६ लगायत ३१ अगस्त, १९५७ के बीच देवरिया में भ्रष्टाचार के आरोप में कितने दरोगा, हेड कांस्टेबिल, सिपाहियों पर विभागीय मुकदमे चले और कितने दंडित हुये ?

श्री कैलाश प्रकाश---उक्त अवधि में देवरिया में भ्रष्टाचार के आरोप में ७ सब-इन्सपेक्टरों, ४ हेड कांस्टेबिल व २३ कांस्टेबिलों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी जिसके फलस्वरूप ६ सब-इंसपेक्टर, ४ हेड कांस्टेबिल और १८ कांस्टेबिल दंडित किये गये ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन ६ सब-इंसपेक्टरों को दंडित किया गया है, उन्हें किस प्रकार का दंड दिया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश---५ के खिलाफ उनके कैरेक्टर रोल में ऐडवर्स एंट्री की गयी तथा एक को वार्निंग दी गयी ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि भ्रष्टाचार के ऐसे कितने मुकदमे थे, जिसको डी० एस० पी० (कंप्लेन्ट्स) ने भेजा था ?

श्री कैलाश प्रकाश---श्रीमन्, यह जो मैंने आंकड़े दिये हैं, डी० एस० पी० (कंप्लेन्ट्स) के द्वारा ही इनकी जांच हुई थी ।

लखनऊ में समाजवादी सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी

*१०---**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)---सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित सत्याग्रह के सम्बन्ध में कितने लोगों को लखनऊ में धारा १०७, ११७ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और उनको कब छोड़ा गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—६ व्यक्तियों को। उनको २७ जुलाई, सन् १६५७ को छोड़ दिया गया।

***११—श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त धारा के अन्तर्गत पकड़े गये बन्दियों को किस कारण से छोड़ा गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—उक्त व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों से विदेशियों की मूर्तियों को हटाने अथवा उन्हें अंग-भंग करने के आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये थे ? ऐसी मूर्तियों के हटाने के प्रश्न पर सरकार पहले ही से विचार कर रही थी और तद्नुसार आदेश जारी किये गये तथा आन्दोलन भी स्थगित हो गया। अतः शान्ति भंग होने की संभावना न रह गयी और गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ दिया गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि ये व्यक्ति उस वक्त छोड़े गये जब हाईकोर्ट में श्री प्रभु नारायण सिंह की रिट दायर हुई और वह रिट मंजूर हो गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यदि हाई कोर्ट का हुक्म हुआ होगा तो भी उनको छोड़ दिया गया और जब उन्होंने सत्याग्रह वापस ले लिया तो जो लोग जेल में थे उनको छोड़ दिया गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि ये व्यक्ति जो गिरफ्तार किये गये, घर से गिरफ्तार किये गये थे या आन्दोलन करते हुये गिरफ्तार किये गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गिरफ्तार इसलिये किया गया कि मूर्तियों को तोड़ने का इरादा प्रकट करके वे उनको तोड़ने जा रहे थे।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—जब इन लोगों से शान्ति भंग का अंदेशा था तो उस शान्ति-भंग का अंदेशा दूसरी ओर किन लोगों से था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—शान्ति-भंग की आशंका तो उन्हीं लोगों से होती है जो कानून भंग करने की कार्यवाही करने चलते हैं।

आजमगढ़ में वेस्ली हायर सेकेन्डरी स्कूल के निकट सिनेमा भवन बनने पर आपत्ति

***१२—श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ शहर में वेस्ली हायर सेकेन्ड्री स्कूल के उत्तर और बिलकुल स्कूल के बगल में एक सिनेमा भवन का निर्माण करने की चेष्टा की जा रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

***१३—श्री मुक्तिनाथ राय**—यदि हां, तो क्या सरकार विद्यार्थियों के हित की दृष्टि से उपरोक्त सिनेमा भवन के निर्माण को रोक देने के बारे में कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा संस्थाओं के पास सिनेमा भवनों के निर्माण करने के लिये कोई निश्चित सरकारी आदेश है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो रेजिडेंशियल स्कूल या कालेज हैं उनके पास सिनेमा भवन न हों, ऐसा आदेश है।

श्री रामायण राय—इन स्कूलों से कितनी दूरी पर सिनेमा घर बनाये जा सकते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे पूरी तरह से स्मरण तो नहीं है लेकिन शायद २ फर्लांग से कम नहीं हो, लेकिन वह रेजिडेंशियल स्कूल या कालेज होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या कोई ऐसा सरकारी आदेश है कि नान-रेजिडेंशियल स्कूल के पास जो इस प्रकार के सिनेमा शो १२ बजे और ३ बजे होते हैं, वे स्कूल आवर्स के बीच में होने के कारण न हुआ करें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसा कोई कानून तो नहीं है, और ऐसा कोई सरकारी आदेश भी नहीं है लेकिन जब स्कूल आवर्स हों, उस समय सिनेमा न हो तो यह अच्छा ही है।

श्री मुक्तिनाथ राय---यह मामला जो न्यायालय के विचाराधीन है, क्या यह मामला स्कूल की तरफ से चलाया गया है या जो लोग सिनेमा भवन का निर्माण करना चाहते हैं उन लोगों ने इस मामले को न्यायालय में भेजा है ?

श्री कैलाश प्रकाश---मामला तो दोनों के ही बीच का है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---चूंकि माननीय मंत्री जी इसको सही मानते हैं, तो क्या सरकार इस प्रकार का कोई आदेश जारी करेगी कि जहां नान-रेजिडेंशियल स्कूल या कालेज हैं उनके स्कूल आवर्स के बीच में सिनेमा शो न हों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सरकार के विचाराधीन यह प्रश्न है।

सीतापुर पुलिस लाइन्स के हटाये जाने के संबंध में जानकारी

*१४---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि सीतापुर पुलिस लाइन्स अपनी जगह से हटा कर सेंट्रल जेल, सीतापुर, के निकट लाई जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसा कोई प्रस्ताव अभी सरकार के सम्मुख नहीं है।

*१५---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---प्रश्न ही नहीं उठता।

पुलिस थानों में जन्म और मृत्यु का रजिस्टर न रखना

*१६---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या सरकार थानों में जो जन्म और मृत्यु का रजिस्टर रहता है उसमें जन्म की तारीख के साथ नाम भी लिख सकें इसकी व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश---पुलिस थानों में अब जन्म तथा मृत्यु का रजिस्टर नहीं रहता है।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि थानों में जन्म और मृत्यु के रजिस्टर न रखने के कौन से कारण हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---पंचायत राज ऐक्ट जब से लागू हुआ है तब से उसकी धारा के अनुसार यह उत्तरदायित्व पंचायतों का हो गया है और वह रजिस्टर पंचायतों में ही रहता है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चौकीदार की किताब में जन्म और मरण को लिखा जाता है ?

श्री कैलाश प्रकाश---संभव है उसके पास कोई किताब रहती हो लेकिन जहां तक रजिस्टर का संबंध है, वह पंचायतें रखती हैं।

हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमिडिएट बोर्ड में आगरा जमींदार एसोसियेशन के प्रतिनिधित्व पर आपत्ति

*१७---**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)---क्या यह सत्य है कि हाई स्कूल ऐंड इन्टरमीडियेट बोर्ड में अब भी आगरा जमींदार एशोसियेशन को प्रतिनिधित्व प्राप्त है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा जमींदार एसोसियेशन का प्रतिनिधि चुनता कौन है, जब अब जमींदार नहीं है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जो मौजूदा प्रतिनिधि हैं वे उस संस्था के चेयरमैन महोदय द्वारा मनोनीत किये गये हैं ।

श्री गौरीशंकर राय---जब जमींदार नहीं हैं तो कौन से लोग आगरा जमींदार एसोसियेशन की तरफ से मनोनीत किये जाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जमींदार नहीं हैं लेकिन यह एसोसियेशन अभी जिन्दा है और उसके अध्यक्ष की ओर से इस समय जो प्रतिनिधि हैं, उनकी नियुक्ति हुई है । सरकार के सामने यह प्रश्न आया भी था और इस समय जो इंटरमीडियेट एजूकेशन बिल है उसमें यह व्यवस्था की गयी है कि अब इनके प्रतिनिधित्व को हटा दिया जाय।

श्री रामायण राय---जमींदारी विनाश के इतने दिन बाद भी यह प्रतिनिधि क्यों बने हुये हैं ? इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दे दिया गया है ।

*१८---**श्री गौरीशंकर राय**---[हटा दिया गया ।]

प्रदेश में राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल

*१९---**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार प्रत्येक जिले में अपनी ओर से एक-एक हायर सेकेंडरी स्कूल स्थापित करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश---ऐसी कोई योजना नहीं है ।

*२०---**श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल कितने हायर सेकेंन्ड्री स्कूल ऐसे हैं जो सरकार द्वारा संचालित हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---बालकों तथा बालिकाओं के मिलकर कुल १२६ हायर सेकेंड्री स्कूल हैं।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---क्या सरकार इस योजना पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं, इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---यह बालकों तथा बालिकाओं के जो १२६ हायर सेकेंड्री स्कूल हैं वे किन-किन जिलों में हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो बहुत व्यौरे का सवाल है, इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य चाहें तो मंत्री जी के कमरे में जाकर देख लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि राज्य के जो हायर सेकेंड्री स्कूल चल रहे हैं उनको भी किसी प्राइवेट या पब्लिक मैनेजमेंट में कर दिया जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश---कई ओर से ऐसा सुझाव आया है और उस पर सरकार विचार भी करती रहती है और कर भी रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार जिस योजना पर विचार कर रही है वह योजना क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे सुझाव आये हुये हैं कि सरकारी स्कूलों को खत्म कर दिया जाय और वे जिन स्थानों पर नहीं हैं वहां उनको खोला जाय। सरकार ने अभी कोई निश्चय नहीं किया है कि जो स्कूल जहां चल रहे हैं उन को हटाना कहां तक उचित होगा या न होगा। अभी कोई ऐसी योजना नहीं है, केवल सुझाव पर विचार हो रहा है।

डी० एस० पी० (कम्पलेंट्स) जिला इटावा के अधीन भ्रष्टाचार के मामले

*२१—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस (कम्पलेंट्स) के पास सन् १९५५ से १५ दिसम्बर, सन् १९५७ तक कितने सरकारी विभाग के पदाधिकारी और साधारण कर्मचारियों की शिकायतें आईं ?

श्री कैलाश प्रकाश—कम्प्लेंट्स स्कीम के अन्तर्गत डी० एस० पी० (कम्प्लेंट्स), इटावा की नियुक्ति १-२-५६ को हुई। इस दिन से १५-१२-५७ तक उक्त अधिकारी के पास विभिन्न विभागों के १७६ नान गजटेड कर्मचारियों की शिकायतें आईं। इन १७६ में ८० पदाधिकारी और ९६ साधारण कर्मचारी थे।

*२२—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**—जो शिकायतें आईं उन पर सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गयी और उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री कैलाश प्रकाश—जो शिकायतें आईं उन पर छानबीन की गई और दोषी पाये गये ३० पदाधिकारी और २४ साधारण कर्मचारी दंडित किये गये और ४ पदाधिकारी और ११ साधारण कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन ३० पदाधिकारियों और २४ कर्मचारियों में से कितनों को विभागीय दंड दिया गया और कितनों को अदालत से दिलवाया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—सबके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हुई है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे कर्मचारी और पदाधिकारी हैं जिन्हें नौकरी से कतई अलग कर दिया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसके लिये सूचना चाहिये।

जेलों में कैदियों की मनोरंजन सामग्री

*२३—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों के मनोरंजन के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—कैदियों को मनोरंजन के लिये जेलों में खेल-कूद, गाने-बजाने व ड्रामा इत्यादि करने की सहूलियत दी जाती है, पढ़ने के लिये किताबें व समाचार-पत्र दिये जाते हैं तथा अधिकांश जेलों में रेडियो सेट का भी प्रबन्ध है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो रेडियो सेट्स का प्रबन्ध है यह सरकार की ओर से है या अपराध निरोधक समिति की ओर से है ?

श्री मुजफ्फर हसन—कहीं-कहीं अपराध निरोधक समिति ने उसका दान किया है। कुछ इंडिविजुअल्स ने भी दान किया है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो रेडियो सेट्स सरकार की ओर से दिये गये हैं वे उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---तफसील मेरे पास नहीं है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि थर्ड ग्रेड की डिस्ट्रिक्ट जेलों में भी रेडियो सेट्स दे दें ?

श्री मुजफ्फर हसन---इस बजट में आपने देखा होगा कि ४,००० रु० की रकम रखी गयी है सस्ते इंस्ट्रूमेंट्स के लिये। रेडियो में तो काफी बड़ा खर्चा है। जहां हमको उस सोसाइटी की तरफ से या इंडिविजुअल्स की तरफ से मिल जाता है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि हर जगह बिजली भी नहीं है।

श्री जगवीर सिंह---जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया कि वहां खेल का इंतजाम है, क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां कौन-कौन खेल हैं जिनका इंतजाम किया जाता है ?

श्री मुजफ्फर हसन---कबड्डी है, रस्सा कसी है, वालीबाल है। इस तरह के खेल हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उन्होंने कहा कि हर जिले में बिजली भी नहीं है, तो क्या सरकार यह देख कर कि देहातों में कहीं बिजली नहीं है लेकिन पंचायत की ओर से रेडियो हैं, इसी तरह से बैटरी सेट देने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने केवल एक ही बात नहीं कही। उन्होंने कई बातें कहीं।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी जेलों में सूचना विभाग की ओर से सिनेमा शो जो होता है प्रति मास दो बार कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन---माननीय सदस्य किसी खास जगह चाहेंगे तो उसका भी इन्तजाम करने की कोशिश की जायगी।

डी० एस० पी० (कम्पलेंटस), जिला मैनपुरी, द्वारा चलाये गये पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

*२४---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी में वर्तमान डिप्टी सुपरिंटेंडेंट (कम्पलेंट्स) ने अपने कार्यकाल में २० दिसम्बर, १९५७ तक पुलिस वालों के खिलाफ कुल कितने केस भ्रष्टाचार के चलाये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---तारीख १ फरवरी, १९५६ से २०-१२-५७ तक मैनपुरी के डी०एस०पी० (कम्पलेंट्स) ने पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध १०३ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की। इनमें से ३३ मामलों में लगाये गये आरोप सही पाये गये। इनके संबंध में वैभागिक कार्यवाही की गई और कोई भी मामला न्यायालय नहीं भेजा गया।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो ३३ पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही हुई उसमें थानेदार कितने हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---श्रीमन्, इसमें एक थानेदार का तो वेतन कम किया गया, दो थानेदारों के इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट रोके गये और एक थानेदार की चरित्रावली में भ्रष्टाचरण की प्रविष्टि की गयी। दो थानेदारों के खिलाफ अभी कार्यवाही चल रही है।

मऊ, जिला आजमगढ़, में सरेआम हत्या

*२५---**श्री झारखंडे राय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत २२ नवम्बर की रात में मऊ (आजमगढ़) शहर के चौक पर सरेआम कुछ व्यक्तियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां।

*२६--श्री झारखंडे राय---क्या सरकार इस दुर्घटना पर पूर्ण प्रकाश सदन में डालने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--अब तक प्राप्त सूचना संलग्न नोट में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४४२ पर)

श्री झारखंडे राय---क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि पूजन के पहले भी दो हत्यायें साम्प्रदायिक प्रकार की मऊ शहर में हो चुकी थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां । कुछ साम्प्रदायिक झगड़ा वहां हुआ था इसके पहले ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस बात को देखते हुए कि इसके पहले दो सज्जन बनवारी लाल और सुल्तान मारे जा चुके थे और यह तीसरी हत्या और हुई है, सरकार की ओर से अथवा जिलाधिकारियों की ओर से ऐसी घटना की रोकथाम के लिये किसी विशेष कार्यवाही का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---हां, अब तो आशा है कि ऐसी घटना नहीं होगी ।

श्री रामसुन्दर पान्डेय---क्या माननीय गृह मंत्री जी उस नोट को पढ़ देने की कृपा करेंगे जो माननीय सदस्य की मेज पर रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष---काफी बड़ा है तो मैं इजाजत नहीं दूंगा । आप इसको जानना चाहें तो बाद में मंत्री जी से ले सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पान्डेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिये कोई विशेष प्रबन्ध किया है ? यदि हां, तो कौन प्रबन्ध ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पुलिस का वहां प्रबन्ध है । सरकार सतर्क है । ऐसी घटना नहीं होने पावेगी ।

*२७--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---[९ अप्रैल, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया ।]

*२८--श्री अब्दुल रऊफ लारी---[ग्यारहवें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या १२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजनान्तर्गत प्रसार अध्यापकों की नियुक्ति

*२९--श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने ग्रेजुएट तथा नानग्रेजुएट शिक्षा प्रसार अध्यापक १५-७-५४ से जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल में कार्य कर रहे हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत १५-७-५४ को २,४८८ प्रसार अध्यापक नियुक्त किये गये जिनमें से कि ७५५ स्नातक श्रेणी के तथा १,७३३ अस्नातक श्रेणी के थे । इनकी जिलेवार संख्या संलग्न तालिका में अंकित है । इस संख्या में समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन होते रहते हैं । इस समय ८७२ स्नातक श्रेणी के तथा १,८१५ अस्नातक श्रेणी के प्रसार अध्यापक विभिन्न जिलों में कार्य कर रहे हैं ।

*३०--श्री यमुना सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितने शिक्षा प्रसार अध्यापक स्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---इनमें से सभी प्रसार अध्यापक अस्थायी हैं ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री यमुना सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५४ से जो प्रसार अध्यापक कार्य-भार सम्हाल रहे हैं उनके मुस्तकिल होने की कब तक सम्भावना है ?

श्री कैलाश प्रकाश---श्रीमन्, अभी तो यह योजना ही मुस्तकिल नहीं है । योजना के मुस्तकिल होने के बाद जो उसमें काम करते हैं वे मुस्तकिल हो सकते हैं ।

श्री यमुना सिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन अध्यापकों का प्राविडेंट फंड कटता है कि नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश---सम्भवतः नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह शिक्षा प्रसार योजना जो है इसके स्थायी होने की सम्भावना कब तक है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इन सारे प्रश्नों पर विभाग की ओर से विचार किया जा रहा है । एक कमेटी भी हमने बनायी है जो यह देख रही है कि यह प्रसार अध्यापक जो काम कर रहे हैं, वह किस तरह का काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है और उसकी रिपोर्ट आने पर इस सम्बन्ध में निश्चित किया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इस सम्बन्ध में सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड आफ एजूकेशन ने भी कोई सिफारिश प्रान्तीय सरकार से की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं । उनकी कोई सिफारिश नहीं है । सिफारिश पर तो उनकी यह काम शुरू किया गया था । वह चल रहा है और वह हम देख रहे हैं कि कितनी उपयोगी वह सिद्ध हो रही है ?

*३१-३३---**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये ।]

गाजीपुर जेल में सुरक्षा और सीमा प्रसार के लिये ली गयी भूमि

*३४---**श्री खजान सिंह चौधरी** (जिला उन्नाव)---क्या समाज सुरक्षा मंत्री यह बतावेंगे कि सन् १९५१ में गाजीपुर जेल के सुपरिन्टेंडेंट के लिये भवन बनाने के लिये कुछ किसानों की जमीन ली गई थी ? क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि अब वह भवन नहीं बनेगा ? यदि हां, तो क्या किसानों की जमीन वापस कर दी जावेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं, उस वर्ष गाजीपुर जिला जेल के अधीक्षक के लिये भवन बनाने के लिये कोई जमीन नहीं ली गई । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

श्री खजान सिंह चौधरी---हमारे इस बयान को सही मान कर कि जमीन ली गई है, विश्वास दिलाने पर माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैंने जो जबाब दिया है वह यह है कि मकान बनाने के लिये कोई जमीन नहीं ली है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---जेल सुपरिटेंडेंट महोदय इस समय तक किस मकान में रहते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसकी इत्तला मेरे पास नहीं है, किसी मकान में रहते होंगे ।

श्री मोहनलाल वर्मा---जमीन अगर मकान बनाने के लिये नहीं ली गयी तो फिर किस काम के लिये ली गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन---सुरक्षा और सीमा प्रसार के लिये ।

श्री रामायण राय--जिन लोगों की जमीन ली गयी है उनको मुआवजा कब तक मिल जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन--मुआवजा मिल चुका है ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि कुल कितनी जमीन सुरक्षा और प्रसार के लिये ली गयी है ?

श्री मुजफ्फर हसन--एक जमीन तो १ एकड़ २० पोल है और दूसरी जमीन १ बीघा और १८ बिस्वा है ।

महर्षि दधीच इन्टर कालेज, मिश्रिष, जिला सीतापुर के भूतपूर्व कला अध्यापक के प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही

*३५--**डाक्टर अवधेश कुमार सिन्हा** (जिला सीतापुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महर्षि दधीच इन्टर कालेज, मिश्रिष, जिला सीतापुर, के भूतपूर्व कला अध्यापक के प्रार्थना-पत्रों पर जो दिनांक ३-४-५७ को (उपशिक्षा संचालक व जिला विद्यालय निरीक्षक) २५-५-५७ को डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल, सीतापुर ८-८-५७ को तीसरा प्रार्थना-पत्र उपशिक्षा संचालक को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एवं २०-११-५७ को एक रिमाइन्डर उपशिक्षा संचालक को तथा एक प्रार्थना-पत्र श्रीमान् शिक्षा मंत्री महोदय, लखनऊ, को दिये गये हैं, क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश--इन सब आवेदन-पत्रों पर जांच करने के उपरान्त विभाग द्वारा निर्णय दिया जा चुका है ।

*३६--**डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा**--क्या सरकार इन सभी प्रार्थना-पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--प्रश्न ३५ में लिखित सभी पत्रों की एक एक †प्रति प्रस्तुत है ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या निर्णय हुआ है ?

श्री कैलाश प्रकाश--मैनेजमेंट का यह निर्णय हुआ है कि १ महीने का नोटिस दे दिया जाय या उसकी तनख्वाह दी जाय और जो ग्रीष्म अवकाश सन् ५७ का है उसकी तनख्वाह उनको दे दी जाय ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा--क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि इनको पृथक् केवल इसी कारणवश किया गया कि उन्होंने अपना ग्रेड मांगा है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी नहीं, इस कारणवश नहीं किया गया। ये परीक्षणकाल में थे और इस काल में यह महसूस किया गया कि इनका काम ठीक नहीं है । इसलिये उनको पृथक् कर दिया गया ।

श्री उग्रसेन--किसकी शिकायत हुयी थी परीक्षण काल में कि उनका काम संतोषजनक नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैनेजमेंट कमेटी ने उनको अपने यहां नियुक्त किया था। अपने यहां परीक्षण काल में एक साल तक प्रोबेशन पर रखा लेकिन काम संतोषजनक नहीं पाया गया । फिर एक साल का और प्रोबेशन उनको दिया गया लेकिन यही निश्चय हुआ कि उनका काम संतोषजनक नहीं है और उनको पृथक् किया जाय । उन्होंने अपील की और यह निर्णय हुआ कि एक महीने का नोटिस दे दिया जाय और ग्रीष्म काल के अवकाश की तनख्वाह दे दी जाय ।

---

†प्रतियां छापी नहीं गयीं ।

लखनऊ की माडल जेल में सुविधायें

*३७--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में जेलों को माडल जेल बनाया गया है और उनमें कौन-कौन सी विशेष सुविधायें दी गई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--केवल लखनऊ के सेन्ट्रल जेल को माडल जेल बनाया गया है ।

१--यहां के बन्दी आजादी के साथ जेल से बाहर बिना किसी निगरानी के आते जाते हैं ।

२--ये लोग विभिन्न प्रकार का उत्पादन अपने कमाए पैसे से अथवा सरकार से उधार लेकर करते हैं और माल सरकार के हाथ बेचते हैं ।

३--इन्हें सरकार से जमीन किराये पर लेकर खेती करने की भी सुविधा है ।

४--पठन-पाठन आदि की पूर्ण सुविधा है ।

५--बन्दियों को अपनी कमाई के पैसे को खर्च करने या अपने घर आदि भेजने की इजाजत दी जाती है, इन्हें अपना पैसा जमा रखने की भी सुविधा है ।

*३८--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने इलाहाबाद की नैनी जेल को भी माडल जेल बनाने की कोई स्कीम बनाई है ? यदि हां, तो वह स्कीम क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं ।

इलाहाबाद में कोतवाली थाने के अन्तर्गत चोरियां

*३९--**श्री कल्याणचन्द्र मोहिले** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १ नवम्बर से ४ दिसम्बर, १९५७ तक इलाहाबाद कोतवाली थाने में कितनी चोरी और डकैती के मामले दर्ज किये गये और उसमें कितने मुकदमों का चालान किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कुल ४१ चोरी के मामले दर्ज किये गये जिसमें ६ मुकदमों का चालान किया गया । डकैती की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं की गई ।

आगरा जिले में चोरियां, डकैतियां तथा कत्ल

*४०--**श्री रामसिंह चौहान वैद्य** (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में सन् १९५७ में कितनी हत्यायें, डकैतियां और चोरियां हुईं ?

श्री कैलाश प्रकाश--सन् ५७ में आगरा जिले में २८ हत्यायें, १४ डकैतियां और ५२५ चोरियां हुईं ।

*४१--**श्री रामसिंह चौहान वैद्य**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त वर्ष में पुलिस व डकैतों में कहां और कब मुकाबला हुआ और उसमें कितने सिपाही व डकैत मारे गये और कितने डकैत पकड़े गये ?

श्री कैलाश प्रकाश--वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४४३ पर)

*४२--**श्री रामसिंह चौहान वैद्य**--अब डकैती के कितने मुकदमें पुलिस द्वारा चलायें जा रहे हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--सन् ५७ में हुई डकैतियों के सम्बन्ध में ९ मुकदमे इस समय पुलिस द्वारा कोर्ट में चलाये जा रहे हैं ।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इनमें से कितने मामलों में मुलजिम लोग पकड़े गये और कितनों को सजायें हुयीं ?

श्री कैलाश प्रकाश--१४ डकैतियां पड़ीं सन् ५७ में । इनमें छानबीन करने के बाद १० कोर्ट में चालान की गयीं जिनमें ९ अभी विचाराधीन हैं । ३ मामलों में छानबीन जारी है और १ में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है । ये तो डकैतियों के सिलसिले में हैं ।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य--जो सूचना दी गयी है दो व्यक्तियों के मारे जाने की, वह डाकू थे या साधारण व्यक्ति थे ?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, यह तो उत्तर में स्पष्ट है कि २ डाकू मारे गये ।

*४३--**श्री जगपति सिंह** (जिला बांदा)--[९ अप्रैल, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया ।]

विदेश अध्ययन के लिये कथित छात्रवृत्तियां

*४४--**श्रीमती चन्द्रावती** (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में १ जनवरी, १९५७ से ३० नवम्बर, १९५७ तक कितने विद्यार्थियों को किस-किस विषय में विदेश अध्ययन के लिये कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई छात्रवृत्ति नहीं दी ।

*४५--**श्रीमती चन्द्रावती** (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री यह भी सूचित करने की कृपा करेंगे कि यह छात्रवृत्तियां किस आधार पर दी जाती हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रश्न नहीं उठता ।

गाजीपुर जिले में बाढ़-ग्रस्त प्राइमरी स्कूलों की इमारतों के लिये सहायता

*४६--**श्री पब्बर राम** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिला बोर्ड के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल कितने चलाये जा रहे हैं और उनमें कितने स्कूलों की इमारत बाढ़ तथा बरसात के कारण खतरनाक हो गई हैं और कितनी बिल्कुल गिर गई हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--४६१ प्राइमरी स्कूल चलाये जा रहे हैं । बरसात तथा बाढ़ के कारण खतरनाक प्राइमरी स्कूलों की इमारतों की संख्या १५०, बिलकुल गिरी हुई प्राइमरी स्कूलों की संख्या १०० ।

*४७--**श्री पब्बर राम**--क्या सरकार ने इन गिरे हुये स्कूलों को पुनः बनवाने तथा मरम्मत के लिये कोई सहायता प्रदान की है ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां ।

श्री पब्बरराम--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी सहायता और कब प्रदान की गयी ?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, स्कूलों के भवनों की मरम्मत कराने और ठीक कराने का उत्तरदायित्व जिला बोर्ड पर रहता है लेकिन बोर्ड को २,४५,००० रुपये की ग्रांट, विशेष रूप से सहायता, दी गयी कि वह इन इमारतों और सड़कों का पुनर्निर्माण करा दे ।

श्री पब्बरराम--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गिरे हुए स्कूलों की इमारतें कब तक बनकर तैयार हो जायंगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जैसा मैंने निवेदन किया, भवन बनवाने, उनका निर्माण कराने, और उनकी मरम्मत कराने का उत्तरदायित्व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर है इसलिये वे ही उसको कराते रहते हैं। यहां उसका ब्योरेवार उत्तर देना कठिन है।

जौनपुर जिला बोर्ड के अध्यापकों को महंगाई भत्ता में ५ रुपये की बढ़ोत्तरी न मिलना

*४८—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड के अध्यापकों को महंगाई भत्ता क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जिला बोर्ड के अध्यापकों को महंगाई भत्ता दिया जाता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार यह बतायेगी कि जो यह ५ रुपये १०० रुपये से कम वेतन पाने वाले सरकारी और अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों के बढ़ाये गये हैं, तो यह बढ़ोत्तरी जिला बोर्ड के अध्यापकों को भी दी गयी है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, यह ५ रुपये की बढ़ोत्तरी उनको भी दी गयी है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार को यह पता है कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने अभी अपने मास्टरों को, बहुतों को यह ५ रुपये की बढ़ोत्तरी उनकी तनख्वाह में नहीं दी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा सम्भव है क्योंकि हो सकता है उनके पास आज्ञा देर से पहुंची हो। अब रुपया जा रहा है, मैं समझता हूं जो बाकी होगा वे दे देंगे।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बढ़ोत्तरी जिला बोर्ड के मास्टरों को भी उसी समय दी गयी जब अन्य कर्मचारियों को दी गयी या बाद में दी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उसी समय से दी गयी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ५ रुपये की बढ़ोत्तरी का आदेश उन्होंने कब जारी किया और जब से प्रदेश में १०० रुपये से कम पाने वाले कर्मचारियों को यह दी जायगी क्या उसी समय से अध्यापकों को भी यह वृद्धि दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष—(शिक्षा मंत्री से) दूसरे भाग का उत्तर तो आप दे चुके हैं, केवल पहले भाग का उत्तर दे दीजिये।

श्री कैलाश प्रकाश—यह आदेश संभवतः जनवरी, १६५८ में पहुंचे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५ रुपये की बढ़ोत्तरी के पहले जो २ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई थी वह भी जिला बोर्ड के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को दे दी गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा खयाल है कि यह जो ५ रुपये की बढ़ोत्तरी गत वर्ष हुई है उसमें जिला बोर्ड के अध्यापक हैं। २ रुपये वाली बढ़ोत्तरी से उनका कोई संबंध नहीं है।

पी० एन० एम० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, (पावानगर) फाजिलनगर, जिला देवरिया, को अनुदान देने की प्रार्थना

*४६—श्री रामायण राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पी० एन० एम० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (पावानगर), फाजिलनगर, जिला देवरिया, को सरकार द्वारा क्या वार्षिक सहायता दी जाती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—१६५६-५७ में ५,६४० रुपया अनुपालन अनुदान।

जौनपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*५०—डाक्टर तारादेवी (जिला जौनपुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कितने लोगों को राजनीतिक पेन्शन मिली है ?

श्री कैलाश प्रकाश—५९ को ।

डाक्टर तारादेवी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी उनके पास और कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—१७ ।

डाक्टर तारादेवी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनको पेन्शन मिल गई है उनको सूचना दे दी गयी है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना तो मिल गयी होगी । अगर कोई ऐसे व्यक्ति का नाम माननीया सदस्या बतायेंगी तो उसकी जांच कर ली जायगी ।

पी० टी० अध्यापकों का वेतन-क्रम

*५१—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के पी० टी० अध्यापकों का वेतन ग्रेड कितना कितना है ?

श्री कैलाश प्रकाश—(क) राजकीय विद्यालयों के लिये ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट वेतन-क्रम ७५—५—१२०—द० रो०—८—२०० रुपया तथा ट्रेण्ड ग्रेजुएट वेतन-क्रम १२०—८—२००—द० रो०—१०—३०० रुपया ।

(ख) सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिये—ट्रेण्ड अन्डर ग्रेजुएट वेतन-क्रम ७५—५—११०—द० रो०—६—१४०—द० रो०—७—१७५ रुपया तथा ट्रेन्ड ग्रेजुएट वेतन-क्रम १२०—६—१६८—द० रो०—८—२०० रुपया ।

श्री यमुनासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय शिक्षालय के पी० टी० के अध्यापकों और सहायता प्राप्त विद्यालयों के पी० टी० के अध्यापकों के वेतन में इतना अन्तर क्यों है ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, यह अन्तर तो अन्य शिक्षकों के वेतन-क्रम में भी है जो राजकीय विद्यालयों में कार्य करते हैं और जो गैर राजकीय विद्यालयों में कार्य करते हैं ।

आजमगढ़ जिले में डकैती और नकबजनी की घटनायें

*५२—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में सन् १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में कुल कितनी डकैतियां पड़ीं तथा नकबजनी हुईं ?

श्री कैलाश प्रकाश—आजमगढ़ जिले में १-४-५५ से ३१-३-५६ तक कुल १७ डकैतियां तथा ३९३ नकबजनी व १-४-५६ से ३१-३-५७ तक १३ डकैतियां तथा ६२५ नकबजनी की घटनाएं हुईं ।

फैजाबाद जिले में मालीपुर रेलवे स्टेशन के पास लाश का मिलना तथा थाना जहांगीरगंज में श्री राजपत पाण्डेय का कत्ल

*५३—श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुछ दिन पूर्व मालीपुर रेलवे स्टेशन के करीब थाना जलालपुर, जिला फैजाबाद में एक मृतक शरीर पाया गया ? उस लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां, मृत्यु का कारण मृगी पता चलने पर और मृतक का कोई वारिस न होने के कारण लाश का पंचायत नामा लेकर सरकारी खर्चे से लाश का क्रियाकर्म कर दिया गया। इस मृत्यु से अपराध का संदेह नहीं हुआ तथा लाश पोस्टमार्टम के लिये नहीं भेजी गई, इसलिये कोई रिपोर्ट नहीं है।

***५४---श्री हरदयाल सिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री राजपत पान्डेय, थाना जहांगीरगंज के कत्ल के अभियोग में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश---इस अभियोग में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया और अभियुक्त दिनांक ६-१२-५७ को सेशन सुपुर्द हुये। यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।

श्री हरदयाल सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मृतक के संबंध में मृगी रोग होने के बारे में डाक्टरी रिपोर्ट आई है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं, वह पोस्टमार्टम को नहीं भेजी गई है। पहले वह वहीं घूमा करते थे और जब उनकी मृत्यु हो गई तो वहां जांच पड़ताल की गई और उनकी लाश एक पानी के गढ़े में मिली थी जिससे यह मालूम हुआ कि यह मृगी के कारण मरे हैं और पहले भी उनको मृगी हुआ करती थी।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब मृतक शरीर पाया गया तो पोस्टमार्टम के लिये क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वह वहीं घूमा करते थे और सूचना से मालूम हुआ कि उनको मृगी की शिकायत थी और अक्सर वह मृगी में मुब्तला हो जाया करते थे और जिसने रिपोर्ट दी उसने भी यही कहा था उनका कोई वारिस नहीं था। पूरी जांच पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि कोई अपराध नहीं हुआ है इसलिये उनकी लाश का क्रिया-कर्म कर दिया गया।

बिठूर, जिला कानपुर में नाना साहब के स्मारक पर व्यय

***५५---श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले में बिठूर नामक स्थान पर सन् १८५७ ई० के स्वाधीनता संग्राम के अमर सेनानी, नाना साहब का स्मारक बन कर तैयार हो गया है ? यदि हाँ, तो उस पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अमर सेनानी नाना साहब के स्मारक का निर्माण-कार्य करीब-करीब समाप्त हो चुका है। इस स्मारक पर लगभग ४२,२१९ रुपये का व्यय होग जिसमें से अब तक ३१,८०० रुपये व्यय हो चुके हैं।

***५६-५७---श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)---[९ अप्रैल, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

***५८-५९---श्री सुखराम दास** (जिला फैजाबाद)---[२१ फरवरी, १९५८ को प्रश्न संख्या १०१-१०२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

***६०---श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)---[चौदहवें मंगलवार प्रश्न संख्या ६ से स्थानान्तरित किया गया।]

***६१-६२---श्री मोहन लाल वर्मा**---[९ अप्रैल, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

नोट:---प्रश्न ५४ के पश्चात् प्रश्नोत्तरों का समय समाप्त हो गया।

बदायूं जिले के पुराने सब-इन्स्पेक्टर

*६३--श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले में कितने पुलिस सब-इंसपेक्टर ६ वर्ष से ज्यादा समय से जिले में तैनात हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बदायूं जिले में ऐसा कोई भी सब-इंसपेक्टर नहीं हैं ।

मेरठ विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये समिति की नियुक्ति तथा हिन्दी अध्यापकों का वेतन

*६४--श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)--क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना पर सरकार क्या कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सरकार ने एक समिति नियुक्त की है जो इस प्रश्न पर विचार रही है ।

*६५--श्री रामजी लाल सहायक--क्या सरकार हिन्दी अध्यापकों को भी वही वेतन-क्रम देने का विचार रखती है जो अन्य विषयों के अध्यापकों को दिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हिन्दी अध्यापकों को वही वेतन-क्रम दिया जा रहा है जो अन्य विषयों के अध्यापकों को दिया जाता है ।

हरदोई जिले के खभरिया तथा वासितनगर ग्रामों में पुलिस की गोली से मारे गये व्यक्तियोंके के संबंध में जांच

*६६--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)--क्या सरकार को यह मालूम है कि हरदोई में थाना बिलग्राम तथा थाना शाहाबाद के अन्तर्गत ग्राम खभरिया तथा वासितनगर में पुलिस की गोली से दो व्यक्ति मारे गये हैं ? यदि हां, तो क्या इन मामलों की मैजिस्टीरियल जांच हो गई है ? यदि हां, तो रिपोर्टों का सार क्या है ? यदि नहीं, तो इनकी जांच कब होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । इन दोनों मामलों में मैजिस्टीरियल जांच हो चुकी है । इन रिपोर्टों में पुलिस द्वारा गोली चलाना अनिवार्य तथा न्यायसंगत माना गया है ।

वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय

*६७--श्री दीन दयाल शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय को प्रारम्भ करने में क्या-क्या अड़चने हैं और उनका निवारण कब तक हो जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कोई अड़चन नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*६८-६९--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २६ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये ।]

ग्राम अन्डराइन, जिला पीलीभीत में श्री रामस्वरूप, सरपंच का कत्ल

*७०--श्री प्रताप सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माह सितम्बर, १९५७ में ग्राम अन्डराइन, थाना जहाना बाद, जिला पीलीभीत में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता श्री रामस्वरूप सरपंच का जो कत्ल हुआ था उसमें सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मामले में पुलिस द्वारा जांच अभी जारी है । दो आदमी पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो चुके हैं व तीन ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है ।

बहादुरगंज, जिला गाजीपुर में कुमारी खुराबुन की सोडियम नाइट्रेट खाने से मृत्यु

*७१--श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहादुरगंज, जिला गाजीपुर में ८-२-५७ को एक सात वर्ष की लड़की सूत रंगाई के कारखाने के पास रहस्यमय स्थिति में मरी पायी गयी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त तिथि को कुमारी खुराबुन जिसकी आयु लगभग ६-७ वर्ष की थी खेलते खेलते मुसद्दा खां नामक एक व्यक्ति के घर गई और वहां एक कागज की पुड़िया में रखे सोडियम नाइट्रेट, जो सूत की रंगाई के काम आता है, संयोगवश खा गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई ।

*७२--श्री रघुवीर राम--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पुलिस द्वारा इस सिलसिले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पुलिस ने जांच की और लड़की के 'विसेरा' की केमिकल एग्जामिनर से जांच करायी जिससे पता चला कि मृत्यु सोडियम नाइट्रेट के जहर से हुई । आगे की जांच से यह सिद्ध हुआ कि लड़की ने सोडियम नाइट्रेट स्वयं संयोगवश खा लिया था और किसी की कोई बदनीयती नहीं थी अतः जांच समाप्त कर दी गयी ?

*७३-७४--श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद) तथा श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--[२० फरवरी, १९५८ को अल्पसूचित प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

उन्नाव जिले में जूनियर हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों की पदावनति

*७५--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--उन्नाव जिले के प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रधानाध्यापक के पदों पर अस्थायी उन्नति के सम्बन्ध में दिनांक ११-१२-५७ के प्रश्न नं० १४ के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ज्येष्ठ अध्यापकों के प्रत्यावेदन कब प्राप्त हुये और इन्चार्ज प्रधानाध्यापकों को कब हटाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१० जून, १९५७ से प्राप्त हो रहे हैं ।

श्री लालजी त्रिपाठी को	..	..	१-५-५५ से
श्री राम स्वरूप को ..	..	..	२७-८-५७ से
श्री रामचन्द्र दीक्षित को	..	..	२७-८-५७ से
श्री रामपाल सिंह को	..	..	२१-८-५७ से

*७६--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन ४ प्रशिक्षित अध्यापकों को उनके पदों से हटाया गया है, उनकी नियुक्ति उक्त पदों पर जिला परिषद्, उन्नाव के एक प्रस्ताव द्वारा स्थायी रूप से प्रधानाध्यापकों के पदों पर की गई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, परिषद् को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है ।

*७७--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस समय भी जिला परिषद्, उन्नाव के अधीन कुछ प्रशिक्षित एवं विशेष योग्यता वाले अध्यापक अपने ज्येष्ठ अध्यापकों से पूर्व प्रधानाध्यापकों के पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, अस्थायी रूप से ।

आगरा जिले में पुतली डाकू की कथित सक्रियता

*७८—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, १९५७ में पुतली डकैत ने आगरा जिले में कितने डाके मारे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस अवधि में पुतली डकैत ने आगरा जिले में कोई डाका नहीं डाला।

जूनियर हाई स्कूलों की उन्नति

*७९—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ३१ दिसम्बर, १९४५ ई० को कुल कितने जूनियर हाई स्कूल या मिडिल स्कूल थे और कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे और ३१ दिसम्बर, १९५७ ई० को उपरोक्त स्कूल कितने हो गये हैं और कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उत्तर प्रदेश में ३१ दिसम्बर, १९४५ ई० को कुल १६७६ जूनियर या मिडिल स्कूल थे और उनमें २३२०८१ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे। ३१ दिसम्बर, १९५७ को इन स्कूलों की संख्या ३९३४ तथा इनकी छात्र संख्या ४२८९०९ के लगभग है।

आगरा जिले की फीरोजाबाद तहसील में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेन्सों का वितरण

*८०—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फीरोजाबाद तहसील के कितने लोगों के पास बन्दूक, रिवाल्वर और पिस्तौल के लाइसेन्स हैं और उनमें से कितने लाइसेंस फीरोजाबाद नगर के निवासियों और कितने ग्रामीणों को दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—फीरोजाबाद तहसील में कुल ७२१ व्यक्तियों को ये लाइसेंस मिले हैं। इनमें से ३०२ नगर के निवासियों को तथा ४१९ ग्रामीणों को दिये गय हैं।

*८१—श्री जगन्नाथ लहरी—[परिवहन मन्त्री से सम्बन्धित दसवें गुरुवार में प्रश्न संख्या ८१ से स्थानान्तरित किया गया।]

*८२—८४—श्री रामलाल (जिला बरती)—[९ मार्च, १९५८ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

उन्नाव जिला बोर्ड के प्रशिक्षित जे० टी० सी० अध्यापकों को नया वेतन ग्रेड न मिलना

*८५—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड, उन्नाव के मातहत काम करने वाले शिक्षकों में जे० टी० सी० प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—८३।

*८६—श्री सजीवन लाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जे० टी० सी० प्रशिक्षित शिक्षकों का ग्रेड सरकार ने क्या घोषित किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

१—स्थानीय निकायों के जूनियर हाई स्कूलों में कार्य करनेवाले जे० टी० सी० अध्यापकों के लिये ..	६६—३—९६—द० रो०—४—११६
२—सहायता-प्राप्त प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों में कार्य करने वाले जे० टी० सी० अध्यापकों के लिये ..	६०—३—९०—द० रो०—४—११०

३—राजकीय जूनियर हाई स्कूलों में कार्य करने वाले	६०—	४—	८०—८०
जे० टी० सी० अध्यापकों के लिये ..	रो०—	५—	१२०

*८७—**श्री सजीवन लाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड, उन्नाव के मातहत काम करने वाले कुल जे० टी० सी० प्रशिक्षित शिक्षकों को नया ग्रेड मिल रहा है या नहीं ? यदि नहीं, तो कितनों को मिल रहा है और बाकी को न मिलने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सबको नहीं मिल रहा है। ४३ अध्यापकों को मिल रहा है। अवशेष अध्यापकों को बोर्ड धनाभाव के कारण निर्धारित वेतन-क्रम देने में असमर्थ रहा है। इस संबंध में बोर्ड से पत्र-व्यवहार चल रहा है।

मुरादाबाद में अध्यापक तथा पुलिस अधिकारी के बीच झगड़े के कारण विद्यार्थियों की हड़ताल

*८८—**श्री रामायण राय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद की सभी शिक्षा संस्थाओं में २१ दिसम्बर, १९५७ को किस कारण हड़ताल थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला मुरादाबाद के कुछ शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा के० जी० के० कालेज के एक अध्यापक तथा पुलिस अधिकारी के बीच झगड़ा हो जाने के कारण २१ दिसम्बर, १९५७ को हड़ताल की गई थी।

*८९—**श्री रामायण राय**—क्या हड़तालो विद्यार्थियों ने मुख्य मंत्री के समक्ष किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी अध्यापक के प्रति किये गये दुर्व्यवहार की शिकायत की थी ? यदि हां, तो सरकार उक्त अधिकारी के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

आजमगढ़ जिले में बसही निवासी श्री उमाशंकर तिवारी के यहां सशस्त्र डकैती तथा डकैतियों को रोकने के लिये काम

*९०—**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के थाना निजामाबाद में पिछले सप्ताह में बसही ग्राम में एक सशस्त्र डकैती हुई और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, १८-१९-१२-५७ की रात्रि को ग्राम बसही बन्दे दासपुरे के श्री उमाशंकर तिवारी के घर पर सशस्त्र डकैती पड़ी लेकिन इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई।

*९१—**श्री विश्रामराय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के किन-किन थानों में पिछले चार माह में सशस्त्र डकैतियां हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ जिले में पिछले चार महीनों में थाना अहरौला, अतरौलिया तथा निजामाबाद के अन्तर्गत सशस्त्र डकैतियां पड़ी हैं।

*९२—**श्री विश्राम राय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन सशस्त्र डकैतियों को रोकने का क्या उपाय किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन डकैतियों को रोकने के लिये ग्रामरक्षा समितियों का पुनःसंगठन किया जा रहा है और अच्छे व्यक्तियों को बन्दूक के लाइसेंस देने की व्यवस्था की जा रही है। देहातों में गश्त करने के लिये डकैती गार्ड लगाए गए हैं। जिस डाकू गिरोह ने ये डकैतियां डाली हैं उसके ४ प्रमुख व्यक्ति पकड़ लिये गये हैं तथा शेष को पकड़ने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

शाहजहांपुर जिले में कोतवाली तथा सदर बाजार थानों के अन्तर्गत विभिन्न घटनाएं

*९३—**श्री अशफाक अली खां** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि शाहजहांपुर में थाना कोतवाली और थाना सदर बाजार के इलाकों में जनवरी, १९५५ से अब तक कितनी वारदातें कत्ल, डकैती, रहजनी, नकबजनी, चोरी की हुईं और कितनों में पुलिस ने Final Report लगाई, कितनों में चार्जशीट लगाई और कितने अदालतों से छूटे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४४४ पर)

*९४—**श्री अशफाक अली खां**—क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि नवम्बर, दिसम्बर, १९५७ में कितनी रिपोर्टें नक्सअमन (Breach of peace) की शाहजहांपुर थाना कोतवाली में हुईं और उनमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नवम्बर, १९५७ में ३ रिपोर्टें हुईं। आवश्यक जांच के उपरान्त जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध ४ अभियोग धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत न्यायालय भेजे गए।

दिसम्बर, १९५७ में कोई रिपोर्ट नहीं हुई।

*९५—**श्री अशफाक अली खां**—उनमें कितनी रिपोर्टें जमीनों के नाजायज कब्जे के बारे में हुईं और उन पर अलग-अलग क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपर्युक्त तीनों रिपोर्टों में से कोई भी जमीन के नाजायज कब्जे के बारे में नहीं हुई अतः प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

लखनऊ की उत्तर प्रदेशीय स्कूल मैनेजरों की कान्फ्रेन्स में प्रस्तावित कथित स्टेट्यूटरी ग्रांट कमेटी

*९६—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या शिक्षा मन्त्री का ध्यान गत २१ से २३ सितम्बर तक लखनऊ में होने वाली उत्तर प्रदेशीय स्कूल मैनेजरों की कांफ्रेस में पास होने वाले अन्य प्रस्तावों के साथ साथ उस प्रस्ताव की ओर भी आकर्षित हुआ है जिसके द्वारा सरकार से प्रार्थना की गयी है कि वह प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को ग्रांट देने की पद्धति की जांच तथा उनकी व्यवस्था करने के लिये यूनीवर्सिटी ग्रांट कमेटी की तरह एक स्टेट्यूटरी ग्रान्ट कमेटी नियुक्त करने की कृपा करे ? यदि हां, तो शिक्षा मन्त्री उक्त प्रार्थना के सम्बन्ध में कब तक निर्णय करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। २१ से २३ दिसम्बर, १९५७ की लखनऊ कांफ्रेंस में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

बदायूं जिले के सलेमपुर परगने में हाई स्कूल की मांग

*९७—श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना सलेमपुर, तहसील दातागंज, जिला बदायूं में कोई हाई स्कूल है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कुछ प्रबन्ध करना उचित समझती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—परगना सलेमपुर, तहसील दातागंज, जिला बदायूं में एक हायर सेकेण्डरी स्कूल है जिसका नाम संतोष कुमार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गंगोला है ।

देवरिया जिलान्तर्गत खुखुन्दू थाने में हिस्ट्री शीटर के वंशज को आग्नेय अस्त्र का लाइसेन्स

*९८—श्री शिववचन राव (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला के खुखुन्दू थाना और थाना खामपार में से प्रत्येक में कुल कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अग्नि अस्त्रों (Fire arms) के लाइसेंस हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—खुखुन्दू तथा खामपार थानों में क्रमशः ५६ व ६९ व्यक्तियों के पास अग्नि अस्त्रों (Fire arms) के लाइसेंस हैं ।

*९९—श्री शिववचन राव—क्या यह सच है कि देवरिया जिला के खुखुन्दू थाना के क्षेत्र में कुछ ऐसे लोगों को बन्दूकों का लाइसेंस प्राप्त है जिनके निजी परिवार के सदस्य हिस्ट्री शीटर हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । एक लाइसेंसी ऐसे हैं ।

*१००—श्री शिववचन राव—यदि हां, तो उनके लाइसेंस जब्त करने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । क्योंकि उक्त लाइसेंसी द्वारा अपने शस्त्र के दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं है ।

*१०१—श्री लक्ष्मणराव कदम—[दसवें गुरुवार में प्रश्न संख्या १०५ से स्थानान्तरित किया गया ।]

इटावा जिले की बिधूना तहसील में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेन्स

*१०२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले की बिधूना तहसील में फायर आर्म्स के कितने लाइसेंस हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बिधूना तहसील में फायर आर्म्स के कुल २१६ लाइसेंस हैं ।

गोंडा जिले में कत्ल और डकैतियां

*१०३—श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिलान्तर्गत १ जनवरी, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५६ तक कितने कत्ल तथा कितनी डकैतियां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—५४ कत्ल तथा १३ डकैतियां ।

*१०४—श्री बलदेव सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनमें से कितने में पुलिस ने चालान किया और कितने में फाइनल रिपोर्ट लगाई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कत्ल के ४४ मामलों में चालान किया गया और १० में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई। डकैती के सभी मामलों में चालान हुआ। फाइनल रिपोर्ट किसी में नहीं लगी।

जौनपुर जिला बोर्ड की अप्रशिक्षित अध्यापकों को ट्रेनिंग से मुक्त करने की कथित सिफारिश

*१०५—श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिला बोर्ड ने ३ सितम्बर, १९५७ ई० को सरकार से यह सिफारिश की थी कि जिले में जो अप्रशिक्षित (ऐडल्ट) टीचर १० वर्ष से अधिक कार्य कर चुके हैं उन्हें ट्रेनिंग से मुक्त किया जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*१०६—श्री गज्जू राम (जिला झांसी)—[स्थगित किया गया।]

अप्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में आदेश

*१०७—श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोई आदेश उनके विभाग से सन् १९५६ या १९५७ में इस आशय का जारी हुआ है कि सम्पूर्ण अनट्रेंड अध्यापक, अध्यापिकाओं को ट्रेंड होना आवश्यक है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*१०८—श्री इन्दुभूषण गुप्त—यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२ सम्बन्धित पत्रों की प्रतियां †प्रस्तुत हैं।

*१०९—श्री इन्दुभूषण गुप्त—क्या जो अध्यापक या अध्यापिकायें ५ वर्षों से अधिक से अध्यापन कार्य कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग से मुक्त करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

आगरा विश्वविद्यालय को समाज विज्ञान तथा हिन्दी संस्थान के संचालन के लिये अनुदान

*११०—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी में जो सामान्य विज्ञान की कक्षायें खुली हैं उनके संचालन के लिये सरकार ने क्या आर्थिक सहयोग दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आगरा विश्वविद्यालय में सामान्य विज्ञान की कोई कक्षायें नहीं खोली गई हैं। विश्वविद्यालय ने समाज विज्ञान की एक संस्था स्थापित की है। शासन ने समाज विज्ञान को १९५७-५८ में ३५,००० रुपये का आवर्तक अनुदान तथा ५०,००० रुपये का अनावर्तक अनुदान दिया है।

*१११—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या अहिन्दी प्रदेशों के विद्यार्थियों को हिन्दी सिखाने के लिये आगरा यूनिवर्सिटी में कक्षायें खोलने की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है और सरकार इस के व्यय का वहन किस प्रकार करेगी ?

---

† नोट—प्रतियां छापी नहीं गईं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । आगरा विश्वविद्यालय ने एक हिन्दी संस्थान का संचालन किया है । इसके उद्देश्य की सूची संलग्न है । शासन ने विश्वविद्यालय को इस संस्था के संचालन के लिये १९५६-५७ में आवर्तक १५,००० रुपये तथा अनावर्त्तक १,७६,००० रुपये और १९५७-५८ में २०,००० रुपये आवर्त्तक तथा ५०,००० रुपये अनावर्त्तक अनुदान दिया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४४५ पर)

आजमगढ़ जिले में पुलिस फोर्स

*११२—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में सन् १९४१ में पुलिस फोर्स कितनी थी और वर्तमान समय में कितनी है ? क्या यह सही है कि सन् १९४१ के मुकाबले में १९५७ में जिले में अपराधों की संख्या अधिक है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

जी हां ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४४६ पर)

शाहजहांपुर जिले में विभिन्न अपराध संबंधी घटनायें

*११३—**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में १ जनवरी, १९५७ से ३१ अगस्त, १९५७ तक कितनी—(१) डकैतियां, (२) राहजनी, (३) कत्ल और (४) चोरियां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में शाहजहांपुर जिले में २२ डकैतियां, २३ राहजनी, ३५ कत्ल तथा ५११ चोरियां हुईं ।

*११४—**श्री देवनारायण भारतीय**—क्या सरकार वर्ष १९५६ के भी इसी बीच के इन्हीं जुर्मों के आंकड़े देने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१ जनवरी, १९५६ से ३१ अगस्त, १९५६ तक शाहजहांपुर जिले में १४ डकैतियां, १४ राहजनी, ४२ कत्ल तथा ४६९ चोरियां हुईं ।

शाहजहांपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*११५—**श्री देवनारायण भारतीय**—क्या सरकार शाहजहांपुर जिला के उन राजनीतिक पीड़ितों की सूची जिनको १९४५ से अब तक राजनीतिक पेन्शन देना सरकार ने स्वीकार किया है सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिसमें यह भी ब्योरा हो कि उनको कितनी पेन्शन दी जाती है और कब से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी सूची सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना तथा सदन के सामने रखना अशोभनीय है । यदि माननीय सदस्य किसी व्यक्ति विशेष के लिये जानना चाहें तो मेरे कार्यालय में देख सकते हैं ।

*११६-११७—**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण नवें बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ५७-५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*११८—**श्री मदन पाण्डेय** (जिला गोरखपुर)—[९ अप्रैल, १९५८ ई० के लिये स्थगित किया गया ।]

अलीगढ़ जिले के महदेअली गांव की डकैती में श्री शंकरपाल सिंह आदि के विरुद्ध गलत नामजद रिपोर्ट कराने के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*११९—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज के गांव महदेअली में २६/२७ अक्टूबर को पड़ी डकैती में श्री शंकरपाल सिंह आदि के विरुद्ध गलत नामजद रिपोर्ट कराने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस डकैती के संबंध में जो लिखित रिपोर्ट थाने में दी गई थी उसमें श्री शंकरपाल सिंह आदि को मुलजिम नामजद किया गया था। इस संबंध में श्री शंकरपाल सिंह ने कई प्रार्थना-पत्र दिये जिनमें उन्होंने अपनी तथा अपने भाइयों की नामजदगी का कारण रंजिश इत्यादि बताया था। रिपोर्ट में की गई नामजदगी तथा श्री शंकरपाल सिंह के प्रार्थना-पत्रों की उचित जांच की गई।

*१२०—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या यह सच है कि उक्त डकैती के असली मुलजिमान मय माल के गिरफ्तार हो गये थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस संबंध में पुलिस ने दिसम्बर, १/२, १९५७ को दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। किसी भी मुलजिम के कब्जे से इस डकैती का माल अब तक की जांच से बरामद नहीं हुआ है।

*१२१-१२२—**श्री शिवराज बहादुर** (जिला बरेली)—[९ अप्रैल, १९५८ ई के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

सहारनपुर जिले में जे० टी० सी० अध्यापकों को नया वेतन ग्रेड न मिलना

१—**श्रीमती शकुन्तला देवी** (जिला सहारनपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९५५ में जे०टी०सी० ट्रेन्ड मास्टरों का प्रारम्भिक ग्रेड ६० रु० मासिक से शुरू करने का आदेश जो दिया था वह प्रदेश के किन किन जिलों में अभी तक लागू नहीं किया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह आदेश सभी जिलों के लिये लागू है किन्तु यह ज्ञात हुआ है कि कहीं-कहीं जिला परिषद् कुछ शिक्षकों को नया ग्रेड नहीं दे रहे हैं।

२—**श्रीमती शकुन्तला देवी**—क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि सहारनपुर जिला बोर्ड में जे० टी०सी० अध्यापकों को अब तक भी यह ग्रेड नहीं दिया गया? यदि हां, तो उसका क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। कुछ नये अध्यापकों को नहीं दिया गया है। इस संबंध में परिषद् से आवश्यक पत्र-व्यवहार हो रहा है।

अध्यापकों को वेतन वृद्धि देने के लिये प्रतापगढ़ जिला बोर्ड की आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना

३—**श्री हरकेश बहादुर** (जिला प्रतापगढ़)—क्या प्रतापगढ़ जिला बोर्ड ने सरकार से अध्यापकों के इंक्रीमेंट के संबंध में कुछ रुपया मांगा है? यदि हां, तो कितना और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हां। १,९५,२६१ रुपया।

सरकार ने परिषद् को १,९५,३०० रुपये का अनुदान अध्यापकों को अवशेष इंक्रीमेंट तथा अवशेष मंहगाई भत्ता भुगतान करने के हेतु निम्नवत् प्रदान किया —

वर्ष	प्रदत्त अनुदान की राशि रुपया
१९५५–५६	१,७८,०००
१९५६–५७	१७,३००
योग ..	१,९५,३००

आगरा जिले में पिछड़े व परिगणित वर्ग के लोगों की कान्स्टेबिलों में भर्ती

४—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में जून सन् ५६ से दिसम्बर सन् ५७ तक कितने व्यक्ति पुलिस कान्स्टेबिली में भर्ती किये गये? उनमें क्रमशः पिछड़े वर्ग तथा परिगणित जाति के कितने थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आगरा जिले में जून सन् १९५६ से दिसम्बर सन् १९५७ तक कुल ११५ कान्स्टेबिल भर्ती किये गये जिनमें से २६ पिछड़े वर्ग के हैं और १ परिगणित जाति का है।

प्रश्नों का उत्तर विलम्ब से मिलने की शिकायत

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैं प्रश्नों के संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमें उत्तर पुलिस विभाग से यहीं सदन में मिले हैं। प्रति दिन ये उत्तर सदन में दिये जाते हैं। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि इस संबंध में हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है कि प्रश्नों का उत्तर कुछ समय से पूर्व न दे कर सदन में दिया करते हैं।

श्री अध्यक्ष—यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि कुछ विभागों से बहुत देर से उत्तर आते हैं। मेरे पास एक फेहरिस्त है जिस में २५–३० सवाल हैं। इन प्रश्नों के जवाब माननीय गृह मंत्री के विभाग से आज सुबह ९–३५ पर मेरे दफ्तर में आये हैं। दफ्तर कल रात को करीब ७–५० तक खुला रहा। एक दिन पहिले शाम तक भी उनके जवाब दिये जाते हैं तो दफ्तर में हम उनको स्वीकार कर लेते हैं लेकिन आज ९ बजकर ३५ मिनट पर जब उत्तर आवे तो माननीय सदस्यों को वह कैसे वितरित हो सकते हैं, यह दिक्कत है।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, आपकी आज्ञा पहले ही हो चुकी थी कि प्रश्नों के उत्तर थोड़े जल्दी भेजे जायं ताकि वे प्रश्नकर्त्ताओं के पास भेजे जा सकें। इसकी मैं पूरी चेष्टा करता हूं। परन्तु आपकी आज्ञा से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यदि श्रीमन्, देखें तो एक-एक दिन के लिये १२५,१०० और ११५ के लगभग प्रश्न हो जाते हैं और मैं भी रात में ९–१० बजे तक देखता रहता हूं कि उत्तर जल्दी से पहुंच जायं। उसमें थोड़ा सा विलम्ब इसलिये हो जाता है कि बहुत अधिक उनकी संख्या हो जाती है। फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इसकी चेष्टा करूंगा।

श्री अध्यक्ष—जो १२५ या १२० प्रश्न हो जाते हैं तो वे १०,१५ दिन पहले मंत्रियों के पास भेजे जाते हैं। इतनी संख्या में अल्पसूचित प्रश्न तो नहीं होते हैं। यह तो साधारण तारांकित प्रश्न १०,१५ दिन पहले आपके यहां जाते हैं और हफ्ते में एक ही रोज एक मंत्री के लिये निश्चित है। तो मैं समझता हूं कि इतने समय में उत्तर आसानी से आ सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---आपकी आज्ञा से मैं इतना निवेदन करूं कि इसमें तफसील का सवाल रहता है और खासकर पुलिस विभाग से उनको मंगाना पड़ता है कि कितनी डकैती इत्यादि हुई।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं उत्तर एक रोज पहले आ जाने चाहिये। नहीं तो आप उन्हें मुल्तवी करने के लिये कह सकते हैं क्योंकि यदि इतनी देर में उत्तर हमारे दफ्तर में आवें तो इतने कम समय में माननीय सदस्यों को पूरक प्रश्न की तैयारी का कोई मौका नहीं रहेगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मैंने अपने प्रश्नों को मई सन् ५७ में दिया था उनका उत्तर अब ५८ में आया है। मेरा प्रश्न था कि जनवरी के महीने में मथुरा जिले में ओले पड़े हैं तो उन किसानों के लिये सरकार क्या करने जा रही है? तो मुझे श्रीमन्, उत्तर मिला कि मथुरा जिले में ओला ही नहीं पड़ा। इस बूढ़े का खयाल करके जरा उत्तर जल्दी से दे दिया करें तो बड़ी कृपा हो।

श्री अध्यक्ष---आप अगर ऐसे प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो मेरे कमरे में आकर मुझे बता दें तो मैं उत्तर प्राप्त करने के लिये चेष्टा करूंगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---मैं आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं कि जब हम कोई कामरोको प्रस्ताव किसी विषय पर लाते हैं तो आपका यह निर्णय हो जाता है कि हम शार्ट नोटिस क्वैश्चन करें और कामरोको प्रस्ताव डिसएलाऊ हो जाते हैं। शार्ट नोटिस क्वैश्चन का उत्तर एक अवधि के अन्दर प्राप्त होना चाहिये लेकिन मेरे शार्ट नोटिस क्वैश्चन को १२ दिन हो गये हैं और अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था इस विषय में चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैंने इस विषय में व्यवस्था दी थी वह आपको याद नहीं रही। अगर आप यह समझते हैं कि बहुत महत्व का विषय है और उसमें कामरोको प्रस्ताव देना उचित न हो तो ऐसी अवस्था में आप मेरा ध्यान आकर्षित करें तो मैं मंत्री महोदय को लिख कर भेज दूंगा कि अल्पसूचित प्रश्न शीघ्र ही स्वीकार कर लेने की कृपा करें। अगर यह संभव होता है, यानी यदि उनके दफ्तर में जानकारी होती है तो वे प्रश्नों को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई प्रार्थना सदस्यगण भेजते नहीं हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---जो काम रोको प्रस्ताव मेरे पास आये थे मैंने उनको नामंजूर कर दिया है। उन में कई तो ऐसे विषयों में थे कि जो आज के अनुदान में उठाये जा सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको मैं पुराने हो जाने की वजह से स्वीकार नहीं कर सकता। उनका विषय बहुत पुराना हो गया है। तो ऐसी अवस्था में मैं उनको पढ़ कर सुनाता नहीं हूं और इसकी सूचना, जिन माननीय सदस्यों ने उन्हें भेजा था, उनको दे दी गई है।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

विभिन्न अनुदानों के लिये समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष---समय विभाजन के संबंध में सुझाव यह है कि अनुदान संख्या १७ पर कल दोपहर तक विचार हो, सवा बजे तक और शिक्षा का अनुदान कल दोपहर से प्रारम्भ होकर २१ तारीख की शाम तक चले और २२ तारीख को अनुदान संख्या ४० पर विचार हो। बाकी अनुदानों पर बहस नहीं होगी। यह सुझाव नेता विरोधी दल ने आपस में तय कर के मेरे पास भेजा है। मैं समझता हूं कि इस में किसी को आपत्ति नहीं है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---अगर आप दोबारा पढ़ दें तो कृपा हो।

श्री अध्यक्ष—कल सवा बजे तक अनुदान संख्या १७ पर विवाद हो .....

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—कल का आधा समय होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, यानी कल ३ बजे तक इस अनुदान संख्या १७ पर विवाद होगा और उसके बाद से परसों २१ तारीख की शाम तक शिक्षा का जो अनुदान है, संख्या १८, वह चलेगा। २२ तारीख को अनुदान संख्या ४०—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का जो है वह चलेगा और बाकी अनुदान संख्या १६,२६ और ४६ जो हैं, उन पर कोई बहस नहीं होगी। तो यह निश्चित हुआ।

अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुदान संख्या १७—पुलिस—लेखा शीर्षक २९—पुलिस के अन्तर्गत ८,९०,८९,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

माननीय, आपकी आज्ञा से एक ऐसे विभाग का बजट प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिसे कोई डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं कह सकता। यह एक ऐसा विभाग है जिसका खर्चा भी प्रायः रुटीन सा खर्चा है और जिस खर्चे का बहुत बड़ा परिमाण अधिकारियों के वेतन उनके भत्ते, पुलिस प्रशासन के लिये आवश्यक सामग्रियों, अस्त्र-शस्त्र इत्यादि पर खर्च होता है। यद्यपि न तो इस विभाग का किसी डेवलपमेंट विभाग से विशेष संबंध है, न इसमें कोई नयी नयी स्कीमें आती हैं, न कोई योजनायें चलती हैं किन्तु यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट की बुनियाद कहा जा सकता है। यदि शांति और व्यवस्था, अमन और कानून, और लोगों की सुरक्षा का इन्तजाम न हो और लोगों के हृदय में यह विश्वास न हो कि वह अपने जीवन की और अपनी इज्जत की रक्षा कर सकेंगे और शांति के साथ जीवनयापन कर सकेंगे तो उनके विकास अथवा उन्नति के कार्य भी नहीं हो सकते। सारे डेवलपमेंट कार्यों के लिये यह आवश्यक है कि आंतरिक शांति और सुरक्षा बनी रहे, लोगों में एक प्रकार का विश्वास हो, अपने अस्तित्व के संबंध में। इसलिये पुलिस का विभाग डेवलपमेंट विभाग न होते हुये भी समस्त डेवलपमेंट के कार्यों के लिये आधार के रूप में आवश्यक हो जाता है।

हमारे प्रदेश में जो खर्चा इस समय पुलिस के ऊपर हो रहा है वह ऐसा खर्चा है जिसको हम अधिक नहीं कह सकते। यदि माननीय सदस्य कुछ ध्यान से बजट की ओर देखेंगे तो इस बार के अनुदान में जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तुत किया गया है, चालू वित्तीय बर्ष से कमी हुई है। चालू वित्तीय वर्ष में माननीय सदन ने गत वर्ष ९,२४,७८,९०० रुपये की मांग स्वीकार की थी और अब जो वर्ष आगे आने वाला है, जिसके लिये मैं अनुदान को स्वीकार करने की प्रार्थना करने के लिये खड़ा हुआ हूं उसकी धनराशि करीब ८,९०,९४,५०० रुपया है। इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो करीब ३३,८४,४०० रुपये की कमी, इस बार के अनुदान की जो मांग प्रस्तुत की गयी है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष की अपेक्षा हुई है। यह एक विशेष बात इस बार के अनुदान में है और माननीय सदस्य यदि ध्यानपूर्वक बजट के साहित्य के पृष्ठों को उलट कर देखेंगे तो उनको ज्ञात होगा कि यह कमी जो हुई है, वह दो, तीन, चार मदों में हुई है। करीब-करीब १० लाख रुपये की कमी रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस में हुई है जो पहले हमारी थी और जिसकी स्थापना ४८-४९ में हुई थी और यह बराबर गतवर्ष तक चलती रही। अब भारत सरकार की राय से चालू वित्तीय वर्ष में वह भंग कर दी गयी है, उसकी कमी हुई है। २० लाख के करीब जो भारत सरकार से पी०ए०सी० के लिये पावना होता है, अगले वित्तीय वर्ष में उस मद में खर्च न होने के कारण जिसके लिये वह रुपया दिया गया था, उसमें कमी हुई है। कुछ इमारतें जो पुलिस की बननी हैं, उसमें भी १ लाख ३० हजार रुपये की कमी हुई है, जो टेम्पोरेरी चौकीदार थे उनमें भी थोड़ी सी कमी हुई है। इस प्रकार कुल मिलाकर

करीब ३३ लाख ८४ हजार यानी ३४ लाख के करीब इस वर्ष के बजट में रुपये की कमी की गयी है। जो बजट हमारा है वह ८ करोड़ ९० लाख का है। इसमें वह रकम भी शामिल है जो रकम कि भारत सरकार से पी०ए०सी० के लिये प्राप्त करते हैं। हमारी पी०ए०सी० की बटालियन भारत सरकार के आग्रह से यहां अपना एक अस्तित्व रखती है और उनका खर्चा भारत सरकार हमको देती है। गत वर्ष यह रकम करीब १ करोड़ ४ लाख रुपये की थी जो इस वर्ष ८४ लाख रुपये ही रह गयी है। इसका मतलब यह नहीं है कि बटालियन में कोई कमी की गयी है, बल्कि इसका कारण यह है कि २० लाख रुपये के जो साधन, सामान उसके लिये आवश्यक थे वे पिछले वित्तीय वर्ष में ही खरीदे जा चुके हैं, इसलिये अगले वर्ष के लिये ८४ लाख रुपया ही रखा गया है और इस तरह से २० लाख रुपये की कमी हो गयी है। यदि हम भारत सरकार से मिलने वाली रकम को भी अपने बजट में से निकाल दें तो हमारी पुलिस का बजट करीब ८ करोड़ ६ लाख रुपये के आता है। अगर हम इस विषय पर ध्यान दें कि आज हमारे प्रदेश में पुलिस पर जो खर्च हो रहा है, उसका अनुपात हमारे प्रदेश की आमदनी और हमारे प्रदेश के खर्चे की दृष्टि से कितना पड़ता है, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे प्रदेश में आज पुलिस पर जो खर्चा हो रहा है, वह सन् ४६-४७ की अपेक्षा स्टेट रेवेन्यू की दृष्टि से १४.५३ परसेंट खर्च हो रहा है और स्टेट एक्सपेंडिचर की दृष्टि से १३.३ खर्च हो रहा है। सन् ५७-५८ में यह अनुपात ९.६ और ८.५ रहा है और सन् ५८-५९ में यह रेवेन्यू के लिहाज से ८.२ है और एक्सपेंडिचर के हिसाब से ७.९ है। इस प्रकार यह खर्चा जो हम अपने प्रदेश में इसकी आमदनी के ऊपर कर रहे हैं, उसका अनुपात सन् ४६ की अपेक्षा बराबर कम होता गया है। यह सही है कि सन् ४६ से हमारा खर्चा सन् ५८-५९ में बढ़ गया है। सन् ४६-४७ में जो हम पुलिस पर खर्च करते थे, वह करीब ४ करोड़ ४५ लाख रुपये था, वह इस वर्ष ८ करोड़ ५ लाख के करीब है, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था। यदि हम इस पर भी ध्यान दें कि हमारा खर्चा क्यों बढ़ा तो हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि विशेष रूप से हमारे फोर्स में कोई बहुत वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि उनके वेतन, उनके भत्ते और कुछ और सुविधायें उनको प्रदान करने में जो व्यय भार आपने बढ़ाया है उसी से यह रकम बढ़ती है।

कुछ रकम हमारे पी० ए० सी० की स्थापना से बढ़ी है जो आज हमारे यहां स्थापित है और मौजूद है। अपने वेतन और भत्ते के रेट्स को अगर हम देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जो वेतन हमारे कान्स्टेबिल और हेड कान्स्टेबिल को सन् ४७ में मिलता था उसमें वृद्धि हुई है और उनके भत्ते में भी वृद्धि हुई है और आप ने उनके लिये कुछ और नये भत्ते भी मंजूर किये हैं। इसमें एक बड़ी रकम खर्च होती है और पी० ए० सी० के ऊपर भी खासी रकम खर्च होती है और यही कारण है विशेष रूप से हमारे खर्च के बढ़ने के। इस प्रकार के बजट में २-३-४ प्रकार की विशेष सुविधायें भी रखी गई हैं, जिन्हें हम पुलिस विभाग के लोगों को देना चाहते हैं। एक रकम बहुत बड़ी रकम है करीब ढाई लाख की जो कि तात्कालिक सहायता के लिये पुलिस परसानेल की एक रकम है एस०पी० के संबंध में २ लाख ५५ हजार के व्यय की, एक सब-इंसपेक्टर्स के वर्दी एलाउन्स के बारे में है। एक और टोकिन मांग है, जो आग बुझाने की योजना के विस्तार के लिये है, वह शीघ्र ही चालू होगी। उसकी स्वीकृति सदन से प्राप्त हो जाय, उसके लिये टोकिन मांग रखी गयी है। कुछ और थोड़ी सी एमिनिटीज हैं जिन्हें हम देना चाहते हैं जैसे कि मकानों का भत्ता पुलिस के आदमियों को कानूनन मिलना चाहिये या फ्री रेजीडेंस मिलना चाहिये परन्तु हमारे पास ऐसी इमारतें नहीं हैं लिहाजा उनको मकान का भत्ता दिया जाता है, उस में भी हम ने वृद्धि की है और कबाल टाउन्स में और मध्य श्रेणी के शहरों में जो भत्ता अब तक दिया जाता था उस में भी वृद्धि की गई है। इन एमिनिटीज के कारण भी बजट में वृद्धि हुई है और आशा की जाती है कि इससे उन लोगों को कुछ थोड़ी बहुत राहत मिल सकेगी। मोटे तौर से

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

बजट का यही स्वरूप है और जैसा कि मैंने निवेदन किया इस अवसर पर मैं बहुत अधिक समय सदन का नहीं लेना चाहता क्योंकि जो प्रश्न उठेंगे उनका उत्तर हमें बाद में देना है, जिसमें बहुत सी बातें आ जायंगी। अब केवल एक दो बातों की ओर मैं सदन का ध्यान और आकर्षित करूंगा।

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि यह पुलिस विभाग ऐसा है कि जिसके संबंध में बहुत सी शिकायतें होती हैं और उन में से बहुत सी शिकायतें जा भी होती हैं। जो कुछ शिकायतें जहां कहीं से आ जाती हैं और जिस तरह की शिकायतें होती हैं उनकी जानकारी हमको भी है और आपको भी है। वह अच्छा काम करें तो उसकी तारीफ बहुत कम होती है लेकिन जो शिकायत होती है उसकी चर्चा भी बहुत होती है। जिस तरह की शिकायतें होती है उनको मैं दोहराना नहीं चाहता और जो ऐसी हैं कि जिन्हें हम बार-बार इस सदन में पेश करते रहते हैं। मैं इस समय केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश में आज जो पुलिस है उस में जहां कहीं कमी हो उसको दूर करने में, जितनी उत्सुकता आप में है उतनी ही हम में है और जितने उत्सुक हम हैं हम समझते हैं उतनी ही उत्सुकता आप में भी होगी। पुलिस का काम अब बहुत टेढ़ा काम होगया है। एक जमाना था जब पुलिस के सामने सिवा शान्ति और व्यवस्था की रक्षा के कोई और दूसरी जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं थी। परदेशी राज्य के जमाने में जो पुलिस यहां थी उसकी दृष्टि में शान्ति और व्यवस्था की परिभाषा भी बहुत संकुचित थी, वह रक्षा थोड़े से राज्य कार्यों तक ही परिमित थी और विशेष रूप में जिन्हें वह सरकार विरोधी या विद्रोहात्मक कार्य कहते थे, केवल इसी दृष्टि से पुलिस का संचालन किया जाता था। आज हमारे यहां जनता का राज्य स्थापित है और पुलिस के ऊपर शान्ति और व्यवस्था की स्थापना के साथ कुछ और भी जिम्मेदारियां आई हैं, इस परिवर्तित परिस्थिति में एक परिवर्तित आचरण अपेक्षित है, आज शान्ति और व्यवस्था की परिभाषा भी हमारे यहां व्यापक हो गई है क्योंकि आज उनका कर्तव्य केवल अमनोअमान की रक्षा ही नहीं रह गया है बल्कि जन-जीवन की सुरक्षा और केवल इतना ही नहीं वरन व्यक्ति और व्यक्तित्व के सम्मान की रक्षा, उनकी जो एप्रोच हो, जो उनके काम करने का ढंग हो उसमें परिवर्तन जो नयी व्यवस्था स्थापित हुई है उसके अनुसार इस प्रकार के कार्यों से अपराधों का निरोध और इस ढंग से अपराधों का निरोध जो हमारे कानून की दृष्टि से, और हमारी जो आन्तरिक भावनाएं हैं और आज के समाज के लिए जो हमारे विचार हैं, उनके अनुकूल हों। यह सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गयी है और जैसा कि हम और आप जानते हैं यह काम कठिन होता है। बड़ी कठिनाई में वह काम करते हैं। उनके ऊपर न केवल उत्तरदायित्व का बोझ है बल्कि काम का बोझ भी बढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो उनमें दोष हों उन दोषों का परिहार हमें करना है और जहां कहीं इस प्रकार की त्रुटियां हों उनके सहयोग से, अपने जन समाज के सहयोग से उन त्रुटियों को दूर करना है। पर इसे हम सब स्वीकार करेंगे कि उसके दूर करने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे त्रुटियां दूर हों न कि जिनके ऊपर हमने काम का बोझ डाला है, जिनसे हम कठिन कार्य लेते हैं, जिनके ऊपर हमने नई जिम्मेदारियां डाल दी हैं और जिनके ऊपर पुरानी परम्पराओं को बदलने के लिए हम आगे बढ़े हैं, उनकी इस प्रकार से टीका टिप्पणी हो कि उनका हृदय भी टूट जाय, शक्ति भी चूर हो जाय, और कदाचित् उनमें काम करने का साहस भी न रहे। आज हमारे प्रदेश की जो पुलिस है उसकी तारीफ दूसरे प्रदेशों में भी है। जहां कहीं वह गयी है उन के कार्य के ढंग से, उनके रवैये से, लोगों को प्रसन्नता हुई है। उसकी तारीफ भी हुई। आज कतिपय प्रदेशों में हमारी पी० ए० सी० गयी हुई है। जिन कठिनाइयों में वह काम कर रहे हैं उनके कार्य के ढंग को, अच्छा ढंग समझा जाता है, और प्रशंसा की जाती है और यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस देश में एक अच्छे प्रकार की पुलिस है।

आज हमारे सूबे में अपराध हो जाते हैं। कोई इसे अस्वीकार नहीं कर सकता कि हमारे यहां अपराध की कोई बहुत कमी हो गयी है। पर यह भी कोई नहीं कह सकता कि अपराधों की संख्या में भयंकर वृद्धि हुई है। मैं अभी देख रहा था १९४६-४७ में जो अपराधों की संख्या है उससे १९५५-५६ और १९५७-५८ में अपराधों की संख्या कम हुई है। हमारा पुलिस फोर्स ऐसा लगता है कि और प्रदेशों की अपेक्षा कम है, पैसा भी कम खर्च करते हैं। बम्बई और बंगाल को देख लें तो उनका करीब १.१, एक हजार पर पुलिस पड़ती है। हमारे यहां पर एक हजार पर ·९७ है (पौन के करीब) यह हमारी संख्या है जो अन्य बड़े प्रदेशों के मुकाबले में जहां आबादी कम है हमसे, जहां का विस्तार भले ही कुछ भौगिक अधिक हो पर आबादी की संख्या जहां कम है वहां का अनुपात अधिक है। जहां हमारी पुलिस फोर्स ६०-६५ हजार है बम्बई में ७५ हजार है। खर्चा भी उनका अधिक है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हमारे यहां जो उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए काम किया है और कर रहे हैं वह ऐसा नहीं है जिसे हम स्वीकार न करें। यह बात सही है कि आज जहां कहीं भी अपराध हों, उन्हें रोकने की हमें चेष्टा करनी है। जहां कहीं थोड़े बहुत भी अपराध हों जायं तो हमारे लिए खेद, दुख और कभी-कभी लज्जा की बात हो जाती है। उससे मुकाबला करना और रोकना एक ऐसे युग में जब जनतन्त्र की स्थापना हुई है, अत्यन्त आवश्यक शर्त है और प्रदेश की सुरक्षा क लिये आधार भूत, मौलिक बात है, यह स्वीकार करते हुए जिस प्रकार आज की कठिनाइयों में वह काम कर रहे हैं उनकी विषम परिस्थितियों को देखते हुए आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे प्रदेश के पुलिस के प्रशासन में दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा किसी तरह की कमी है। मैं किसी से तुलना नहीं करता, अपने प्रदेश को किसी से बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बताने की चेष्टा भी नहीं करता, यह उचित भी नहीं है, केवल इतना कह सकता हूं कि अन्य स्थानों की अपेक्षा हमारे यहां का प्रशासन अच्छा है। भविष्य में अधिकाधिक अच्छा होता जाय, इसकी चेष्टा हम कर रहे हैं। आज तो आपके द्वारा इस सदन के माध्यम से मैं अपने आदरणीय बन्धुओं को जो इस माननीय सदन में बैठे हुए ह उनसे भी और जो पुलिस के विभाग के लोग हैं उनसे भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की उन्नति और विकास के लिये और प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति को सामने रखते हुए यह आवश्यक है कि हम सब इस बात की चेष्टा करें कि यह प्रशासन दिन प्रतिदिन उन्नत होता चला जाय। अपराधों की संख्या अधिक न हो। फिर भी जो है वह हमारे लिए ऐसी है कि जिस पर हमें खेद या ग्लानि होती है। उसे रोकने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम है सारे देश में। हमारा देश और हमारे देश की जनता उसकी ओर देखती रहती है। हमारा प्रदेश अधिक से अधिक उपयोगी हो, सफल हो, समर्थ हो और पवित्र हो इस बात की चेष्टा हम सब को मिलजुल कर के करनी है और उसमें हम सब का सहयोग अपेक्षित है। इन थोड़े से शब्दों के साथ और इस विचार से कि आप इस पर टीका-टिप्पणी करें, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि ऐसे सुझाव दें जिससे कि जो कुछ त्रुटियां हैं उनको दूर करने की हम चेष्टा करें। बार बार त्रुटियों का उल्लेख कर देने मात्र से त्रुटियों का परिहार न होगा, प्रत्युत् इस बात का सुझाव हमें मिले कि किस प्रकार हम और विकसित करें अपने इस प्रशासन को, किस प्रकार आप समझते हैं कि आज के परिवर्तित युग में अपेक्षित है हमारे सुधार, उनकी तरफ जो भी ध्यान आकर्षित किया जायगा और सुझाव दिया जायगा, सरकार उनके ऊपर नम्रतापूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक, और गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी। और इस प्रकार टीका-टिप्पणी हो जिससे कि सुधार की ओर हम बढ़ सकें न कि एक कुधार की धारणा रहे कि जिससे कि हमको कोई लाभ भी न पहुंचे और जो आपका लक्ष्य है वह लक्ष्य भी हम अधिक पूरा न कर सकें। मान्यवर, अब अधिक समय मै लेना नहीं चाहता और मैं बड़ी उत्सुकतापूर्वक और बड़े आदर के साथ और बड़ी नम्रतापूर्वक आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों की बातें सुनूंगा और कल फिर जब हमको कुछ उत्तर देने का अवसर आयेगा तो उत्तर

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

देने की चेष्टा करूंगा और यह देखता रहूंगा कि इस व्यवस्था के सुधारने के लिये और इसे अधिक उपयोगी और उन्नत और विकसित बनाने के लिए हमें क्या सुझाव मिलते हैं रचनात्मक और फिर उन पर विचार करने की चेष्टा करूंगा। मैं आपकी आज्ञा से यह अनुदान आदरणीय सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या १७—पुलिस—जेल शीर्षक २९—पुलिस के अन्तर्गत ८,९०,८९,५०० रुपये की मांग में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके पहले जैसा गृह मन्त्री जी ने कहा है कि त्रुटियों के लिए सुझाव रखा जाय, मैं चन्द बातें आपकी आज्ञा से अर्ज करना चाहता हूं। मुझे आप यह कहने का अधिकार दें, मन्त्री जी ने कहा है कि उनका दिल टूट जायगा लेकिन सत्य को छिपाकर के किसी को सुझाव नहीं दिया जा सकता। मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन निष्प्राण है, अप्रभावकारी है और शान्ति की व्यवस्था को इस प्रदेश में कायम रखने में पूर्णरूप से असफल रहा है। कुछ इसके उदाहरण समय समय पर इस सदन में दिये गये हैं। अभी दूसरे प्रदेशों से मुकाबिला करते हुए गृह मंत्री जी ने कहा कि हम उनसे अच्छे हैं। लेकिन अभी कल हमारी दूसरे प्रदेश के मुकाबिले में नाकामयाबी और शर्मिन्दगी सिद्ध हुई है। जिस जिले से मैं आता हूं बलिया जिले से पिछले कई महीने से प्रत्येक प्रभात कई कत्ल या डाकों की खबर लेकर आता था, यह सारी परेशानी है। बहुत बड़ा डाकू था जिसका अधिक से अधिक आपरेशन उत्तर प्रदेश में होता था और अधिक से अधिक डाके और कत्ल उसके ग्रुप वालों ने उत्तर प्रदेश में ही किये हैं लेकिन सौभाग्य की बात है कि बिहार की पुलिस ने दो दिन पहले उसकी हत्या की है। अभी उसके दल के लोग बाकी हैं। लेकिन हमारी पुलिस का कोई प्रभावकारी प्रयास उसके दल के लोगों को पकड़ने या मारने में नहीं हो सका।

सदन में, अध्यक्ष महोदय, कहने सुनने के सारे प्रयास आप के प्रयत्न के बावजूद भी असफल रहे। व्यक्तिगत रूप से भी बराबर कहने पर कोई कदम नहीं उठाया गया उस दिशा में। गवाही देने के लिये चौकीदार की टांग काट ली गई। गवाहों की हत्या कर दी गयी। एक गवाह को कोर्ट के दर्वाजे पर अभियुक्त द्वारा धमकी दी जाती है कि अगर बयान दिया तो ठीक नहीं है। पुलिस को लिखित बयान दिया जाता है, सूचना दी जाती है और उसी दिन उस व्यक्ति के परिवार के तीन—तीन व्यक्ति कत्ल कर दिये जाते हैं अभियुक्त के खिलाफ गवाही देने के जुर्म में। संध्या काल में उस आदमी के यहां डकैती पड़ जाती है और २ लड़के और १ भाई की हत्या कर दी जाती है। कहने सुनने के बावजूद भी सरकार ने कोई विशेष कदम नहीं उठाया। गृह मंत्री जी सदन में तो आश्वासन दे देते हैं लेकिन अमली रूप में कोई कदम नहीं उठाया जाता। पी० ए० सी० की बटेलियन जरूर गयी है, लेकिन उसके साथ कोई आफिसर नहीं था और उसके साथ कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था जिसके अन्दर इन डकैतों को पकड़ा जाय और इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। यह स्थिति बलिया जिले की ही नहीं है देवरिया, आजमगढ़ की भी यही स्थिति है। इलाहाबाद के संबंध में आपको मालूम ही है। इस सदन के माननीय सदस्य कल्याण चन्द मोहिले जेल में हैं। वहां एक बहुत बड़ा आन्दोलन चल रहा है। कल्याण चन्द मोहिले के प्रश्नों के उत्तर में माननीय गृह मंत्री जी ने बतलाया कि १ महीने में ४१ चोरियां हुईं। ये तो गृह मंत्री जी के बतलाये हुए आंकड़े हैं। असलियत तो उससे बहुत अलग है। पिछले महीने के अन्त में सिकन्दरपुर थाने में डकैती हुयी लेकिन दफा लिखी गयी ४५७, होती है ३९५—३९६ और लिखा जाता है ४५७। इलाहाबाद में इस तरह से १ महीने के अन्दर ४१ चोरियां हुईं। एक आदमी का मकान ढहा दिया गया। पुलिस थाने के नजदीक

ही वह मकान था लेकिन पुलिस कुछ न कर सकी । इटावा के इस सदन के माननीय सदस्य श्री गजेन्द्रसिंह का मकान लूट लिया गया । डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला हुआ । दो, दो स्ट्रिक्चर्स पास किये लेकिन थानेदार, शिवनाथ तिवारी की तरक्की हुई । उसकी तनज्जुली नहीं हुई । फर्स्ट क्लास पुलिस स्टेशन पर उनको लगाया गया ।

इसी प्रकार अलीगढ़ से एक लम्बी लिस्ट मेरे पास है कि किस प्रकार आतंक वहां व्याप्त है । समय नहीं है वर्ना आपके समक्ष उसे पढ़ता । अभी इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य गेंदा सिंह जी ने बतलाया कि तरयां सुजान के थानेदार ने गांव सभा के सभापति को पीटा । इसलिये पीटा कि वह झूठी शहादत नहीं देना चाहते थे । माननीय गेंदा सिंह जी ने बतलाया कि थानेदार ने उनके सामने माना कि उसने मारा है और गवाही दिलाने के लिये मारा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी का दिल टूटने और तबियत बढ़ाने की बात कही गयी । इसलिये इस विभाग को इतना बहाना मिला है कि उसने यह सोचना शुरू कर दिया कि उसकी जिम्मेदारी शान्ति व्यवस्था कायम करना नहीं है । जितनी अनुशासनहीनता पुलिस के प्रशासन में है उतनी शायद उत्तर प्रदेश में और किसी विभाग में नहीं होगी । जिन कांस्टेबिल और हेड कांस्टेबिल को देश की शान्ति व्यवस्था को कायम रखना है उन्हीं में से ६५ की तादाद में जेल में रखना किसी सरकार के लिये शोभा और शान की बात नहीं है । शर्म की बात ही हो सकती है । जो भी इस प्रकार की कार्यवाहियां हो रही हैं उससे उनके अन्दर असंतोष बढ़ता जा रहा है । सरकार और पुलिस प्रशासन यह समझते हैं कि डंडों के जोर से हम दबा देंगे । जहां तक उनकी मांगों का संबंध है १९४७-४८ में डाक्टर सीताराम की अध्यक्षता में एक पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमेटी बैठी थी । उसके बहुत सारे सुझाव हैं । उन सभी सुझावों को तो मैं आपके सामने पेश नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े से पेश करना चाहता हूं--

"....what we consider reasonable salaries and allowances including travelling allowances for the police which would put them fairly beyond the reach of temptation. We realise, however, that honesty cannot be purchased and there is a point at which the correlation of honesty and increased emoluments ceases. In addition to remedying the economic grievances of the policemen we must therefore improve the quality of his training to benefit him for the role of the guardian of the law."

तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों की ओर सरकार गौर नहीं कर रही है । ६ आने का भत्ता कांस्टेबिल को दिया जाता है और उससे यह आशा की जाती है कि वह ईमानदारी से काम करेगा । तो श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से कहना चाहता हूं कि आज पुलिस के सिपाहियों और कर्मचारियों में जो असंतोष है उसे डंडे से नहीं दबाया जा सकता । जहां तक उनकी यूनियन बनाने की बात है, उनके संगठन बनाने की बात है, मैंने पिछले सदन में बताया था कि किस प्रकार दूसरे प्रजातांत्रिक देशों में जिनके कदमों पर चलकर हम अपने को प्रजातांत्रिक कहते हैं और जिनके पीछे चलने में और उनकी व्यवस्था के अनुसार काम करने में हम अपने को अच्छी व्यवस्था वाला समझते हैं उनके यहां पुलिस के संगठन हैं । और हमारे यहां अगर कोई पुलिस संगठन की बात करता है तो उसका ट्रांस्फर बलिया से झांसी जिले को कर दिया जाता है जहां से आने में एक महीने की तनख्वाह किराये की शक्ल में लग जाती है ।

इस पर अधिक न कह कर मैं केवल इतना कहूंगा कि पुलिस विभाग के भीतर जो असंतोष है उसे मंत्री जी हटाने का प्रयास करें, दबाने का प्रयास न करें । डंडे के जरिये से उनको चुप करने के प्रयास में शासन की कामयाबी नहीं है, नाकामयाबी है और यह असंतोष

[श्री गौरीशंकर राय]

हो सकता है कि दूसरे किसी मार्ग से निकले और उन्हें ऐसा मार्ग अपनाना पड़े जो रुचिकर मार्ग नहीं होगा, अच्छा मार्ग नहीं होगा, लेकिन ऐसी स्थिति आ सकती है। चारों तरफ से एक इमशान की शान्ति पुलिस विभाग में है, उसकी अशान्ति पर वह कब्जा नहीं कर सकते हैं।

इस संबंध में आपकी आज्ञा से मैं यह अर्ज कर दूं कि मंत्री जी ने कहा कि अपराधों में वृद्धि नहीं हुई है। सिर्फ दो साल के आंकड़े पेश कर दूं, १६५५ और १६५७ के।

१६५५ में डकैती की तादाद ८४४ थी और १६५७ में ६०७। राहजनी, १६५५ में ४१४ और १६५७ में ५१७। हत्याएं, १६५५ में १,०४८ और १६५७ में, १,४६८। दंगे, १६५५ में २,४६५ और १६५७ में ३,००२। सेंध लगाने की वारदातें, १६५५ में १६,५०२ और १६५७ में १८,३२८।

यह क्या है? इसी के ऊपर अभी गृह मंत्री ने कहा कि अपराधों में कमी हुई है और यह अपराधों की कमी इस कारण से भी है जिस प्रकार कि आज कल फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट लिखाते समय अपराधों को छिपाया जाता है। तो इस प्रकार से कमी हुई है और इस पर गृह मंत्री कहते हैं कि अपराधों में कमी हो रही है और दूसरे प्रदेशों के कम्पेरीजन में यहां की पुलिस पर उन्हें नाज है। बहुत ज्यादा पढ़ने का समय नहीं है नहीं तो हर वर्ष की रिपोर्ट बता देता।

श्री अध्यक्ष—१६५६ आपने छोड़ दिया।

श्री गौरीशंकर राय—समयाभाव से छोड़ दिया।

जहां तक अन्य केसेज के इनवेस्टीगेशन का सवाल है, उसके संबंध में १६५४ की प्रशासन रिपोर्ट कहती है कि इसका स्तर काफी गिरा परन्तु इसका कारण यह है कि अदालतें जहां उच्च स्तर की गवाही मांगती हैं उसे पेश करना मौजूदा परिस्थितियों में कठिन होता जा रहा है। देहातों में गवाह आम तौर पर धमकियों से डर जाते हैं या लालच में पड़ जाते हैं या अन्य प्रकार के प्रभाव के कारण या अन्य बातों को सोच कर दब जाते हैं। मैं तो अपने जिले की बात कहता हूं कि डकैती के जितने मामले हैं वह सब झूठे चल रहे हैं, एक भी मामले में सजा बिलकुल नहीं हुई। एक मामला जिसमें ८ कत्ल हुए थे जज की अदालत से छूट गया। कोई गवाह नहीं आता, पुलिस में वह दम नहीं है कि उनकी हिफाजत कर सके। जितने बड़े मामलों में पुलिस के गवाह आये या तो उनकी हत्या हुई या उनका अंग भंग हुआ। श्रीमन्, व्यक्तिगत रूप से एक गवाह ने मुझसे कहा कि मेरी हत्या हो जायगी। बहुत मामूली मुकदमे का वह गवाह था, कोई बड़े मुकदमे का नहीं था। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कहा, और अधिकारियों से कहा, लेकिन देखते-देखते उसकी हत्या हो गयी और जो दरख्वास्त उसने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एस० पी० और डी० आई० जी० को दी थी कि मेरी हत्या होने वाली है वह तीनों दफतरों से गायब हैं। बार-बार मैंने उनसे कहा कि उस दरख्वास्त की कापी है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है, आपकी बात याद तो पड़ती है लेकिन कापी नहीं है।

इन्वेस्टीगेशन का जहां तक ताल्लुक है, उसमें डबल ग्रेजुएट्स रखे जाते हैं जो ए० पी० पीज० कहलाते हैं लेकिन एक थानेदार से उनकी तनख्वाह अधिक नहीं होती। इसके अलावा उनका प्रोमोशन भी बन्द है। वे डिप्टी एस० पी० या और कोई गजटेड अफसर नहीं हो सकते भले ही वे डबल ग्रेजुएट हों। उनकी यूनिफार्म की भी कोई व्यवस्था नहीं है जब कि थानेदार के लिये है। तो जब तक इन ए० पी० पीज० की सर्विस कंडीशन्स में कोई सुधार नहीं किया जायगा तब तक इन्वेस्टीगेशन की यही हालत रहेगी। इसके अलावा और भी इन्वेस्टीगेशन की साइड्स हैं जिनकी तरफ सरकार को देखना पड़ेगा।

एक चर्चा इस सदन में बार बार कम्प्लेन्ट्स अफसर के सिलसिले में आती है । मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस डिप्टी एस० पी० (कम्प्लेन्ट्स) का कैरेक्टर रोल एस० पी० साहब भरते हैं ऐसे कम्प्लेन्ट्स अफसरों की जिलों में क्या जरूरत है ? मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि इसमें कोई अत्योक्ति नहीं है कि कांस्टेबिलों को दंड देने के अलावा और उन कांस्टेबिलों को जिन पर एस० पी० या पुलिस के अन्य अधिकारी नाराज हैं, कोई और काम इनका नहीं है । इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि पुलिस विभाग की इस प्रकार की शिकायतों की जांच करने के लिये जुडिशल अफसर होना चाहिए और दूसरे विभागों की जांच करने के लिये पुलिस विभाग के लोग हों । किसी विभाग की जांच करने के लिये उसी विभाग के लोग नहीं होने चाहिये नहीं तो ठीक से जांच नहीं हो सकती । इसमें एक और परेशानी है । मंत्री महोदय का बड़ा संबंध सिंचाई विभाग से रहा है । सब से अधिक आज उसी में लूट की सुविधा है । उसमें अगर कोई शिकायत करे तो बिना डिपार्टमेंटल हेड की परमिशन के कोई जांच नहीं हो सकती । तो उसी विभाग का होने से जांच का महत्व ही खत्म हो जाता है, उसको सूचना मिल जाती है (व्यवधान) । कागज दुरुस्ती हो जाती है और सब मामला ठीक हो जाता है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कम्प्लेन्ट्स अफसर रखना और यह आशा करना कि इससे करप्शन दूर होगा केवल एक विडम्बना मात्र है । इसमें जुडिशियल अफसर होने चाहिए और ये अफसर बराबर घूमते फिरते रहें और जहां उनको कोई मामला मिले वहीं वे उसकी जांच कर के उसका फैसला करें । मैं समझता हूं ऐसे अफसर रखने से कुछ खर्चा बढ़ेगा लेकिन उससे लाभ बहुत काफी होगा । लेकिन ये जुडिशल अफसर हाईकोर्ट के अन्डर होने चाहिए न कि कलेक्टर के अन्डर । इसके अलावा जब डिप्टी एस० पी० (कम्प्लेन्ट्स) एस० पी० के अन्डर होगा तो उसको अलग से रखने की क्या जरूरत है, रेगुलर डी० एस० पी० तो है ही ।

एक और सुझाव मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी को देना चाहता हूं । जिस प्रकार दिल्ली की पुलिस ने अपनी वर्दी को बदल दिया है उसी प्रकार अगर यहां भी बदल दें तो बड़ा अच्छा हो क्योंकि यह वर्दी ब्रिटिश शासन के जमाने में आतंक, भय और साम्राज्यवाद का प्रतीक रही है । उससे जहां पुलिस को देखने पर लोगों को यह समझना चाहिए कि अब हम सुरक्षित हैं वहां वह आक्रांत हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में अगर माननीय मंत्री जी गौर करें तो उनको वर्दी बदलनी चाहिये ।

एक और मेरा सुझाव है कि मंत्री जी एक स्टेट ऐडवाइजरी कमेटी बनायें । पुलिस प्रशासन की स्टैंडिंग कमेटी की सन् ५५ के बाद कोई बैठक ही नहीं हुई इसलिये उस कमेटी का कोई अर्थ नहीं । जिलों में भी नान-आफिशियल लोगों की ऐडवाइजरी कमेटीज बनायें । मैंने सुना है कि एस० पी० साहबान को एक आज्ञा हुई थी कि वे असेम्बली के मेम्बरान से मिलें लेकिन उनको उनसे मिलने में बहुत कठिनाई है । इसलिये मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर गौर करें । अपने जिले में मैंने एस० पी० और जिलाधीश से कहा कि आप लोग सबको बुला लीजिये और जनता के लोगों को भी बुला लीजिये और एक सम्मेलन किया जाय और आपकी ओर से इनीशियेटिव लिया जाय, लेकिन यह चीज उनको मंजूर नहीं हुई क्योंकि वह समझते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है । इसलिये मैं चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर और ऊपर के लेविल पर आप एड-वाइजरी कमेटीज बनाइये और इस प्रकार की व्यवस्था कीजिये कि जो दो रुपया लेकर रिपोर्ट लिखी जाती है, वह क्रिया बन्द हो । मैं समझता हूं कि आज कल ३९५ को ४५७ लिखकर अपराधों को छिपाया जाता है । यह चीज नहीं होनी चाहिए और ठीक तरह से अपराध लिखे जायं और केसेज का पता लगाने की कोशिश की जाय ।

श्रीमन्, बात यह है कि ३९५ के बजाय ४५७ में रिपोर्ट न लिखी जाय । मैं समझता हूं कि एक पीड़ित आदमी जब पुलिस स्टेशन में आता है तो इस बात के लिये एक फंड होना

[श्री गौरीशंकर राय]

चाहिये और उससे उसको जलपान कराया जाय और ठीक से उसे बिठाया जाय क्योंकि वह आक्रान्त होता है, वह पीड़ित होता है। उल्टे उससे कहा जाता है कि 'पैसे दो, तुम जैसे रोज आया करते हैं' वगैरह-वगैरह। अध्यक्ष महोदय, आपको भी मालूम होगा कि पुलिस विभाग में बातचीत करने से पहले प्रारम्भिक बात गाली से होती है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह एक एफ० आई० आर० के संबंध में कोई उचित व्यवस्था करें। मैं समझता हूं कि वह कोई नये प्रयास की ओर नहीं सोच रहे हैं, वह तो सिर्फ आंकड़े देने के लिये सोच रहे हैं। पुलिस विभाग पर १६५७-५८ में ५,८६,३७,८०० रुपया खर्च हुआ और इस साल ६,१२,३५,१०० रुपया खर्चा है। माननीय मंत्री जी ने काट छांट कर दिखा दिया है कि हमारा खर्चा कम हो गया, लेकिन वास्तव में खर्चा कम नहीं हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जिम्मेदारी संभाल ली है, उससे कमी हुई है लेकिन पुलिस के प्रशासन पर खर्चा बढ़ा है।

श्रीमन्, एक बात और है। वह बहुत छोटी है, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा है। वह हिस्ट्री शीट्स खोलने की बात है। यह सब से पहले सफेद पोशों की खोली जाय जो थाने में आते हैं और पुलिस तथा जनता के बीच मिडिलमैन का काम करते हैं। उनसे पूछा जाय कि कैसे आये हो तो कहते हैं कि हुजूर को सलाम करने आते हैं और अपने आदमी हैं।

श्री उग्रसेन---दही लेकर आते हैं।

श्री गौरीशंकर राय---माननीय उग्रसेन जी कह रहे हैं कि दही लेकर आते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सब से पहले ऐसे सफेदपोश दलालों की हिस्ट्री शीट्स खोली जायं तो बड़ा कल्याण होगा। वह पुलिस द्वारा गवाहों के लिये रखे जाते हैं। वह ऐसे छोटे-छोटे मामलों में गवाही करते हैं कि उन्होंने यह टोकरी नहर के किनारे हमारे सामने रखी थी, लेकिन सीरियस केसेज में गवाही देने को तैयार नहीं होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बार किसी को बन्द करने के बाद २४ घंटे से भी ज्यादा बिना मैजिस्ट्रेट के सामने लाये हुए वह रख लेते हैं। पुलिस रेगूलेशंस बहुत पुराने हैं, इनको बदलने की आवश्यकता है और पुलिस प्रशासन पर नये दृष्टिकोण से विचार करना है। सारी दुनिया में पुलिस प्रशासन है, सारे देशों में पुलिस प्रशासन है, लेकिन हमारी सरकार शहरों में ऐक्सीडेंट बचाने के लिये उनकी नकल करती है। एक सज्जन बतला रहे थे कि एक डी०आई०जी० ने यह कह दिया कि इकोनोमिक ट्रबिल होने का क्राइम पर असर पड़ता है तो उनको इस पर दंडित किया गया और उनको कहीं और भेज दिया गया। इस विभाग में कुनबापरस्ती और पक्षपात नहीं चलना चाहिये। किन्हीं व्यक्तियों को डी० आई० जी० बनाने के लिये नये रीजन बनाये गये और फिर उनको तोड़ा गया। फिर दो व्यक्तियों को कहा है और फिर से दो रीजन बनाये गये हैं। इस प्रकार का व्यक्तिवाद और इस प्रकार की कुटुम्ब परस्ती पुलिस विभाग में नहीं चलनी चाहिये। मैं समझता हूं इस विषय में सबको मालूम है और सदन में इसके बारे में कई बार कहा जा चुका है। मैं समझता हूं इस प्रकार से नियुक्ति पुलिस विभाग में नहीं होनी चाहिये। मैं जानता हूं कि कोई एम० एल० सी० है पुलिस नियुक्ति की कमेटी में। उनका कोई आदमी डिस्ट्रिक्ट कंपिटीशन में नहीं आया और मेडिकल में भी फिट न होने पर वह कम्पिटीशन में ले लिया गया। मैं समझता हूं नियुक्ति के संबंध में मर्यादा होनी चाहिये। अच्छे से अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेशन के विशेषज्ञों का कहना है कि पुलिस की संख्या पर उनका कार्य निर्भर नहीं करता है। उनको अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग होनी चाहिये। पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमेटी ने भी लिखा है कि पुलिस को सिविक्स, हिस्ट्री और साइन्स की शिक्षा होनी चाहिये। सब तरह की शिक्षा पुलिस के लोगों को होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसका समर्थन करेगा।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कब्ल इसके कि जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करूं, मैं यह मुनासिब समझता हूं कि कुछ अपने विरोधीदल के साथियों से गुजारिश करूं। आमतौर पर जब हमारे अपोजीशन के साथी बोलते हैं तो वह यह नहीं सोचते हैं कि हम कोई वजनी सुझाव, ठोस बात या माकूल तनक़ीद करें। आमतौर से जो उधर के भाई बोलते हैं वह इंगलैन्ड की, अमेरिका की और दूसरे मुमालिक की तकलीद और पैरवी करने की कोशिश करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारा यह फर्ज है कि हम ऐसी बातें करें जिसमें ठोस सुझाव हो और उस सुझाव को मानने से तरक्की की तरफ कदम बढ़े। अगर वह यह सोच समझकर बात करें कि अगर कभी खुदा न ख्वास्ता यह जिम्मेदारी, जिसकी कि मुस्तकबिल में तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर उनके ऊपर आ ही जाय तो उसको अमली जामा पहनाने में उनको कदम उठाना पड़ेगा और आज जो हम से कहा जाता है कहीं उनके ही गले न पड़ जाय। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि तकरीरें की जाती हैं और जजबात में भूल जाते हैं कि क्या कहना है। इस तौर पर जब वे यहां पर बोलते हैं तो उनको अपनी जिम्मेदारी से बोलना चाहिये और इस बात का खयाल रखना चाहिये कि जहां पर हम बोल रहे हैं उसके वकार को ऊंचा रखें और अपनी जबान को ऊंचा रखें और ऐसी बातें कहें जिससे बाहर के यह समझें कि हम अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। इसलिये हमें अपने हर फेल की खुद निगरानी करनी है और खुद अपने ऊपर प्रतिबन्ध लगाना है, जिससे हम सोच समझकर वह बातें कहें जिसको दूसरे लोग वाकई यह समझें कि हम वाकई अपने फर्ज की अदायगी कर रहे हैं।

जनाबवाला, मैं गुजारिश करूंगा कि जहां तक उनके एतराज का सवाल है, चाहे वह किसी तरह के भी हों उनको सोच समझकर यहां पर कहना चाहिये। एक ही साल नहीं बल्कि पिछले ५ साल के अरसे में, जहां तक मैंने सुना है, उस रोज मैंने उन्हें कहते सुना जबकि यहां पर प्रिविलेज का सवाल उठाया गया, कि सदन का वक्त बरबाद न किया जाय। उस रोज हमारे साथियों को समझ आई कि आज सदन के वक्त का दुरुपयोग हो रहा है। हम यह समझते हैं कि अगर हम हर एक मौके पर इस चीज का खयाल रखें और यह देखते रहें कि हम कहीं किसी के मुताल्लिक जाती तौर पर कुछ न कहें, व्यक्तिगत आलोचना किसी की न करें बल्कि सामूहिक तौर पर और मजमुई तौर पर ऐसी बातें करें जिनसे सब का लाभ हो, तो ज्यादा अच्छा है, कुछ फायदा उठाया जा सके तो अच्छा है। वैसे तो बाहर बहुत सी मुख्तलिफ पार्टियों के प्लैटफार्म हैं, उन पर हम तकरीरें कर सकते हैं, लेकिन यहां उस तरह की तकरीरें नहीं होनी चाहिये।

जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, उसके मुताल्लिक में कुछ कहना चाहता हूं। पुलिस की जिम्मेदारी है ला ऐंड आर्डर मेंटेन रखने की, लोगों की रक्षा करने की और जब हम देखते हैं कि उनका फर्ज हमारी रोजमर्रा की शहरी जिन्दगी में जो परेशानियां हैं उनको दूर करना और उन में हमारी मदद करना है, तो हमारा भी यह फर्ज हो जाता है कि हम उनकी मदद करें। एक तरीका चला जा रहा है। जब पुलिस को किसी केस में गवाही पेश करने का सवाल आता है तो उसे कोई भला आदमी नहीं मिलता। उसे ऐसे लोगों को गवाही के लिये पकड़ना पड़ता है कि जिनका न कोई स्टेट्स होता है न और मयार। क्या हम में से कोई जवाब दे सकता है कि हम कितने अच्छे लोगों को इस बात के लिये तैयार कर सकते हैं कि वे पुलिस को मदद दें? चोरी, डकती, राहजनी वगैरा इत्यादि जो होती है उनको हम देख कर भी नजरअंदाज कर देते हैं, बराबर से निगाह बचा कर निकल जाते हैं और इस बात की कोशिश नहीं करते कि उम्दा किस्म की शहादत पेश कर के ऐसा माहौल बना दें कि इस किस्म की घटनायें और माहौल हमारे सामने पेश न आयें। इस के साथ-साथ यह भी मैं मानता हूं कि पुलिस हमको विरासत में मिली है। उसको अंग्रेजों ने जिस तरह से कायम किया था उसी तरह की वह है। इसको मंत्री जी ने बड़ी सफाई के साथ माना है। यह

[श्री अहमद बख्श]

विभाग हुकूमत बरतानियां ने इस लिये कायम किया था कि इसके बलबूते पर वह यहां राज्य कर सकें। उसके अपने मफाद थे और अपने नजरिये थे जिनके लिये वह सब कुछ कुरबान कर सकती थी। तो जाहिर है कि आज जब पुलिस हमको मिली, उसके नजरिये में कोई खास फर्क नहीं आया और वह उन्हीं रिवाजात पर कायम है। तो इस लिये जरूरी यह है कि आज भले ही हमें कितनी दिक्कतों और मुश्किलात का सामना करना पड़े, हमें उनको उस आबोहवा से निकालकर एक दूसरी आबोहवा में रखना है ताकि वह और हम आपस में एक दूसरे के नजदीक आ सकें। आज तक हम समझते थे कि वह हमारी हर हरकत पर नजर रखते थे और उसका कारण यह था कि अगर हम उस सरकार के खिलाफ कोई काम करते थे तो उनका फर्ज था कि हम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवायें। आज पुलिस का वह काम नहीं रहा। आज पुलिस का काम बुराइयों को दूर करना है, हमारी रक्षा करना है और प्रदेश में ला एंड आर्डर को मेंटेन करना है। तो इस के लिये जब तक हम लोग उसको सहयोग नहीं देंगे उनको अपना काम पूरा करना मुश्किल होगा।

दूसरी बात यह है कि आज बहुत से साइंटिफिक तरीके निकल रहे हैं। हम किसी मामले को सुलझाने के लिये क्या नये तरीके हो सकते हैं तहकीकात के और दूसरी तरह के उनको अपनायें तो अच्छा है। नये साइंटिफिक तरीके अपना कर अगर उन पर अमल करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा हो। हम को यह समझना चाहिये कि हम और यह कर्मचारी अलग-अलग नहीं है। उनमें जो खराबियां और खामियां हैं वह हम में भी हैं। वे लोग हमारे किन्हीं लोगों के बच्चे हैं और हम में से ही हैं। यह मुल्क की कौमियत और कैरेक्टर का सवाल है। जो कमजोरियां हैं वे हम में भी हो सकती हैं और उनमें भी। तो हम को वह तरीका अख्तियार करना चाहिये कि जिससे सोसाइटी में परिवर्तन आये, तब्दीली आये ताकि वह बुराइयां जो हम में पैदा हो गयी हैं, वह रुकें। इसी तरीके से हमें उन्हें सोशल एजूकेशन भी देना है। मैं अर्ज करूंगा कि उनकी बुराइयों की मौका, बे मौका आलोचना करने से बुराइयां दूर नहीं हो सकतीं। बेहतर यह है कि हम उन्हें बुराइयों के खत्म करने का तरीका बतलावें। अगर हम उनके अन्दर अखलाकी तब्दीली करने के लिये सोशल कैम्प खोलें, जहां हम उनको बतलावें कि मुल्क किस किस्म की खिदमत उनसे चाहता है अगर हम उनके अन्दर इस तरह से हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करें तो ज्यादा कामयाबी होगी। किसी की आलोचना करना बड़ा आसान है। किसी तस्वीर को देखकर यह कह देना कि इसमें यह फिनिशिंग टच और हो जाता तो बड़ी सुन्दर लगती, बड़ा आसान है, लेकिन किसी तस्वीर के बनाने का नक्शा दिमाग में लाने के बावजूद फिर उसे बनाना बड़ा मुश्किल है। इन तमाम बातों को सोचकर कदम उठाना है। अगर हम सिस्टम आफ गवर्नमेंट को बदल कर यह करें कि हमारे समाज का तमद्दुन और हमारे रस्म-रिवाज, जिस तरह से हम तक पहुंचते हैं उनमें परिवर्तन करें तो जाहिर है कि बहुत सी तकलीफें हमारी दूर हो जावेंगी।

आखिर में मैं, जनाबवाला के जरिये, यह गुजारिश करूंगा कि जिस मेहनत से हमारे मिनिस्टर साहेब इस मुहकमें को चला रहे हैं उसके लिये वह धन्यबाद के पात्र हैं और जो परिवर्तन इसमें हुआ है उसके लिये भी मैं उन्हें बधाई देता हूं और मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गौरीशंकर राय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जनता और पुलिस के संबंध निकट करने का यह तरीका नहीं है कि पुलिस गरीबों के चालान करे और बड़े आदमियों की रिआयत करे। पुलिस को यकसां तरीका बरतना चाहिये, जो वह नहीं बरतती है। सन् १९५४–५५ और ५६ में पुलिस केस (अपराध) बढ़ते गये हैं। सन् ५६ की रिपोर्ट से साबित होता है कि सन् ५४ में हत्यायें २५,०४४ हुयीं और सन् ५६ में २५,६०० हो गयीं। साधारण अपराध ३८,८८२ सन्

५४ में थे जो सन् ५६ में बढ़कर ४२,०९३ हो गये। इसी तरह से साधारण अपराध सन् ५४ में ३२,९२४ से बढ़कर सन् ५६ में ३४,६४९ हुए। पूरे अपराधों की जांच नहीं हो पायी और चालान भी मामूली तौर से १६,८३४ अपराधों के लिये किये गये। इनमें से १६,०८४ आदमियों को सिर्फ सजायें मिलीं।

श्रीमन्, पुलिस विभाग एक तानाशाह विभाग है। जो पुलिस इन्चार्ज हो जाता है वह अपने को जनता का सेवक न समझ कर तानाशाह समझता है। थानेदारों की यह हालत है कि अगर कोई भला आदमी सही बात कहे और वह थानेदार के खिलाफ हो तो उसे झूठा इल्जाम लगाकर परेशान करते हैं, बाज-बाज आदमी को कत्ल करा देते हैं और बाज बाज का झूठा चालान कर देते हैं। थानेदारों का तहसील की और एस० डी० एम० की कोर्ट पर इतना असर होता है कि यह बेगुनाह आदमियों को भी फंसाकर और झूठी गवाही दिला कर सजा करा देते हैं। एटा जिले में एक थाने के थानेदार ने सन् ५७ में काफी चोरियां और डकैतियां करायीं। सन् ५७ में कैलटा के रोशन का चालान आर्म्स ऐक्ट में उसने झूठा कर दिया जिसके संबंध में सवाल यहां रखा गया। छूट कर उसने थानेदार के खिलाफ दावा किया जिसका नतीजा यह हुआ कि जिस आदमी ने रोशन की जमानत की थी उसकी औरत का और सगे भाई का आर्म्स ऐक्ट में चालान कर दिया गया। ये बेचारे गरीब आदमी पुलिस का मुकाबिला नहीं कर पाये और मजबूर होकर इकबाल कर दिया। तमाम एस० डी० एम० और थानेदारों ने जोर डाला कि तुम इकबाल करो। औरत तो तम्बीह देकर छोड़ दी गयी और आदमी पर जुरमाना हुआ। इसे कहा जाता है कि पुलिस इन्तजाम कर रही है। पहरा में मुसम्मात कटोरी का कत्ल हुआ। चौकीदार जब रिपोर्ट लिखाने गया तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। थानेदार मौके पर आया और ५०० रुपये रिश्वत के लेकर उसने उस मामले को नहीं चलाया और चौकीदार से यह रिपोर्ट लिखा ली कि कटोरी ने आत्महत्या कर ली है। इसकी बाबत मैंने स्वयं एस० पी०, एटा को लिखा था। इसी तरह से रामपुर में एक कुंवारी लड़की का, जिसके हमल रह गया था, कत्ल हुआ। उसकी लाश बरामद हुई, पोस्ट मार्टम हुआ और २०० रुपये रिश्वत के लेकर सन् ५७ में उस मामले को दफना दिया गया। अलीगंज के नजदीक सड़क पर एक पड़ाव का मुहल्ला है। वहां एक मास्टर साइकिल से जा रहा था। उसका एक्सीडेंट लारी से हो गया। ड्राइवर ने उसे २०० रुपये इसलिये दिये कि तुम अपना इलाज करा लो। जब वह शफाखाने में मरने लगा तो २०० रुपये उससे जबरदस्ती इन्चार्ज ने छीन लिये। इसकी रिपोर्ट सरकार को की गयी थी। इसी तरह से पंचम नगला गांव पूरा का पूरा लूट लिया गया। इसके बाद सरकार के पास दरख्वास्तें दी गयीं लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। एटा कोतवाली के थानेदार ने अपने डंडे का नाम जय हिन्द रख दिया है और....

श्री अध्यक्ष--आप यहां किसी का नाम न लें।

श्री भूपकिशोर--एटा के थानेदार और कोतवाल ने अपने डंडे का नाम जयहिंद रख दिया है। जो उस डंडे को जयहिंद नहीं करता है उसकी वे जयहिंद डंडे से खबर लेते हैं। उस डंडे से दो आदमियों को मारा पीटा, जिनको डाक्टरी के लिये शफाखाने ले जाया गया। उस क्षेत्र के एम० एल० ए० उनको डाक्टरी के लिये ले गये थे। जब वहां के दरोगा को यह मालूम पड़ा तो वह शफाखाने गया और उनसे कहा कि इनकी डाक्टरी क्यों करा रहे हो, सब एम० एल० ए०-पन भुला दूंगा।

श्री अध्यक्ष--अब आप कृपया बैठें। आपका समय हो गया।

नियम ४२ के अन्तर्गत प्रश्नों के विषय पर विवाद का स्थगन

श्री अध्यक्ष--आज शाम को नियम ४२ के अनुसार आधे घंटे का विवाद होने वाला था जिसे श्री यादवेंद्रदत्त दुबे जी ने चाहा था। आज चूंकि यहां के एम० एल० ए० काश्मीर से

[श्री अध्यक्ष]

जो डेलीगेशन आया है, उससे मिलेंगे इसलिये वे इस बात के लिये राजी हैं कि उसको आज न लिया जाय। अतः परसों के लिये मैं उसको स्थगित करता हूं। आज पांच बजे के बाद वह नहीं लिया जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, माननीय राजनारायण जी ने भी दिया था?

श्री अध्यक्ष—दोनों ही के लिये यही निर्णय काफी है।

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस—(क्रमागत)

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे यह बड़ी खुशी है कि जो बजट हमारा पेश हुआ है उसमें अगर हम देखें तो हमको यह पता चलता है कि पुलिस के इखराजात कम करके डेवलपमेंट की तरफ इखराजात बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा बजट जो पेश हुआ है इसमें भी पिछले साल से तकरीबन ३२,००,००० रुपया कम इस बजट में रखा गया है। यह इस बात की दलील है कि हमारी स्टेट एक वेलफेयर स्टेट की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। मैं जाती तौर पर तो उन लोगों में से हूं जो यह सोचते हैं कि पुलिस का खर्चा किसी सूरत में भी नामुनासिब खर्चा नहीं है। सच पूछिये और अगर प्रिजुडिस को हटा कर हम देखें तो पुलिस डिपार्टमेंट एक तरह से डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। इसलिये कि अगर ला ऐंड आर्डर मेन्टेन नहीं हो, तो दुनिया में किसी किस्म की तरक्की मुमकिन नहीं हो सकती। चाहे जरायत को बढ़ाना चाहें, चाहे अपनी इंडस्ट्री को तरक्की देना चाहें, किसी किस्म की तरक्की का भी काम करना हो, अगर ला ऐंड आर्डर मेन्टेन नहीं होता है, तो हर किस्म की तरक्की नामुमकिन है। इस वजह से हालात को देखते हुए अगर पुलिस डिपार्टमेंट पर कोई खर्चा किया जाता है, तो वह नामुनासिब खर्चा नहीं है। अगर हम अपने यहां के पुलिस के खर्चे को देखें और जो यहां की आबादी है उसका मुकाबला दूसरे मुल्कों या दूसरे सूबों से करें तो उसे दूसरों से बहुत कम पायेंगे। यह सही है कि हम रोज बरोज करप्शन की शिकायतें सुनते रहते हैं लेकिन करप्शन सिर्फ एक पुलिस डिपार्टमेंट में ही नहीं है, दुनिया के हर शोबे में आज करप्शन की बात सुनायी देती है। बहुत सी करप्शन की बातें सही भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन सिर्फ करप्शन की बात सुनाने और उसको बार-बार दोहराने से मसला हल नहीं हो सकता है। मसला तो यों हल हो सकता है जब कि हम उसके रूट काज की तरफ जायं और उन दुश्वारियों और दिक्कतों को हल करने की कोशिश करें जिनकी वजह से करप्शन पैदा होता है। माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर विवाद के मौके पर भी यह कहा था और फिर मुझे उसके दोहराने में आज जरा भी हिचक नहीं है कि हमें सबसे पहले अपने डिमाग को साफ करना है। करप्शन में एक तो मेटोरिअल करप्शन होता है और एक मेंटल करप्शन होता है। जब हमारे दिमाग में करप्शन की बात आने लगती है तो इसका नतीजा यह होता है कि हम उससे निकल कर इस मेटोरिअल वर्ल्ड में आ जाते हैं और फिर इसका सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि एक न्यूसेंस पैदा हो जाती है। इसलिये मेरा निवेदन तो यह है कि एक तो हम अपने दिमाग को साफ करें और दूसरे उन चीजों की तरफ जायं जिनकी वजह से करप्शन पैदा होने का सवाल पैदा होता है। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हम सर्विसेज को इस तरह से रखें कि उनकी तमाम जरूरियात को पूरी करें, वे वेल पेड हों, वे मुतमइन हों, इससे एक बड़ी हद तक करप्शन, जरूर ही कम हो सकता है अगर करप्शन बिलकुल खतम न भी हो तो आपके जरिये माननीय मंत्री जी के नोटिस में एक बात मैं इस सिलसिले में लाने की कोशिश करूंगा और वह यह है कि हमने एक नया एक्सपेरीमेंट शुरू किया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि हमारे जो सर्किल इंसपेक्टर्स आफ पुलिस थे उनको रफ्ता-रफ्ता हम सब-डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस बनाने वाले हैं और शायद अभी कबाल टाउन्स में उनको रखा जायगा और आहिस्ता-आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ायी जायगी। यह बहुत अच्छा तजुर्बा है, इसलिये कि अगर एक शख्स पर ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी जाय तो वह अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा महसूस करेगा और ज्यादा अहतियात से काम करेगा और उसके बाद उसको मौका होगा कि वह गजटेड रैंक में आ जाय। इससे यह भी हो सकता है कि वह अपनी कमजोरियों को भी दूर करने की कोशिश करे। लेकिन जब मैंने इसके बजट में डिटेल देखे तो ऐसा मालूम हुआ कि जिन सर्किल इंसपेक्टर्स को तरक्की दी जायगी स्टेट की वहां उनके एमाल्यूमेंट्स को कम किया गया है जो उनके पहले थे। यह सही है कि उनका दर्जा बढ़ रहा है और उनकी जिम्मेदारी पर भी असर पड़ेगा लेकिन किसी भी शक्ल में यह न होना चाहिये कि जितने एमाल्यूमेंट्स उनको सर्किल इंसपेक्टरी में मिलते रहे हैं उनसे कम न हों और मैं समझता हूं कि अगर इस बुनियाद पर इस चीज को रिवाइज किया जाय तो ज्यादा रुपए का सवाल न होगा। उम्मीद है कि मंत्री जी इस पर गौर करेंगे।

हमें याद है कि इस हुकूमत ने आज से कई साल पहले एक कमेटी बनायी थी जिसके सदर डाक्टर सीताराम साहब थे और जो डाक्टर सीताराम कमेटी के नाम से मशहूर है और जिसने पुलिस रिआर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में एक बड़ी रिपोर्ट दी थी लेकिन मुझे दुख है कि उसकी बहुत सी बातों का आज तक निफाज नहीं हुआ, शायद इसका कारण यह है कि हमारे सामने माली दुश्वारियां रही हैं। इस कारण से उनका निफाज न हो सका हो लेकिन अब चूंकि वक्त काफी गुजर गया है जब यह रिपोर्ट आयी थी और बहुत से मसायल आज बदल गये हैं इसलिये ज्यादा मुनासिब होगा कि उस कमेटी की रिपोर्ट को एक दूसरी छोटी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि उसको जो रिपोर्ट हमारे पास आये उससे हमें ज्यादा फायदा पहुंच सके। उस कमेटी की रिपोर्ट में एक सिफारिश यह भी थी कि चौकीदार की जगह खत्म की जाय, इसलिये कि चौकीदार उस जमाने में बनाया गया था जब बृटिश हुकूमत की पुलिस थी और उसका काम सिर्फ ला एन्ड आर्डर को मेन्टेन करने का ही था, वह उस वक्त इल्लिट्रेट होता था और ३ रुपया माहवार उसको मिलता था जो अब बढ़ कर ५ या ६ रुपया हो गया है। मेरा खयाल है कि शायद दुनिया में किसी भी राज्य कर्मचारी का इतना कलील वेतन न रहा होगा, अब गवर्नमेंट ने उनकी तनख्वाह को बढ़ाया है उसके लिये हम शुक्रगुजार हैं लेकिन वह इतना नहीं है कि वह अपना २४ घंटे का वक्त दे सके। इस सम्बन्ध में कमेटी की सिफारिश थी कि उसकी जगह बीट कांस्टेबिल्स को रखा जाय, कुछ मुकामात पर इस का एक्सपेरीमेंट हो रहा है लेकिन जिस रफ्तार से हम इस तरफ बढ़े हैं वह बहुत ही कम है, इससे तो अन्दाजा होता है कि शायद १०० बरस के बाद सब में चौकीदार की जगह बीट कांस्टेबिल ले सकें। लिहाजा इस एक्सपेरीमेंट को जरा और तेज किया जाय, जाहिर है कि एक दम से यह नहीं हो सकता, लेकिन रफ्तार को तेज कर के जितनी जल्दी हो सके चौकीदारों की जगह बीट कांस्टेबिल्स रखे जायं। इससे बहुत कुछ सहूलियत हो जायगी।

गवर्नमेंट ने एक तजवीज यह भी की है कि उसने अपने सुपरिंटेंडेंट पुलिस को सब जगह हिदायत दी है कि वह पब्लिक कान्टेक्ट करें और वह किसी हद तक हुआ भी है और उस का कुछ नतीजा भी हमारे सामने आया है लेकिन हम महसूस करते हैं कि अभी वह उस हद तक नहीं हो सका है जिस हद तक होना चाहिये। कोई भी अधिकारी अपने फरायज को ठीक तौर से अन्जाम नहीं दे सकता जब तक कि वह पूरा पब्लिक कान्टैक्ट न करे। इसलिये मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इन पुलिस अफसरों को हिदायत देना चाहिये कि जब भी वे दौरे पर जायं तो वे खास तौर से पब्लिक मीटिंग्स करें और जनता से वहां कान्टेक्ट करें और वहां देहातों में जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्रामपंचायत के जो प्रधान हैं, या मेम्बर हैं या जो अदालती पंचायतों के पंच, सरपंच वगैरह हैं जो अपनी एक रिप्रिजेन्टेटिव हैसियत रखते हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा कान्टेक्ट करें और उनकी राय पर चलने की कोशिश करें।

[श्री सुल्तान आलम खां]

जनाब वाला, इस बजट में मैंने यह भी देखा कि ११,९०० रुपया एक्स-रूलर्स के लिये गार्ड्स की व्यवस्था पर व्यय होगा। मेरी दरख्वास्त है कि अब जमाना दूसरा है और स्थिति बदल गयी है और इस तरह का खर्च न हो तो अब ज्यादा मुनासिब है। यह सही है कि वह किसी जमाने में रूलर्स थे लेकिन अब जैसे वे एक नागरिक हैं उसी तरह से हम भी हैं, कोई फर्क नहीं है, इसलिये उनको गार्ड देना अब मुनासिब नहीं मालूम होता।

दो, तीन खास चीजों की तरफ और खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो यह कि जिन थानों पर टेलीफोन की जरूरत है वह वहां दिये जायं, इससे पुलिस फोर्स में एक मारेलिटी पैदा होगी और जरायम के इन्सदाद में भी मदद मिलेगी।

एन्टी-करप्शन के बारे में मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि हमारे यहां एन्टी करप्शन कमेटियां काफी अर्से से बनी हुई हैं, काम भी हो रहा है, गवर्नमेंट की मालूम नहीं, उनके मुताल्लिक क्या राय है, क्योंकि मेरी नजर में उस सिलसिले में कोई रिपोर्ट नहीं गुजरी। मेरा खयाल है कि उनके बारे में फिर से तवज्जह करने की जरूरत है कि उनकी जरूरत है या नहीं और अगर है तो उनमें क्या तरमीम और तब्दीली होना चाहिये। जिस वक्त ये कमेटियां बनी थीं उस पर काफी गौर किया गया था और तय किया गया था कि उनके नान-आफिशियल चेयरमैन हों, चुनांचे ऐसा हुआ भी, और मुझे इस बात के कहने में कोई पसोपेश नहीं है कि जहां तक नान-आफिशियल चेयरमैन होने का ताल्लुक है, उनका होना मुनासिब नहीं है। आजकल हमारे यहां एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है और हमारे जो अधिकारी डी० एम० और एस० पी० जिलों में काम करते हैं वे इस सरकार के मुलाजिम हैं वे इन कमेटियों के साथ बराबर असोशियेटेड रहें जैसे पहले रहते थे, तो इन कमेटियों का काम ज्यादा बेहतरी के साथ चल सकता है। इसके मुताल्लिक डिटेल्स मैं सदन के सामने रखता हूं, लेकिन चूंकि लाल झंडी हो गयी और वक्त कम है इसलिये वह न रखकर कभी मौका मिला तो पेश करूंगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इन अल्फाज के साथ मैं इस ग्रान्ट को जो मंत्री जी ने पेश की है उसका स्वागत करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने खयालात को यहां रख सकूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय पुलिस मंत्री जी की अनुदान उपस्थित करते समय बड़े सब्र के साथ सुना और उनकी गर्वोक्तियों को भी सुनता रहा। माननीय गृह मंत्री जी ने, बिना पिछले कार्यों पर दृष्टिपात किये और बिना अच्छी तरह से १९४५ के आंकड़ों को समझे, यह कह दिया कि अपराध संख्या हमारे यहां १९४५ से कम है। मैं आपके सामने जो अपराध स्थिति १९४५ में थी और अब १९५६ की जो रिपोर्ट मिली है उनके फिगर्स को रखना चाहता हूं। एक बात इस सम्बन्ध में और निवेदन कर दूं यद्यपि उसके कहने में मुझे कुछ शर्म का अनुभव हो रहा है लेकिन सही बात कहने का एक फर्ज होता है और अगर उसको हम सामने न लायें तो हम अपने कर्त्तव्य से गिर जायंगे। उधर के बैठने वाले जब कभी भी हुकूमत में आये तब अपराधों की स्थिति हमेशा बढ़ी है। मैं किसी भी रूप में उस ब्रिटिश सरकार की प्रशंसा नहीं कर सकता जो हमारे देश में दुर्भाग्य से थी, लेकिन एक बात जरूर आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों की सेवा में रखना चाहता हूं कि ब्रिटिश काल में जो अपराध स्थिति थी उसको जब कभी यह सरकार आयी उसको बढ़ा दिया। श्रीमन्, मैं १९३९, १९४५ और १९५६ के, तीनों के आंकड़े अलग अलग दे रहा हूं।

हत्याओं की संख्या---१९३९ में १,४००, १९४५ में ९८९ और १९५६ में १,५९९। डकैतियों की संख्या---१९३९ में १,२००, १९४५ में ५११, १९५६ में ९३२। लूट की संख्या---१९३९ में ७५०, १९४५ में ३२७ और १९५६ में ५६२। दंगों की संख्या १९३९ में ३,१००, १९४५ में १,८०९, १९५६ में ३,०८७। ११० के मुकदमें---१९३९---में ३,४००, १९४५ में २,२३३ और १९५५ में २,९६५। १९५६ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके। इसी प्रकार १०९ की संख्या १९४५ में ६,०४७ और १९५५ में १५,२६५।

अनुदान संख्या १७---लेखा शीर्षक २९---पुलिस

यह जो मैंने तालिका पढ़ी मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह गया होगा कि जब-जब इस सरकार के हाथ में बागडोर आयी है तब तब अपराध की स्थिति खराब होती गयी है और अपराधों की संख्या बढ़ती गयी है। यह एक बहुत गम्भीर आरोप है। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस आरोप का खंडन करने का जरूर प्रयत्न करेंगे और उनको करना चाहिए। आखिर जब राष्ट्रीय सरकार आये, हमारे यहां के लोग आयें, तब अपराध बढ़ जायं, यह बहुत ताज्जुब की बात है। हत्या एक जघन्य पाप है। उसकी संख्या अंग्रेजों के समय में अधिकतम १,२८० थी और जब यह सरकार आयी तो १,५९९ हो गयी। यह जघन्य पाप भी बढ़ गया। १०९ और ११० में भी वृद्धि हुई, तो कौन सी वजह है जिसके कारण माननीय गृह मंत्री ने कहा कि हमने इस देश में जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिए सबसे अच्छा प्रयत्न किया है, १९४५ के आंकड़ों से भी अच्छा प्रबन्ध है? जब वह सदन में यह बात कहें तो यह समझ कर उन्हें कहना चाहिए कि इस सदन में ऐसे भी सदस्य मौजूद हैं जो पढ़े लिखे हैं, कम से कम गलत आंकड़ों को भ्रम में डालने के लिए यहां इस्तेमाल न करें।

मैं अपराध स्थिति के कारणों के सम्बन्ध में बाद में जिक्र करूंगा। पहले मैं दो बातों का पोस्टमार्टम करना चाहता हूं।

पुलिस क दो काम हैं---जीवन की सुरक्षा करना और कानूनों को अपनी जगह पर स्थिर रखना। क्या हमारे प्रदेश में इन दोनों कामों का पालन पुलिस विभाग कर सका है?

एक बहुत मोटी सी बात शान्ति स्थापित रखने की है। आज की अशान्ति का प्रमाण एक यह है कि १०७ की संख्या बढ़ी है, जब शान्ति भंग होने का अंदेशा हो तो फौरन १०७ की कार्यवाही कर दो। १०७ की संख्या १९४५ में ३,०४६ थी। कुल संख्या ३,०४६ थी जहां पर सरकार को शान्ति भंग की आशंका प्रतीत हुई। अब इस सरकार के जमाने में जो शान्ति को कायम रखने का बड़ा दावा करती है, अब शान्ति कितनी भंग होने लगी है? १९५५ में १०७ के अन्तर्गत २१,९३९ की संख्या है ३,००० और २१,०००। इस प्रकार ७ गुना अपराधों की संख्या बढ़ गयी। शान्ति कहां रह गई? खुद सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए और मैं समझता था कि माननीय गृह मन्त्री में इतना साहस होगा कि वह अपने विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार को, लेथार्जीनेस को और पक्षपात को स्पष्ट इस सदन में कहेंगे और कह कर, उसका वर्णन करके, अगर वह सुझाव मांगते तो हमें खुशी होती। लेकिन वह तो अधिकार की रौ में एकदम बहते चले गये। सिवाय इसके कि वह अपने डिपार्टमेंट की तारीफ करें और कोई बात मानने की उन्होंने कोशिश ही नहीं की। एकदम हमको आश्वस्त कर दिया कि बहुत अच्छा इन्तजाम है और सबसे अच्छी सिचुएशन क्राइम वगैरह की है। तो क्राइम के सम्बन्ध में भी और शान्ति के सम्बन्ध में भी मैंने बता दिया। अब शान्ति के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं कि वह भंग होती कैसे है? अगर सरकार इस बात को मान लेती है कि शान्ति भंग ज्यादा हुयी तो यह निश्चित है कि राज्य में मनुष्यों की जिन्दगी जनजीवन, सुरक्षित नहीं है और आज इतने ज्यादा मुकदमे सरकार को चलाने पड़ते हैं। लेकिन हम इसके दूसरे पहलू को भी देखें कि आया सचमुच ऐसी बात है। क्या राज्य की हालत इतनी खराब हो गयी है कि जनसुरक्षा का उन्हें ध्यान ही नहीं रह गया है? अगर ऐसी बात होती तो यह बात हम कह सकते थे कि इसमें पुलिस का दोष नहीं है। लेकिन पुलिस मुकदमों को बनाने वाली भी है। मनुष्यों के अन्दर ऐसी भवना नहीं है कि वह लड़ाई करें, लेकिन पुलिस जबर्दस्ती लड़ाई करने को मजबूर करती है। आजकल सत्तारूढ़ दल के लोग इस काम में बुरी तरह जुट गय हैं। उनकी, पुलिस की और प्रदेश के गुंडों की इन तीन की चक्की में पिसकर जनता आज त्रस्त है। जनजीवन में शान्ति की भावना कहीं दिखाई नहीं देती है।

१०७ के मुकदमें किस प्रकार चलाये जाते हैं? अभी आज ही सदन में बताया गया कि मूर्तियों के हटाने के संबंध में एक आन्दोलन सोशलिस्ट पार्टी ने चलाया था। श्रीमन्, आन्दोलन चला था, सरकार उसको मानती है कि उसने खुद मूर्त्तियां हटाने का फैसला कर लिया सोशलिस्ट पार्टी का आन्दोलन चलने के बाद तो १०७ में जो आदमी प्रदेश भर में गिरफ्तार किये गये थे वे

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

नहीं छोड़े गए, सिर्फ ९ आदमी लखनऊ में छोड़े गये। हाईकोर्ट ने फैसला किया कि १०७ दफा लगाकर के जिनको गिरफ्तार किया है, वह अनुचित है, गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, यह फैसला हाई कोर्ट ने किया है। सरकार ने डर कर के यहां तो ९ आदमियों को छोड़ दिया। लेकिन बाकी प्रदेश में और जो इस तरह गिरफ्तार हुए थे उनको नहीं छोड़ा। इस तरह से आज राजनीतिक चेतना को दबाया जाता है। आज तमाम दफाओं का, विरोधी दलों को दमन करने के लिए, इस्तेमाल किया जाता है। संख्या तो बढ़ेगी ही।

मैं माननीय गृह मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यही हालत रही और यही क्राइम सिचुएशन रही और यही पुलिस का काम रहा तो निश्चय ही वह दिन दूर नहीं है जब इस प्रदेश की पुलिस भी उसी श्रेणी में आयेगी, उसके लिए भी वही शब्द इस्तेमाल किये जायेंगे, जैसे कि रावण राज्य की पुलिस के लिए असुर, राक्षस और निशाचर शब्द इस्तेमाल किये जाते हैं। 'असुवः प्राणान् रक्षतीति इति असुरः' असुर का मतलब है, जो उसका एटीमालाजिकल अर्थ है, वह है जो प्राणों की रक्षा करे। लेकिन जब रक्षक भक्षक बन जाय, जब श्री कमला राय जैसे साथी को जेल में मार-मार कर खत्म कर दिया जाय, जब यह पुलिस लोगों को, रास्ते में दावत खाने के लिये जाते हुए, पकड़ ले और बन्द कर दे, जब इस प्रदेश की पुलिस डकैती की रिपोर्ट लिखाने वालों के घरों में जाकर उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार करे और जब इस प्रदेश की पुलिस जन जीवन के अच्छे से अच्छी आदमी को भी अपने विरोध के कारण गलत मुकदमों में फंसाये, तो मैं कहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब यह रक्षक पुलिस भक्षक बन कर निशाचर की कैटेगरी में आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष---आप का समय समाप्त हो गया है। क्या आपको अधिक समय की आवश्यकता होगी?

श्री रामस्वरूप वर्मा---पांच मिनट अधिक, श्रीमन्, १५ मिनट तो आपने लीडर्स के लिये रखा ही है। तो, श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि माननीय गृह मंत्री इन केसेज को देखें और उन पर विचार करें। अब मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में पुलिस का इन्तजाम पक्षपातपूर्ण और पुलिस का प्रोमोशन चापलूसी पर निर्भर है। जब से हमारी स्वदेशी सरकार आयी तभी से पुलिस आफिसरों का प्रोमोशन एफिशियेंसी पर नहीं होता। आई० जी० साहब का प्रोमोशन हुआ। दूसरे जो उनसे सीनियर थे उनको सुपरसीड कर दिया गया। सीनियर डी०आई०जी० नाराज हो गये। एक केस गौरी शंकर जी ने बताया है जिसमें जज महोदय ने टीका की है कि पुलिस के झूठे मुकदमों को दबाने की जरूरत है। जो अफसर झूठे मुकमदमे रंजिश में चलाये, जानबूझ कर जनता को परेशान करे, अधिकारों का दुरुपयोग करे और जज यह फैसला करें कि झूठे मुकदमें चलाये गये हैं, ऐसी स्थिति में किसी भी देश की प्रजातांत्रिक सरकार ऐसे दरोगा की पदोन्नति तो कर ही नहीं सकती। हां, बरखास्त कर सकती है। मैं इस संबंध में इटावे का केस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। न्यायाधीश सेशन जज नकवी की टीका है। दफा ३९९, ४०२ (गिरोहबन्दी), थाना भर्थना, सेशन ट्रायल नं० ४६, सन् १९५६ ई०। इसमें एक दुश्मनी के कारण वहां के सब इंस्पेक्टर ने इतना झूठा केस बनाया कि जिस पर कोई आदमी विश्वास नहीं कर सकता। जज ने लिखा है---"सब इन्स्पेक्टर शिवनाथ तिवारी जिस दिन अभियुक्त कुंवर सिंह को नगला गाजा से डाकुओं के गिरोह में देखना बताते हैं उस दिन वह आगरा जेल में बन्द था। अभियुक्त कुंवर सिंह को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, पुलिस अधिकारियों का इस प्रकार का आचरण निन्दनीय, घृणित और कलंकनीय है", ये जज साहब के शब्द हैं।

दूसरा मुकदमा दफा ३०२ (कत्ल), थाना इकदिल, सेशन ट्रायल नं० १०८, सन् १९५७ ई० का है। उन्हीं न्यायाधीश ने इसमें सलाह देते हुए कहा है, "पं० शिवनाथ तिवारी ने अभियुक्तों के विरुद्ध ११० के मुकदमें में अपनी तीरन्दाजी दिखाने के लिये ३१ मार्च की घटना को झूठा गढ़ा और मुद्दई रूप सिंह का गलत बयान लिखा।" जज ने पुनः लिखा है, "सफाई पक्ष के इस

तर्क में सच्चाई प्रतीत होती है कि डिप्टी सुपरिन्टडेंट पुलिस श्री द्रोण के विरुद्ध झूठी गढ़ी दरख्वास्त दरोगा विश्वनाथ तिवारी ने ही लिखाई थी"। अन्त में उन्होंने लिखा है : "मैं संतुष्ट नहीं हूं कि ऐसी कोई घटना घटी, बल्कि यह केस झूठा बनाया गया।" कोई शक रह जाता है इस आदरणीय सदन के सदस्यों को जज महोदय के इस फैसले के बाद ? ऐसे दरोगा को एक मिनट के लिये अपने पद पर नहीं रहना चाहिये जो जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करे, उसका दमन करे इसलिये कि महज उसकी रंजिश किसी से हो जाय। लेकिन यहां होता यह है कि उस दरोगा की पदोन्नति की जाती है और थर्ड क्लास थाने से फर्स्ट क्लास थाने का इंचार्ज बना दिया जाता है। तो कैसे करप्शन दूर हो सकता है ? यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। यह तो एक जुडीशियल फैसला है। पुलिस विभाग में जो आफिसर सच्चाई व ईमानदारी से कार्य करते हैं उनको प्रोमोशन नहीं मिल पाता है। प्रोमोशन दो बातों पर निर्भर है। एक तो कौन किसका रिश्तेदार है ? माननीय मंत्री दसियों केस जानते होंगे, अगर न जानते हों तो मैं उनको एक लम्बी लिस्ट दे सकता हूं जिसमें अनुचित रूप से प्रोमोशन दिया गया है। दूसरा तरीका अफसरों की चापलूसी है। नीचे के मातहत अगर अपने अफसर की चापलूसी कर सकते हैं तो वे उनको प्रमोशन देते हैं। संक्षेप में २-३ मिनट में मैं बतलाना चाहता हूं कि इस विभाग में ऊपर से लेकर नीचे तक, मंत्री जी से लेकर नीचे तक कितनी असावधानी है। उसमें किसी किस्म की मजबूती नहीं है, सचेत और सचेष्ट होने की भावना नहीं है। एक उदाहरण दे दूं। इस व्योरेवार तखमीनों के संबंध में खंड ४ में ११७ पृष्ठ पर उप-महानिरीक्षक का वेतन साढ़े सत्तरह सौ लिखा गया है। उसका वेतन अगर २,१०० जो अधिकतम है वह मान लिया जाय तो १२ महीने का वेतन ६ उप-महानिरीक्षकों का १,५१,२०० होता है, जबकि २,१६,००० मांगा गया है। महानिरीक्षक के एक सहायक हैं, अगर उनका सबसे अधिक वेतन १,१०० रुपया माना जाय तो भी १२ महीने का वेतन १३,२०० रुपया होता है, मगर इसमें मांगा गया है ३२,००० रुपया। इस प्रकार की गलतियां इसमें भरी पड़ी हैं। मैं बहुत संक्षेप में समय की कमी की वजह से कहूंगा कि बजट बनाते समय भी इतनी लापरवाही की गयी.....

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा--बस एक बात कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष--बैसे ही १५-१६ मिनट हो गये, अब आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा--बस, सिर्फ एक बात.....

श्री उपाध्यक्ष---नहीं, आप कृपया बैठिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मत्री जी को बधाई देता हूं, और बधाई इसलिये देता हूं कि उन्होंने जो पुलिस विभाग के वार्षिक कार्य-विवरण की जो पत्रिका बांटी है उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार है, पुलिस विभाग में बहुत सी कमियां हैं और पुलिस विभाग के संबंध में जो तरह-तरह की शिकायतें आती हैं उनको उन्होंने स्वीकार किया है। स्वीकार करते हुए उन्होंने यह भी उसमें स्पष्ट लिखा है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये प्रत्येक सामयिक प्रयत्न किया जा रहा है। वे पुलिस विभाग की कमियों से परिचित हैं। वह जानते हैं कि भ्रष्टाचार की शिकायतें तो सत्य ही हैं, लेकिन जब डाक्टर मर्ज को जान जाय तो वह उसका इलाज भी कर सकता है। इसलिये मंत्री जी को जब अपने विभाग की कमियां मालूम हैं तो मुझे उम्मीद है कि जितनी भी इसमें त्रुटियां हैं और भ्रष्टाचार है उसको शीघ्र योग्य डाक्टर की तरह समाप्त कर लेंगे।

[श्री नेकराम शर्मा]

श्रीमन्, दूसरी बधाई मैं इसलिये देता हूं और उन लोगों को देना चाहता हूं कि जिस पुलिस फोर्स के सिपाहियों ने और दूसरे कर्मचारियों ने डाकुओं का मुकाबला किया और उनसे लड़ते लड़ते मारे गये, वे बधाई के पात्र हैं और उस विषय में मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का आपके द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति मारा जाता है उसके परिवार को इतनी आर्थिक सहायता मिलनी आवश्यक है, कम से कम, कि अगर सर्विस करता तो, जितनी तनख्वाह वह कमाता जो लोग मारे जाते हैं जिनकी ड्यूटी डकैती आपरेशन में है। उनके लिये इनश्योरेंस बहुत आवश्यक है और जिस वक्त वह मारे जाते हैं, तुरन्त ही कुछ न कुछ और काफी आर्थिक सहायता मिल जानी चाहिये जिससे उसके संतप्त परिवार को थोड़ी बहुत सहानुभूति मिले और हिम्मत बंध सके ।

तीसरी बधाई इसलिये देना चाहता हूं कि जहां पर पुलिस विभाग फेल हो गया वहां पर कुत्ते कामयाब हो गये। श्रीमन्, पुलिस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सरकार ने दो कुत्तों को ट्रेनिंग दी और उन दो कुत्तों ने लखनऊ में ६ केसेज में, जो उनको सुपुर्द किये गये थे सभी में कामयाबी हासिल की ।

कुछ सदस्य---सब छूट गये ।

श्री नेकराम शर्मा---वह अलग चीज है छूट गये या फंस गये। जो नयी स्कीम निकाली पुलिस विभाग ने कि कुत्तों के द्वारा जुर्म करने वालों का पता लगाया जाय, उसमें आशातीत सफलता मिली। एक बहुत सुन्दर बात है कि यह सब होते हुए भी हमको १० साल आजादी प्राप्त हुए हो गये और हमने समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किया है, एक आवश्यकता इस बात की हो जाती है कि हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी यह महसूस करें और यह सोचें लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और उनमें यह भावना हो कि जहां एक जिले में वे अफसर हैं वहां दूसरे जिले में वे एक सिटीजन भी हैं। अगर यह भावना उनकी हो और यह जिम्मेदारी वे महसूस करें तो बहुत सी शिकायतें उनके विभाग की जो होती हैं उनके होने का अवसर न प्राप्त हो । श्रीमन्, इस पत्रिका में बताया गया है कि कुल ६,४८१ मामले शिकायत के सौंपे गये जिनमें से ५,५३४ मामले केवल पुलिस के थे। इनमें से १,७५१ मामले सही पाये गये जिनमें से १,३६२ मामले केवल पुलिस के खिलाफ थे । इसके फलस्वरूप ८ इंसपेक्टर्स, ४२४ सब-इंसपेक्टर्स, २४५ हेड कांस्टेबिल, ८७४ कांस्टेबिल और १ स्टेनोग्राफर को सजाये मिलीं । आप देखेंगे कि इसमें एक भी गजटेड अफसर के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई जबकि हम यह मानते हैं कि जिस जिले का एस०पी० अगर अच्छा और ईमानदार है तो उस जिले का शासन बहुत अच्छा होता है, जिस थाने का थानेदार अगर अच्छा है तो उस हल्के का इन्तजाम बहुत अच्छा होता है । लेकिन इसमें कमी पायी गयी।

एक बात हम और देखते हैं कि गजटेड अफसरों के रैंक बढ़ाये जाते हैं । काफ़ी टाप-हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। पहले एक एस० पी० होता था, एक सी० आई० होता था और एक एस०आई० होता था लेकिन अब एक एस० एस०पी० होता है, उसके नीचे एस०पी०, फिर ए०एस०पी० फिर डी०एस०पी० और एक सब-डी० एस० पी० और बढ़ा दिया गया। आवश्यकता इनके बढ़ाने की नहीं है। आवश्यकता आज इस बात की है कि जो छोटा फोर्स है, जो कांस्टेबिल हैं उनको बढ़ायें, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां पुलिस पहरा लगाती रहती है, वहां क्राइम्स कम होते हैं । माननीय मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट कहा कि क्राइम्स बढ़े हैं और उसके लिये वे सजग हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस वर्ष क्राइम कुछ कम हुए । विभाग को यह भी पता है कि क्राइम्स कुछ कम करके दिखाये जाते हैं । जब ये बातें उनकी जानकारी में हैं तो इलाज शीघ्र निकलेगा । इसके लिये एक

बहुत आवश्यक बात यह है कि जब हमारे आई०जी० महोदय या अन्य अफसर एक जिले से दूसरे जिले में जायं तो रास्ते में अगर २–४ थानों या गांवों का सरप्राइज विजिट करें और लोगों से पूछें कि वहां का थानेदार या पुलिस फोर्स कैसा है तो इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। वे मोटरों से सफर करते हैं, इसलिये अगर दूर न जाकर सड़क के किनारे के ही गांवों में चले जायं तो उनको असली वाकयात का पता हो सकता है।

सी० आई० डी० विभाग को हम देखते हैं कि जितना सतर्क और दक्ष वह अंग्रेजों के जमाने में था उतना आज नहीं है, जिसके कारण सरकार बहुत सी खबरें नहीं पाती है। जनता का जितना सी० आई० डी० पर विश्वास है उतना पुलिस विभाग पर नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग आई० जी० और मंत्री महोदय को ऐप्रोच करते हैं और कहते हैं कि हमारी जांच सी० आई० डी० से करा दीजिये। सी० आई० डी० को ठीक रखने के लिये यह आवश्यक है कि उसका आई० जी० अलग हो और उसका सीधा संबंध गृह मंत्री से हो और गृह मंत्री को सारे सूबे की एक एक बात का पता होना चाहिये कि किस शहर में, किस तहसील में और किस गांव में क्या हो रहा है। हमने देखा कि इसी लखनऊ विश्वविद्यालय के सुभाष होस्टल से लगभग दो वर्ष हुए एक लड़का गायब हो गया, मेडिकल कालेज से भी लगभग दो वर्ष हुए एक लड़का गायब हो गया लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। मैंने कई बार प्रश्न किये मगर कोई जवाब नहीं मिला। इसकी शहर में बड़ी चर्चा होती है कि दो दो लड़के गायब हो जायं और उनका पुलिस और सरकार को अभीतक पता भी नहीं चल पाया। ऐसी घटनायें उचित नहीं प्रतीत होतीं और पुलिस की उदासीनता भी अच्छी नहीं।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीज है यदि माननीय मंत्री जी उधर ध्यान दें तो काफी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है और कुछ हद तक जनता की शिकायतें दूर हो सकती हैं। एक तो रिपोर्ट लिखने का तरीका गलत है। किसी ने एफ० आई० आर० लिखाई और उसमें पांच गवाहों के नाम लिखा दिये तो फिर एस० पी० कहता है कि पांच गवाह कहते हैं और एफ० आई० आर० भी है तो हमको तो इसी तरह से मुकदमा चलाना पड़ेगा। चाहे मामला या मुलाजिम झूठे हों। संसार के अन्य देशों में जैसे इंगलैन्ड में यह होता है कि जब इनफारमेशन मिलती है तो इनवेस्टीगेटिंग आफिसर वहां पहुंच जाता है और सब पता लगा लेता है तब जाकर केस चलाया जाता है। यहां पर तो जैसा मुंशी ने कहा वैसी रिपोर्ट बेचारा गांव वाला लिखा देता है, इस तरीके में चेंज होने चाहिये (व्यवधान)। इसमें यह चेंज होनी चाहिये कि इत्तला मिल जाय कि कत्ल हुआ या डकैती हुई तो वहां कोई आफिसर जाय और जांच करे।

५/६ महीने के बाद सब पता चल जाता है कि कौन डकैत है और किस ने चोरी की है उस समय इनवैस्टीगेशन किया जाय और पूर्ण जांच के बाद गिरफ्तारी की जाय।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां जो आजकल ऐंटीकरप्शन कमेटियां हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है और इनसे कोई लाभ भी नहीं हो रहा है, इसलिये इनको तोड़ दिया जाय।

तीसरी बात यह है कि जितने आदमी रेगुलर पुलिस फोर्स में हैं उनके एक दूसरे के ट्रांसफर्स होने चाहिये। जैसे सिविल पुलिस का कांस्टेबिल आर्म्ड पुलिस में जाय, सी०आई०डी० में जाय और इसी तरह से आर्म्ड पुलिस तथा सी०आई०डी० का कांस्टेबिल भी सिविल पुलिस में जाय। इंसपेक्टर को एक जिले में ६ साल रखने का कायदा है उसको तीन साल किया जाय यानी तीन साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिये। अगर उनको शिकायत पर ट्रांसफर होता है तो उनको टी०ए० नहीं देना चाहिये।

श्रीमन्, जैसा कि माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने कहा कि इंसपेक्टर्स को पोस्ट्स को तोड़ दिया जाय, उनके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह व्यर्थ में खर्चा है। इनको तोड़ने से जो बचत होगी उससे हम चाहेंगे कि कांस्टेबिलों की भर्ती की जाय और जितनी पुलिस फोर्स (सिपाहियों) की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाय।

[श्री नेकराम शर्मा]

श्रीमन्, आजकल जो लायसेंस दिये जाते हैं वे केवल धनी पुरुषों को ही दिये जाते हैं। जो पुराने जमींदार थे उनके बारे में शिकायतें होती थीं कि वे कारतूस बेचते हैं। लाइसेंस देने का तरीका यह होना चाहिये कि भले ईमानदार आदमी को दिया जाय चाहे उसके पास जमीन न हो, चाहे उसके पास धन न हो। लेकिन ऐसे लोगों को लाइसेंस दिये जाते हैं जिनके पास दो-दो, तीन-तीन लायसेंस मौजूद हैं। एक एक आदमी के पास १०-५१ लाइसेंस हैं और वे उनका मिसयूज करते हैं। एक से ज्यादा लाइसेंस किसी को न मिले और जिन पर ज्यादे लाइसेंस हैं, जब्त कर लेने चाहिये।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—कांग्रेस के नेताओं को मिलते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, आपको मालूम होगा कि किस तरह जमींदार लोग कारतूस वगैरह बेचा करते थे उसकी रिपोर्ट्स हैं।

श्री उग्रसेन—शर्मा जी के पास कितने हैं?

श्री नेकराम शर्मा—एक भी नहीं है।

श्री उपाध्याय—आपस में एक दूसरे पर आक्षेप नहीं करना चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारे पुलिस विभाग में बहुत अच्छे आदमी हैं और सब एक से नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा है जैसे कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरह पुलिस में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके कारण विभाग बदनाम होता है। मंत्री जी को शिकायतों की जांच पुलिस एजेंसी से नहीं करानी चाहिये कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये जैसा कि मैंने अर्ज किया कि सी०आई०डी० का या और विभाग का संगठन अपने नजदीक माननीय मंत्री जी कायम करें जो उनको सच्ची-सच्ची स्थिति को बताता रहे जिसके आधार पर वह जल्दी से जल्दी ऐक्शन ले सकें।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी का ध्यान इन दो पुस्तिकाओं कीओर दिलाना चाहता हूं। आंकड़ों द्वारा सिंहावलोकन और वार्षिक कार्य-विवरण पुलिस विभाग। इन दोनों पुस्तकों में जो पुलिस विभाग का चित्र-चित्रण किया गया है वह सही रूप में संकेत देता है। हमारी इतनी भूल है कि हम इसको ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई तो अवश्य देता हूं लेकिन साथ ही साथ मुझे यह कहना पड़ेगा कि जितनी एफिशियेंसी पुलिस विभाग में अभी तक बढ़ी है उसको सब अच्छी तरह से जानते हैं। प्रदेश में शांति भंग होती चली जाती है और जनता का पुलिस से विश्वास, संतोष उठता चला जाता है। मैं, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इन आंकड़ों की ओर दिलाना चाहता हूं। सन् १९५४ में घृणित अपराध २५,०४४ हुए थे लेकिन २३,८६२ में पुलिस ने इन्क्वायरी की और बाकी जो मामले रह गये उनकी रिपोर्ट तो हुई लेकिन इन्क्वायरी नहीं हुई। यह पुलिस की एफिशियेंसी है या इनएफिशियेंसी है? सन् १९५५ में २१,९८० घृणित अपराधों की रिपोर्ट हुई लेकिन उसमें से जो इन्क्वायरी की गयी वह २२,३६५ की ही हुई। इसमें ३८५ मामलों की इन्क्वायरी अधिक ही नहीं हुई और उनका क्या हुआ और कहां से आये इसका पता कुछ नहीं है। इसको पुलिस की एफिशियेंसी कहां जाय या नहीं यह आप समझ सकते हैं।

सन् १९५६ में २५,६०० घृणित अपराधों की रिपोर्ट दर्ज की गयी जिसमें से २४,२४९ केसेज की इन्क्वायरी हुयी। इससे पता चलता है कि इन्क्वायरी कम हुई है। अगर सारे

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मामलों की एफ०आई०आर० दर्ज हुई है तो फिर उनकी इन्क्वायरी क्यों नहीं हुई। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इन्वेस्टीगेशन होता है लेकिन फिर भी घृणित अपराधों की संख्या बढ़ती चली जाती है। उन पर मुकदमें चलते हैं। सन् १९५४ में ८,५६६ और सन् १९५५ में ८,०६३ और सन् १९५६ में ८,२५० अपराधों में पुलिस ने मुकदमा चलाया। लगभग पुलिस ने २५ हजार मामलों में से ५ हजार में इन्क्वायरी सही समझ कर मुकदमे चलाये, बाकी नहीं की। अब इसको पुलिस की एफिशियेंसी कहा जाय या इनएफिशियेंसी ? मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि सन् १९५४ में पुलिस द्वारा ३९,४५५, १९५५ में ३८,०१३ और सन् १९५६ में ३८,६९१ आदमियों पर मुकदमा चलाया जिनमें से १९५४ में १७,२१३ आदमी सजावार हुये और सन् १९५५ में १६,२५१ और सन् १९५६ में १६,८३४ आदमियों को सजा हुई और बाकी आदमी सब छूट गये। अब आप लोग यह देखें कि ये लोग किस प्रकार से छूटे। जो लोग किसी तरह से थानेदार के पास पहुंच गये या जो दलालों के पास पहुंच गये तो वह पहली रिपोर्ट के समय ही मुक्त हो गये या उनके मामलों में इन्क्वायरी ही नहीं हुई और वह उसी समय छूट गये। उनके ऊपर मुकदमे चले, उनके घर वाले या दूसरे लोग दलाल के पास पहुंच गये और दलालों ने गवाहों के पास जा कर गवाहों को तोड़ा। यदि वहां भी किसी तरह से काम नहीं चला तो गवाहों के बयान बिगड़वा दिये। लेकिन वे छूट जाते हैं। यह पुलिस की एफिशियेंसी है और किस तरह से बढ़ रही है इसका अनुमान किया जा सकता है !

आज हमारे प्रदेश की पुलिस में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसकी रिपोर्ट इस पुस्तिका में दी गयी है जो विभाग की तरफ से दी गयी है। उसमें लिखा है कि ६,८४१ मामले पुलिस को जांच के लिये सौंपे गये जिनमें ५,५३४ मामले पुलिस विभाग से संबंधित थे। आप समझिये कि करीब ८० प्रतिशत मामले पुलिस विभाग के थे और जांच के फलस्वरूप १,७५१ मामले सही पाये गये जिन में से १,३६२ मामले पुलिस विभाग से संबंधित थे। इन सब में १,७६७ कर्मचारी दंडित किये गये जिनमें १,५५७ पुलिस विभाग के थे और २१० अन्य विभागों के थे। क्या यह पुलिस की एफीशियेंसी बढ़ने का प्रमाण है ?

माननीय मंत्री जी ने अनुशासनिक कार्यवाही में तसलीम किया है कि हमारे यहां अपराधों को उल्टा कर के लिखा जाता है। माननीय मंत्री जी विभाग की सब बातों को समझते हैं और उन्होंने उन्हें हमारे सामने रखा भी है। सवाल यह है कि यह भ्रष्टाचार रुके कैसे ? प्रत्येक थाने में दलाल है और जब कोई फंसता है तो वह भाग कर थाने पर ही मामला तय करा लेते हैं। मामला आगे बढ़ा तो गवाहों को तोड़ कर मामला तय करा दिया जाता है। तो मैं अर्ज करूंगा कि इस दलाल पद्धति को समाप्त किया जाय। स्थानीय बोर्ड के प्रेसीडेंट, पंचायत के सरपंच और दूसरे लोग देखें कि यह दलाल कौन लोग हैं, जो हिस्सा लेते हैं और सारा मामला तय करा लेते है। अगर यह दलाल पद्धति समाप्त हो गयी तो निश्चय ही भ्रष्टाचार समाप्त हो जायगा। आज मैं देखता हूं कि अपने प्रदेश में १०९ और १०७ के मुकदमे जो चलते है उनमें पुलिस का बड़ा हाथ रहता हैं और वे गांव के आदमियों को ही इनमें पकड़ते है। यदि गवाह नहीं मिलते तो ये मुकदमे भी छूट जाते है। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं कि आज डकैत लाइसेंस लेते हैं और उनको कारतूस मिल जाते है। जो लाइसेंस होल्डर्स होते हैं या जो दूकानें होती हैं, उनसे उनको कारतूस मिल जाते हैं। क्या माननीय मन्त्री जी ने कभी इसकी जांच करायी है कि डकैतों को कारतूस कहां से मिल जाते है ? और क्या इस सम्बन्ध में कभी कोई कार्यवाही हुई ? मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो लाइसेंस पुलिस विभाग द्वारा जांच करके दिये जाते है, इस प्रथा को समाप्त कर के जांच स्थानीय बोर्ड के प्रेसीडेंट और सरपंच द्वारा की जानी चाहिये या स्थानीय एम० एल० ए० जांच कर लें ताकि कारतूस अच्छे आदमियों को ही मिलें और डकैतों को न मिल पायें। इस सिलसिले में काफी छानबीन होनी चाहिये ताकि इस प्रदेश में न्याय कायम हो सके।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा उत्तर प्रदेशीय पुलिस की प्रशंसा करता हूं, इस अर्थ में कि और प्रदेशों की अपेक्षा यहां की पुलिस विशेष एफीशियेन्ट, ज्यादा तर्कशील और गतिशील है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि एक आदर्श पुलिस की चर्चा करने पर हमको आदर्श समाज की भी कल्पना करनी चाहिये और हमको आदर्श कानून की तरफ भी ध्यान देना होगा। क्योंकि जब हम आदर्श की बात करते हैं तो सभी बातों में जब आदर्श होगा तभी हम आदर्श पर पहुंच सकेंगे। बड़े-बड़े विचारकों का कहना है ला ग्राइन्ड्स दि वीक परसन्स ऐन्ड स्ट्रांग रुल्स दि ला। कानून जो है दुर्बलों को तो पीस देता है लेकिन सबल उस पर शासन करते हैं। ला एन्ड आर्डर बड़े भ्रमात्मक शब्द हैं और शासकवर्ग सदैव से इसका प्रयोग करता चला आया है यानी इसके अन्दर समझ-बूझ की बड़ी सामग्री होती है। जब तक आर्थिक संतुलन ठीक न हो तब तक ला एन्ड आर्डर की बात कह कर पुलिस को आदर्श नहीं बनाया जा सकता। आज नहीं हजारों वर्षों से ला एन्ड आर्डर का स्लोगन लगता चला आया है। हमारे पुरातन ग्रन्थों में लिखा हुआ है :—

"न च दंडो नच दंडकाः,
स्वधर्मेणैव रक्षन्ति
निज धर्मं परस्पर : ।"

यानी न तो दंड था, न दंड पाने वाले थे, न कोई दंड देने वाला था, सब अपने अपने धर्म की रक्षा कर लिया करते थे। पश्चिमी विचारक भी यही कहते हैं "बेस्ट कंट्री इस दैट कंट्री विच इज गवर्न्ड दि लीस्ट।" अर्थात् दुनिया के वे मुल्क सब से अच्छे हैं जो शासन मुक्त हैं। यद्यपि शासन शब्द मौलिक रूप से एक छोटे रूप में प्रयुक्त हुआ है, सारे शासन के विभागों का एक मात्र कर्तव्य जनता को सुशिक्षित करना है जिससे स्टेटलैस सोसाइटी का निर्माण हो सके, यह आदेश की बात है। काम की बात तो यह है कि हमें अपनी पुरानी मान्यताओं को राजतंत्र शासन द्वारा बने हुए दंड विधान को, कानूनों को, पुलिस के रूल्स और रगुलशन्स को ओवरहाल करना होगा क्योंकि आज का वातावरण पहले से बिलकुल विपरीत है। आज की मारल वेल्यूज में चेंज हो गया है। आज का शासन अर्थसंचालित है और प्रेमपाश के अन्दर ऐन्द्रीयता बढ़ती जाती है, उस पर हमें नियंत्रण करना होगा। आज हमारा विश्वास परलोकवाद में नहीं रह गया है और झूठी गवाही के रूप में वह हमें नित्यप्रति दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की कठिनाइयां हमारे सामने हैं। इसीलिये पुलिस के मार्ग में भी कठिनाइयां हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश की पुलिस की मैं प्रशंसा करता हूं। अभी हाल में आई० जी० पुलिस ने यह कायदा बनाया है कि यदि किसी की पहली रिपोर्ट न लिखी जाय और सही बात हो तो पुलिस के सुपरिंटेन्डेन्ट के पास अविकल रूप से उसको लिख कर भेज दे, वही फर्स्ट इनफारमेशन रिपोर्ट मानी जायगी, यह बहुत ही आदर्शपूरक काम है। लेकिन पुलिस के सामने और भी कठिनाइयां हैं।

जिस समय हम पुलिस के संबंध में विचार करते हैं तो हमें अपराधों की संख्या पर विचार नहीं करना चाहिए। गहराई से यदि विचार किया जाय तो अगर हम संख्या पर विचार करते रहेंगे तो अवश्य ही पुलिस संख्या को कम करके दिखायेगी, ऐसा मैं मानता हूं। अगर हम थोड़े दिन के लिये संख्या पर विचार करना छोड़ दें तो कुछ दिनों तक संख्या बढ़ेगी। पुलिस ज्यों-ज्यों ईमानदारी से काम करेगी त्यों-त्यों क्राइम की संख्या में १—२—३ वर्ष बढ़ोत्तरी नजर आयेगी क्योंकि पुलिस के सामने जो कठिनाइयां हैं उनको हम नहीं भूल सकते। इसलिये मेरी यह मांग है कि पुलिस को ईमानदारी से काम करने देने के लिये सरकार कानून और कायदे बनाये जिससे वह सच्चाई से काम कर सकें। मैं माननीय विधान सभा के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि प्रान्त की पुलिस और जुडीशियरी का कर्त्तव्य क्या है ? यदि पुलिस के सामने कोई रिपोर्ट आती है और उसी प्रकार से उसको लिख देती है, जैसा कि रिपोर्ट करने वाला कहता है जो कि बिलकुल पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या वह मुकदमा सेशन कोर्ट अथवा दूसरी अदालतों में कामयाब

हो जायगा ? जो जानकार लोग हैं वे जानते हैं कि इस प्रकार से एक मुकदमा भी कामयाब नहीं हो सकता। बड़े-बड़े हीनियस क्राइम्स में पुलिस के लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वास्तविकता की जांच करके वहां पर वे पहली रिपोर्ट को लिखते हैं, नहीं तो जुडीशियरी की ओर से लिख दिया जाता है कि पहली इनफारमेशन रिपोर्ट में इस प्रकार से नहीं लिखा गया है, मुल्जिम का नामांकन नहीं किया है, इसलिये यह संदिग्ध है। अगर हम पुराने कायदों में आमूल परिवर्तन नहीं करते हैं और पुलिस को मूल्य नहीं देते तब तक हम अपनी पुलिस की दूसरे मुल्कों की पुलिस से तुलना नहीं कर सकते। दूसरे मुल्कों में पुलिस को मान्यता है। इसके साथ ही साथ हमें जनता का मारल बढ़ाने की शिक्षा भी देनी होगी। ज्यों-ज्यों यह चीज होगी काम ठीक होता जायगा। हम कानून के द्वारा इसको कर सकते हैं, लेकिन मिक्स्ड इकानामी के वातावरण में हम पूरा रेवोल्यूशन समाज में नहीं कर पाते, जिससे एक सी आर्थिक अवस्था ला सकें। हमारा विश्वास है कि पंचवर्षीय योजना में हम डाउन ट्राडन को नीचे के स्तर से उठा कर ऊपर की सतह के समकक्ष लावेंगे जिससे उनमें कम खाई रह जायगी। जब तक इसमें आमूल परिवर्तन नहीं करते हैं, जब तक आर्थिक दृष्टिकोण से सबको एक स्तर पर नहीं लाते हैं तब तक, पुलिस विभाग हो या कोई भी दूसरा विभाग हो, उसमें यह रोग बना ही रहेगा।

आज हमको यह भी देखना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने बहुत सी कठिनाइयां भी हैं। यह कहा जाता है कि बलवे की संख्या बढ़ गयी है लेकिन उनकी संख्या कम लिखी जाती है। अगर कोई सब इन्स्पेक्टर ५ से अधिक की रिपोर्ट लिखता है तो एस० पी० उससे एक्सप्लेनेशन पूछता है कि आपके यहां अपराधों की संख्या क्यों बढ़ रही है ? इसका नतीजा यह होता है कि सब इन्सपेक्टर ४ से अधिक की रिपोर्ट अपने यहां नहीं लिखते हैं। आई० जी०, डी०आई० जी० के यहां से, हर एस० पी० के यहां से सर्कयुलर जाता है, चाहे वह गुप्त सकर्यूलर ही क्यों न हो, लेकिन उसमें यही होता है कि जहां तक हो सके अपराधों की संख्या कम दिखलायी जाय और कुछ लोगों की लिस्ट तैयार की जाय। माननीय मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और सिर्फ इस चीज पर विचार करना चाहिए कि इसका नतीजा यह होता है कि सब इन्सपेक्टर लावारिश लोगों को पकड़ कर उनकी लिस्ट तैयार करते हैं ? ताकि कुछ संख्या दिखला सकें और उनकी मान्यता प्राप्त कर लें। इसकी जड़ में भी इन्डिविजुअल चीज है। हमको तो एक आदर्श स्थापित करना चाहिये। हजारों वर्ष से जो पुरानी बातें चली आ रही हैं, उनको खत्म करना है जिससे कम अपराध हों। आज पुलिस के सामने एक और कठिनाई यह है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी उसकी गवाही के अन्दर जाना नहीं चाहता है। इसका नतीजा यह होता है कि पुलिस को कुछ दलालों से गवाह के रूप में काम लेना पड़ता है जो अर्थ लोलुपता की वजह से और प्रेमपाश की वजह से अदालतों में जाकर टूट जाते हैं, जिससे मुकदमा खराब हो जाता है। बात सच्ची, घटना सच्ची लेकिन गवाह मुकदमे में नहीं आते हैं। घटना जिस क्षेत्र में होती है वहां का कोई गवाह नहीं मिलता है, तो फिर पुलिस अपने उन्हीं दलालों को गवाह के रूप में पेश करती है क्योंकि उसका उन्हीं के ऊपर विश्वास होता है। मैं अपने माननीय मंत्री जी का बहुत ही कृतज्ञ हूंगा यदि वह पुलिस के संबंध में जो कि हमारे समाज की आधारशिला है, जो पुराने कायदे कानून हैं, उनको छोड़ कर जो नये कायदे-कानून हैं, उनको आदर्श बनावें और उनपर दृष्टिपात करके अपने काम को चलावें जिससे वे अपने आदर्श को पूरा करें। उनको चाहिये कि नये कायदे कानून का निर्माण करें जिससे काम चल सके। केवल यह कह देने से कि पुलिस ठीक नहीं है या पुलिस के नौजवान नर्वस हैं, कुछ नहीं करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हमको चाहिये कि हम अपने यहां ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे पुलिस अपने कर्त्तव्य को समझ सके और हमारे प्रदेश के लोग भी सीना खोल कर, ऊंचा सीना करके चल सकें।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए पुलिस विभाग के कार्यों के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। श्रीमन्,

[श्री भीखा लाल]

यह जो किताब पुलिस के वार्षिक कार्य विवरण के सम्बन्ध में मुझे मिली है, इस में अपराधों के आंकड़े दिये हुए हैं। उनकी ओर संकेत करते हुए माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि इस साल अपराधों में कमी हुई है। आंकड़े देखने से सचमुच अपराधों में कमी हुई है, लेकिन देखना यह है कि ये आंकड़े कहां तक सही हैं। इसका मैं एक उदाहरण अपने जिले उन्नाव के हसनगंज थाने का दूंगा। श्रीमन्, एक प्रश्न मैंने किया था कि सन् १९५५-५६ और १९५७ में कितने कत्ल वहां हुए, उसका जवाब मुझे मिला कि सन् १९५७ में सिर्फ एक कत्ल वहां पर हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मन्त्री जी को बतला देना चाहता हूं कि सन् १९५७ में हसनगंज थाने में एक नहीं बल्कि तीन कत्ल हुए हैं। माननीय मन्त्री जी नोट कर लें। दो कत्ल भगवन्त खेड़ा में और १ कत्ल ताला सराय में हुआ। प्रश्न के उत्तर में जो रिपोर्ट दी जाती है उसमें एक कत्ल है, लेकिन वास्तव में तीन हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा इन आंकड़ों की सच्चाई में एक और तीन का अनुपात है। या कमी ज्यादती है, अगर इस तरह की स्थिति हुई तो यह आंकड़े कहां से कहां पहुंच जायेंगे। दूसरी बात मैं यह चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी जांच करायें कि उनके पास गलत रिपोर्ट कैसे पहुंची, इसका जिम्मेदार कौन है।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पुलिस के खिलाफ जो शिकायतें हुईं, उसमें जांच करने के बाद जो सही मामलात पाये गये वह भी दिखाये गये हैं और यह कहा गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष अपराध कम हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तो पुलिस के खिलाफ किसी की जल्दी-जल्दी हिम्मत नहीं पड़ती कि शिकायत करे क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही खराब होती है और सरकार के पास ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि पुलिस के खिलाफ शिकायत करने के बाद पुलिस में प्रतिहिंसा की भावना न पैदा हो और बदला लेने की कोशिश न की जाय। आये दिन ऐसे वाकयात होते रहते हैं जिससे पुलिस के जरिये से, वाकयात सही साबित न हो जायं इस में हर तरह के रोड़े अटकाये जाते हैं। हमारी सरकार हर बात में इंग्लैंड की नकल करती है और उनकी कार्य प्रणाली को अपनाने की कोशिश करती है। दूसरे अंग्रेजों ने जो कुछ पद-चिन्ह छोड़े हैं उन्हीं पर हमारी सरकार चलने का प्रयत्न करती है। अंग्रेजों के समय में मुख्य विरोधी दल कांग्रेस थी। उस समय अंग्रेज कांग्रेस को हर तरह से दबाने का प्रयत्न किया करते थे, हमारी सरकार भी आज वही कर रही है। जितनी विरोधी पार्टियां हैं उनके प्रति वह वही तरीका अख्तियार कर रही है। मैं अपने कथन की पुष्टि में एक ही उदाहरण दूंगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार सही साबित न हो, इसके लिये किस तरह की कार्यवाही पुलिस ने की और पुलिस ने विरोधी संगठनों को तोड़ने की कोशिश की। उन्नाव जिले में हसनगंज थाने के इंचार्ज ने एक व्यक्ति से एक हजार रुपये की रिश्वत ली। उसके ऊपर इस तरह का घेरा डाला कि जब तक उसने रुपया दे नहीं दिया उसको अपने कब्जे से नहीं छोड़ा गया। उसने शिकायत की और हम लोगों को भी सूचना दी कि हम से एक हजार रुपया रिश्वत ली गयी है। हमने चाहा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाय। जब थाने के इंचार्ज को मालूम हुआ कि इस किस्म की शिकायत हो गयी है और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जांच हो जाय, उसी दिन से कम्युनिस्ट पार्टी और दरख्वास्त देने वाला व्यक्ति उन दरोगा के दुश्मन हो गये। उन में प्रतिहिंसा की भावना पैदा हो गयी और उसी दिन से कोशिश करने लगे, और हर तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन को तोड़ने के कदम उठाते रहे और उस व्यक्ति को परेशान और हैरान करने की साजिश करते रहे। यहां तक कि उस व्यक्ति को कत्ल करने की भी साजिश की गयी जिसकी सूचना माननीय मन्त्री जी को ५ दिसम्बर को दरख्वास्त के जरिये और दूसरे अधिकारियों को भी दी गयी। ७ तारीख को वही शख्स दरोगा जी के जरिये से वहीं पिटवाया जाता है और जिस समय पीटा जाता है दो पुलिस के सिपाही खड़े रहते हैं। उन पीटने वालों को रोकते भी नहीं। इस की दरख्वास्त भी ११ तारीख को दी गयी। हम इस सिलसिले में माननीय मन्त्री जी से से मिले और निवेदन किया कि इस में निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिये। पता नहीं क्या हुआ। हम जिले के अधिकारियों से भी मिले, पुलिस कप्तान और, डी० एस० पी० से मिले। परन्तु यह दरोगा

इन अधिकारियों का पता नहीं कितना लाडला है कि उन्होंने सिवा उसकी वकालत करने के यह भी आश्वासन नहीं दिया कि इस पर निष्पक्ष रूप से कार्यवाही होगी और जांच होगी।

कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फसाने की कोशिश की गयी। गलत रिपोर्ट लिखाकर १५१ में बन्द किया गया। ११० में भी चालान करने की कोशिश की गयी ताकि यह मामला साबित न हो सके। हमने ११ जनवरी को हसनगंज में मीटिंग की। दरोगा जी ने उस मीटिंग को भंग करने की कोशिश की और थाने भर के गुंडों को इकठ्ठा करके दूसरी मीटिंग करवायी। वहां पर जनता ने साबित कर दिया कि वह शान्ति चाहती है। आज किस तरह से जनता उनके अत्याचारों से दुखी थी कि हमारी मीटिंग में ३ हजार आदमी आये, माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास सी० आई० डी० की रिपोर्ट आई होगी, उनको मालूम होगा और उन दरोगा जी की मीटिंग में मुश्किल से २०० आदमी रहे होंगे जो कि गुंडे और उनके दलाल थे। हमने समझा था कि इससे उनको अक्ल आ जायगी लेकिन उनको अक्ल नहीं आयी।

उनके कारनामे रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। उन किसानों के ऊपर जो हमारे समर्थक थे, जो गवाही देना चाहते थे, जमींदारों से मिलकर के उनके खेतों पर कब्जा करवाया और उन काश्तकारों के खिलाफ ११७ और १५१ की कार्यवाही करके उनको जेलों में बन्द करवाया। उन जमींदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई जो जबर्दस्ती कब्जा किये हुए हैं। उसके बाद कम्प्लेंट आफिसर साहब ने जांच की। जिन आदमियों ने शहादत दी कि हमारे सामने इनको परेशान करके इनसे इस तरह से एक हजार रुपया लिया गया, उनका क्या होता है ? उस गवाह को धमकाया जाता है कि अगर तुम गवाही दोगे तो तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी। गवाही देने के बाद उसके दो खेतों की फसल कटवा ली जाती है। इसकी सूचना बराबर पुलिस अधिकारियों को हम देते रहे लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

तो मैं माननीय मन्त्री जी से यही कहूंगा कि अगर यही रवैया पुलिस का रहा, इस तरह से जनसंगठनों को दबाने में पुलिस का प्रयोग किया गया तो यह सरकार जनप्रिय सरकार नहीं बनेगी। उन्नाव जिले में कांग्रेस पिछले चुनाव में हारी। कांग्रेस को वहां मजबूत करने के लिये हर कोशिशें की जा रही हैं और उसको मजबूत करने के लिये पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इस सदन के सामने आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि जनता ने जो कालिख कांग्रेस के मुंह पर पोत दी है वह पुलिस के जरिये नहीं धोयी जा सकती है और इस तरह से पुलिस के जरिये से जनसंगठनों को दबाने से उसकी प्रतिक्रिया दूसरी होगी।

अभी पिछली दफा उन्नाव जिले के बारात कांड के सिलसिले में मन्त्री जी ने इसी सदन में कहा था कि मुझे बड़ा दुख है कि पुलिस के जरिये से ऐसी घटना हो गयी। मैं कहना चाहता हूं कि हसनगंज की परिस्थिति आज ऐसी ही हो गयी है कि कहीं उसकी पुनरावृत्ति फिर न हो जाय और उनको यहां खड़े होकर कहना पड़े कि उनको इसके लिये दुख है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस किस्म की घटनाएं जो उनकी नालेज में आ गई हैं, उनके सम्बन्ध में वह उचित कदम उठायें, उस दरोगा को इस किस्म के काम करने से रोकें और जिले के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आगाह करें।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के सिलसिले में कहा था कि विरोधी पक्ष के लोग सिवाय अलोचना के और कुछ अच्छे कामों की तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन दुःख इस बात का है कि हमारे द्वारा तारीफ और आलोचना दोंनो ही सरकार को खलती हैं। इसका भी एक उदाहरण दे दूं। एक सब इंसपेक्टर सूफीपुर में तैनात थे जो कि एक नमूने के तौर पर थे। एक पैसा रिश्वत नहीं लेते थे, दलालों को पास फटकने नहीं देते थे और गलत मुकदमें नहीं चलाते थे। जब-जब हमने वहां के पुलिस अधिकारियों के गलत कामों की आलोचना की तब-तब हमने इस बात का उदाहरण भी दिया कि वह एक दरोगा हैं जिनसे दूसरे दरोगाओं को सबक लेना चाहिये कि वह कोई गलत काम नहीं करेंगे। उसका नतीजा यह हुआ कि चार महीने में ही

[श्री भीखालाल]

उस दरोगा का तबादला गैर जिले को कर दिया गया । शायद सरकार के दिल में यह अन्देशा हुआ कि यह कहीं कम्युनिस्ट तो नहीं है या कम्युनिस्टों का मित्र तो नहीं हो गया है : उसने उसका ट्रांसफर करा दिया । तो सरकार का इस तरह से कार्य करना कि जो अच्छे आदमी हों, उनका तो फौरन तबादला हो गया और जिसके खिलाफ सैकड़ों शिकायतें हैं, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार इनके जरिये से जनसंगठनों को दबाने का काम ले रही है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बातों पर ध्यान दें ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)––उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं बधाई तो देता ही हूं क्योंकि उनके ऊपर जो राज्य की पुलिस का भार है वह उतना बड़ा है कि उसको सम्हालने के लिये बहुत सी नयी-नयी योजनाओं को अमल में लाना है । लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बजाय इसके कि मैं एक जाब्ते की बात कहूं, मैं कानपुर शहर की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि वहां पर जूही पुलिस ने जिसके पास एक जाली वारंट आया जौनपुर से , हमारे एक साथी को गिरफ्तार किया । गिरफ्तार करने के बाद जब मैंने अधिकारियों से कहा कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह लगभग दो वर्ष पूर्व की पुनरावृत्ति हो रही है, इससे दो वर्ष पहले भी सहारनपुर से कुछ जाली वारंट आये थे और उनमें एक स्त्री और तीन पुरुष को गिरफ्तार करके सहारनपुर पहुंचाया गया था, लेकिन वे सब जाली निकले । इसमें कोई शक नहीं कि वहां के पुलिस अधिकारियों ने तुरन्त जौनपुर टेलीफोन किया और उन्होंने उस बात की असत्यता को प्रकट किया और उनको छोड़ दिया । मैं यह बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार के केसेज कानपुर में हो रहे हैं । इसमें एक गिरोह है जिसके कुछ लोग ठीक पुलिस के पीछे रहते हैं । मैं चाहता हूं कि उसका आप पता लगायें और उसकी इन्क्वायरी करें । जांच करने के उपरान्त आपको इसके पीछे एक बड़ा भारी गिरोह मिलेगा ।

अभी हाल ही में एक घटना हुई । ३–४ महीने हुए तब एक कत्ल हुआ और उस कत्ल में जो रिपोर्ट हुई उसकी शिनाख्त नहीं की गयी । वे करीब-करीब छूट गये । फिर ऊपर के अधिकारियों ने दरोगा को लिखा कि तुम इसका पता लगाओ । चुनान्चे अभी तीन रोज हुए तब एक सज्जन वहां पर पकड़े गये और इतनी मार उनको पड़ी कि वे बेहोश हो गये । उनके घर की फिर तलाशी ली गयी । वे गांठ गिरवीं का काम करते थे । कुछ जेवरात निकलना स्वाभाविक था । पूछा गया कि आपकी कौन सी चीज है ? उन्होंने कहा कि मेरे पास लिखा पढ़ी है, किताब है । उसके बाद दरोगा जी उस किताब को जबरदस्ती ले कर चले गये और उन साहब को जेल में भेज दिया ।

इसके अतिरिक्त कानपुर शहर में अर्से से गुमनाम नोटिस निकला करते हैं, लेकिन आज तक उसका कोई भी पता नहीं लग सका । बड़े अफसोस की बात है कि जिस पुलिस के पास इतने साधन हों वह इसका पता न लगा सके । मुझे ज्ञात हुआ कि करीब-करीब उसका पता लग भी गया था लेकिन न मालूम किन कारणों से इन चीजों को दबा दिया जाता है । मैं चाहता हूं कि इसकी जांच करने की कृपा की जाय ।

लगभग दो-ढाई साल हुए कानपुर शहर में उत्तर प्रदेश के आई० जी० साहब गये थे । मैंने उनसे अनुरोध किया था कि कानपुर शहर के विस्तार को देखते हुए यह आवश्यक है कि एक थाने का और निर्माण किया जाय, क्योंकि पहले आबादी ८–९ लाख थी जो कि बढ़ कर अब १४ लाख हो गयी है । उन्होंने मेरी बात को मान लिया था और यह मुझे पता लगा कि वह चीज सभवतः हो गयी है । लेकिन कार्य रूप में परिणत वह आज तक नहीं हो सकी । यदि ऐसा हो जाय तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में पुलिस का थाना हो जायगा वहां पर इस तरह के क्राइम्स कम होने की संभावना अधिक हो जायगी ।

ऐन्टी–करप्शन कमेटी के सम्बन्ध में मेरे भाई नेकराम शर्मा जी ने कहा था कि इनको तोड़ दिया जाय । मुझे उनका बहुत ही कटु अनुभव है, क्योंकि कानपुर में एंटी–करप्शन कमेटी

का चेयरमैन मैं स्वयं हूं। मुझे मालूम है जब पहले जिलाधीश उसके चेयरमैन हुआ करते थे तो ज्यादा चीजें हो जाया करती थीं बनिस्बत इसके जब नान-आफिशियल चेयरमैन होता है। मैं गत वर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी से इस सिलसिले में नैनीताल में मिला था और उनसे कहा था कि या तो कमेटी के चेयरमैन को इतने अधिकार दे दीजिये कि वह कुछ सक्रिय कदम उठा सके और यदि यह नहीं किया जाता है तो मेरी इच्छा यह है कि उत्तर प्रदेश में जितने कमेटीज के चेयरमैन हैं उनकी एक कान्फ्रेन्स बुलायी जाय और उसमें जो कुछ निर्णय हो उसके मुताबिक सरकार कार्यवाही करे ताकि वे कुछ सक्रिय कदम उठा सकें और जनता की तकलीफों को दूर कर सके। ८ महीने के बाद मुझे एक पत्र मिला कि डिवीजनल कान्फ्रेन्स का प्रबन्ध किया गया है। इलाहाबाद में जो डिवीजनल कान्फ्रेन्स हुई उसमें मैंने अपनी राय प्रकट की लेकिन परिणाम मुझे आज तक मालूम नहीं हो सका। जिस प्रकार मैंने दो, तीन वर्ष पूर्व इस सदन में यह मांग की थी कि आदर्श थाने तोड़ दिये जायं उसी प्रकार आज मैं यह मांग करता हूं कि ऐंटी-करप्शन कमेटीज तोड़ दी जायं। उसमें हमारे कहने पर ही एस० पी० व जिलाधीश आते हैं, अगर निमंत्रण न दें तो वे नहीं आते। ऐसी दशा में आप समझ सकते हैं कि जो शिकायतें आती हैं वे उन्हीं अधिकारियों के पास भेज दी जाती हैं जिनके द्वारा जनता को तकलीफ दी जाती है। परिणाम यह होता है कि वे असत्य साबित हो कर कमेटी के सामने आ जाती हैं। मेरा यह अनुभव है कि गत ३ वर्षों के अन्दर जितनी भी शिकायतें आयी हैं उनमें शायद ७५ परसेंट ऐसी हैं जिनको असत्य साबित किया गया। इसलिये मेरे पास मांग है कि या तो आप इनको ताकीद दें या इनमें सुधार करें, या किसी तरह से इसमें ऐसा आयोजन करें जिससे जनता की तकलीफ दूर हो सके।

मैं एक मांग आपसे और करना चाहता हूं और वह यह कि अक्सर यह देखा गया है कि हर जिले के विभागों की मीटिंग्स एस० पी० महोदय किया करते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे नगर में पिछले एक साल से कोई भी मीटिंग इस प्रकार की नहीं हुई। हमको नहीं मालूम कि हमारे नगर में जो एस० एस० पी० बदल कर आये हैं वह कौन सज्जन हैं, कैसे आये और कहां से आये? हम जानना चाहते थे कि किस प्रकार से वह कार्य का संचालन करना चाहते हैं।

मैं इन सब बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए इस बात की मांग करता हूं कि जिस तरह से आपने विभिन्न विभागों की ऐडवाइजरी कमेटीज बना रखी हैं, जैसे पी० डब्लू० डी० इत्यादि की, इस तरह से मैं आपसे चाहता हूं कि मेहरबानी करके पुलिस विभाग की एक ऐडवाइजरी कमेटी बनायें ताकि हम समय-समय पर जो जनता के प्रतिनिधि हैं वह अधिकारियों को सलाह दे सकें और उनकी तकलीफें दूर हो सकें।

एक बात और कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। थोड़े दिन की बात है कि कानपुर में स्टेशन के ऊपर लगभग ११ आदमी या १५ आदमी गिरफ्तार किये गये और ऐसा मालूम होता है कि उनको इस बिना पर गिरफ्तार किया गया कि वह किसी डकैती में जा रहे थे या तो यह बात सही हो कि वह डकैती करने जा रहे थे या कोई दूसरी बात रही हो, बहरहाल सब के सब गिरफ्तार कर लिये गये और जब थाने में तलाशी ली जाने लगी तो उनका सामान तो गायब हो ही गया, लेकिन उनको एक मोटर में बैठाला गया और दो आदमियों को सीसामऊ में, दो आदमियों को कैंटोनमेंट और दो को कोतवाली, दो को कलक्टरगंज, इस तरह से उनको सारे थानों में बांट दिया गया और उनके ऊपर १०९ की कार्यवाही की गयी। मैं आपसे चाहता हूं कि वास्तव में अगर वह डकैत थे तो उनके ऊपर डकैती के मुकदमे चलाये जाते, लेकिन इस प्रकार दूसरे जुल्मों में उनको गिरफ्तार करने से, इस तरह का कार्य करने से इस लोकप्रिय सरकार की बदनामी होती है।

(कुंवर श्रीपाल सिंह का नाम पुकारा गया)

श्री सुरथबहादुर शाह---यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रस्ताव करना चाहता था। यहां पर काफी आदमी बोलने के लिये इच्छुक हैं, इसलिये भाषण का समय ७ मिनट कर दिया जाय। मैंने सचेतक, बहुमत दल, और अन्य सचेतकों से बातें की हैं और वह इससे सहमत हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पास भी बहस में भाग लेने के लिये काफी संख्या में माननीय सदस्यों के निवेदन प्राप्त हुये हैं। अतः उचित होगा कि ७ मिनट टाइम रखा जाय। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति हुई तो मैं दो-तीन मिनट और दे दिया करूंगा।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---मेरा प्रस्ताव है कि पुलिस के सम्बन्ध में आप विरोधी पक्ष को ही अधिक बोलने का समय दें।

श्री उपाध्यक्ष---इसके बारे में आप एक प्रस्ताव पास करा लें तो मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा।

कुंवर श्रीपाल सिंह---श्रीमन्, यह व्यवस्था तो मेरे बोलने के बाद लागू की जाय, जो ७ मिनट के समय की है? मुझे समय मिल चुका है।

श्री उपाध्यक्ष---आपके बाद ही लागू होगी।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न लाना चाहता हूं, वह यह कि क्या कोई लिस्ट दी गयी है आपको, या कुछ मेम्बरान यहां से जाते हैं, कुछ कहते हैं उस पर आप माननीय सदस्यों को समय दे रहे हैं? मैं इस पर जानकारी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---इस सम्बन्ध में मुझे पूरा अधिकार है। जैसा मैं उचित समझता हूं और जिस माननीय सदस्य को उचित समझता हूं उसे समय देता हूं। इस प्रकार के विषयों में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

कुंवर श्रीपाल सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है परन्तु मैं थोड़े में ही श्रीमन् की सेवा में निवेदन करूंगा। यह महत्वपूर्ण इसलिये है कि सृष्टि के आदि काल में जब राज्य की स्थापना हुई तो वह केवल इसी काम के लिये हुई जो इस पुलिस विभाग के जिम्मे आज है। (व्यवधान) जी हां, अगर राजा न बनाये गये होते तो आज आप राजा न होते। श्रीमन्, निर्बलों के स्वत्वों का प्रबलों के द्वारा जब अपहरण हुआ करता था उसी से बचाने के लिये राज्य की स्थापना हुई, वह चाहे राजतंत्र हो, चाहे प्रजातंत्र हो, चाहे कोई भी तंत्र हो राज्य की स्थापना का आधारशिला ही यह विभाग है। मगर आज बड़े अफसोस की बात है कि इस विभाग में बहुत सी कमियां आ गई हैं, यह विभाग अपने कार्य में शिथिल हो चुका है और उस शिथिलता के भी तीन, चार कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि योग्यताओं का विचार किये बगैर पदोन्नति की जाती है। लाख अच्छा काम करने वाला आदमी हो अगर वह किसी का रिश्तेदार नहीं है या किसी बड़े आदमी का वरद्-हस्त उसकी पीठ पर नहीं है तो वह जिन्दगी भर उसी जगह पर सड़ा करेगा।

दूसरी चीज यह है कि तनख्वाहें इस कदर कम हैं इस विभाग में कि जिसकी कोई इन्तहा नहीं है। आप देखें कि पुलिस का एक सिपाही जिसके ऊपर राज्य की व्यवस्था कायम रखने का भार है, जो इस विभाग की नींव की एक ईंट है, उसकी तनख्वाह ३० रुपये माहवार है और उसी पुलिस विभाग में जो लाइन में घोड़े रखे जाते हैं उन पर ६० रुपया माहवार सरकार का खर्च होता है। अभी-अभी जिन कुत्तों की बात कही गयी, उन पर १०० रुपये से अधिक माहवार खर्च होता है। तो आदमी को तो ३० रुपये माहवार, घोड़े पर ६० रुपये और कुत्ते पर १०० रुपये से ऊपर और फिर हम यह उम्मीद करें कि वह आदमी जो ३० रुपये पाता है वह रिश्वत नहीं लेगा, यह खाली एक भ्रम मात्र है। इसके अलावा एक चीज मैं और निवेदन करना चाहता हूं। वह पुलिस का सिपाही साइकिलों पर, पैदल, डाकुओं, चोरों और बदमाशों के पीछे अपनी जान हथेली पर रखकर दौड़ता फिरता है। उसके

लिये भत्ता उसे मिलता है ६ आने रोज और हम विधायक लोग जो यहां केवल वाग्युद्ध करते हैं वे १० रुपये रोज भत्ता पाते हैं। तो क्या यह विषमता एक मानव के लिये इतनी काफी नहीं है कि वह रिश्वत ले और अपने चरित्र से नीचे गिर जाय। आज इधर के या उधर के जो भी सदस्य खड़े होते हैं वे पानी पी-पी कर पुलिस को गाली देते हैं और यह कहते हैं कि पुलिस में तमाम भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार भर गया है। भ्रष्टाचार होता क्यों है ? श्रीमन्, पुलिस के दारोगा को ५० रुपये माहवार मिलता है, एस० पी० के घोड़े के लिये ८० रुपये माहवार और लाइन के घोड़े के लिये सरकार ९० रुपये माहवार देती है। तीनों की प्रेस्क्राइब्ड साइज एक ही है कि एक ही ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई के घोड़े होने चाहिये। तो जिस काम पर सरकार का ९० रुपये माहवार खर्च होता है हम यह कैसे उम्मीद करते हैं कि एक दारोगा ५० रुपये में ही काम चला लेगा ? इसके माने यह है कि सरकार पहले ही मान लेती है कि दारोगा रिश्वत लेगा। तभी तो वह घोड़े को खिलायेगा, नहीं तो कैसे खिलायेगा ? तो इस किस्म की जो विषमतायें हैं इस पुलिस विभाग में उनके कारण इसका बहुत नैतिक पतन हो चुका है। इसलिये जब तक उनकी तनख्वाहें बढ़ा-कर कड़ाई के साथ फिर से इसका संगठन नहीं किया जायगा तब तक इसका दुरुस्त होना बहुत मुश्किल है। श्रीमन्, आज से तीन हजार साल पहले चन्द्रगुप्त महाराज के समय में पुलिस के सिपाही को तनख्वाह ६२ रुपये ८ आने मिलती थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र में है कि एक सिपाही को २४,००० पण वार्षिक मिलते थे। अगर पण को ताम्रपण समझा जाय तो भी एक तोले का एक पण होता था यानी पुराना वाला दो पैसा हुआ आजकल का औरत के बिंदिया वाला नया पैसा नहीं। इस तरह से श्रीमन्, ४८,००० पैसे हुये और इनके ६२ रुपये ८ आने मासिक हुये। उस समय सस्ती इतनी थी कि बीस आने में गाय मय बछड़े के मिलती थी और आज भी गोदान करने के समय या विवाह के समय सवा रुपये की ही होती है। यह उसी समय से चला आता है। दो रुपये में फर्स्ट क्लास का घोड़ा मिलता था जिस पर सरकार के ९० रुपये माहवार खर्च होते हैं और कीमत १,००० रुपये है। घी जो आजकल खोजने से भी अच्छा नहीं मिलता है उस समय रुपये का मनों के हिसाब से मिलता था। इतनी सस्ती के जमाने में इतनी तनख्वाह मिलती थी। लेकिन आजकल हम ३० रुपये माहवार सिपाही को तनख्वाह देकर उससे उम्मीद करते हैं कि वह महात्मा गांधी जी हो जाय, वह श्री रामचन्द्र जी बन जाय, वह भगवान कृष्ण चन्द्र जी बन जाय। उसका पेट नहीं भरता है और हम लोग जो यहां बैठकर गप्प लड़ाते हैं १० रुपये रोज पाते हैं और वह बिचारा सिपाही खाली पेट रहता है और फिर हम उम्मीद करते हैं कि वह रिश्वत न ले।

श्रीमन् जैसा की माननीय नेकराम जी शर्मा ने कहा कि बगैर गुप्तचर विभाग के कड़े किये हुये सरकार का कोई भी विभाग ठीक तरह से नहीं चल सकता है। किसी राज्य के लिये गुप्तचर विभाग का होना अत्यन्त आवश्यक है, उसके जरिये राज्य की सारी चीजें दुरुस्त हो सकती हैं। मिसाल के लिये हिटलर का जर्मनी मौजूद है। जिस समय जर्मनी मैदान में आया, इंगलैंड जो हमारा प्रतीक बना हुआ है, आज हम पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस देखते फिरते हैं, उसका चिराग गुल कर दिया था। स्टैलिन ने उसी की बदौलत इतनी तरक्की की थी। आसमान में उड़ते हुये स्पुतनिक आज उसी के सबसे पहले-पहल दिखाई पड़ते हैं और श्रीमन्, बड़े-बड़े मुल्क उसके सामने गरदन झुकाते हैं। श्रीमन्, अभी चार दिन की बात है चीन जो अफीम खाया करता था आज उसने कितनी तरक्की की है, बड़े-बड़े देश उसके आगे झुकते हैं। किसी नवार्जित राज्य के लिये गुप्तचर विभाग का होना अत्यन्त जरूरी है। कौटिल्य शास्त्र में महापुरुष चाणक्य ने कहा है कि ९ तरह के गुप्तचर होते हैं। अगर इस नौ सूत्री गुप्तचर योजना को किसी राज्य में ठिकाने से लागू किया जाय तो कोई भी विभाग उसकी परिधि से बाहर नहीं जा सकता है।

श्रीमन्, मैं इसके बारे में थोड़ा सा निवेदन कर देना चाहता हूं कि उनके नाम क्या हैं और उनके काम क्या हैं ? श्रीमन्, पहला गुप्तचर कापटिक नाम का था जो एक पढ़ता हुआ छात्र होता था जो सारी शिक्षा संस्थाओं के अन्दर फैले हुये भ्रष्टाचार को तथा सरकारी नीति का छात्रों पर क्या असर पड़ रहा है, इसको बताया करता था।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

दूसरा उदासीन नाम का होता था जो एक विद्वान सन्यास वेषधारी आदमी होता था जो कृषि तथा पशु-पालन आदि क्षेत्रों में जाकर के वहां की बातें बतलाया करता था ।

तीसरा गृहपतिक नाम का गुप्तचर होता था । यह गांव का किसान हुआ करता था। किसानों में से इसको चुनकर रखा जाता था । उनके जरिये गांव में लगान वसूल करने वाले अमीन, पुलिस के सिपाही या राज्य के कोई भी कर्मचारी या जो भी गांव वालों के पास रहता था उसकी रिश्वत और शिकायत के बारे में पता लगाया जाता था । साग-मूली तक का पता चल जाता था । जो लोग रिश्वत में लेते हैं ।

चौथे वैदेहक नाम का गुप्तचर होता था । वह वाणिज्य काम को करने वाला होता था । बाजारों में दूकानदार तनख्वाह लेकर यह काम करते थे । बाजारों में जो ब्लैक मार्केटिंग होती है राज्य सरकार को उसका सब पता चल जाता था । आज सरकार की ओर से प्रान्त में मद्य-निषेध किया जाता है मगर जिस जगह पर मद्य की पहले जितनी दूकानें थीं उससे आज मद्यनिषेध होने से ज्यादा दूकानें बढ़ गई हैं लेकिन सरकार को पता नहीं है । तब बाजारों में वैदेहक नाम के गुप्तचर द्वारा यह सूचना प्राप्त हो जाती थी और वह सब पता देता था ।

सन्त्री नाम का गुप्तचर बाजीगरी का काम करने वाला होता था । वह बाजीगरी का खेल जनता में करता था । जनता में देहातों में घूमकर देखता था कि जनता के अन्दर राज्य के प्रति कुछ दुर्भावना तो जागृत नहीं हो रही है । वह इसका दिग्दर्शन राज्य सरकार को कराया करता था ।

तापस नाम का एक गुप्तचर होता था जो साधू के रूप में सन्यासी की तरह से एक स्थान पर बैठ कर देखता था कि राज्य के अन्दर क्या गुप्त चीजें हो रही हैं । वह इन सब बातों का पता सरकार को दिया करता था।

विक्षुणी नाम की जो स्त्री गुप्तचर हुआ करती थी वह नाइन, धोबिन, आया, ब्राह्मणी और कहारी के रूप में हुआ करती थीं । जो राज्य कर्मचारियों के घरों के अन्दर काम किया करती थीं और घरों के अन्दर जो भी इस तरह का गुप्त काम होता था उसकी सूचना सरकार को दिया करती थीं । जैसे २५० रुपये मासिक पाने वाला बाबू अगर घर में चान्दी के थाल रखे हैं तो वह कहां से आया सरकार को इसका पता नहीं चलता है । लेकिन इनके जरिये से वह सब पता चल जाता था । जब तक आप इस तरह के गुप्तचर नहीं रखेंगे तो आपको किसी तरह से भी गुप्त बातों का पता चलना कठिन है । राज्य तभी कायम रह सकता है जब कि गुप्तचर सरकार को वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराते रहें । वरना जितनी आपकी स्कीम है वह सब फेल होती जा रही है। इसी वजह से रुपया तो आप लगाते हैं लेकिन वास्तव में असलियत का पता नहीं चलता है । जब प्रारम्भ में उस योजना का अर्थ सही नहीं लगाया जाता तो सही अर्थ को न समझने की वजह से शुरू में ही गलती हो जाती है । इसलिये इस तरीके का आप एक गुप्तचर विभाग कायम करें और वह बिलकुल मन्त्री जी के जिम्मे रहे । उसके विषय में हमको भी कोई हक न रहे कि हम प्रश्न कर सकें ।

एक बात मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कह देना चाहता हूं । पारसाल भी मैंने अपने क्षेत्र में एक स्थान पर थाना खोलने के लिये सरकार से कहा था। एक पटरी डेढ़ मील चौड़ी १० मील तक ऐसी पड़ती है कि वहां पर अधिक जरायम पेशा जैसे लोग रहते हैं । वह लोग खेत को खड़े होकर खेत के मालिक की मौजूदगी में भी चरा लेते हैं, अगर उनसे कोई कुछ कहता है तो वे मारते हैं । उस एरिया में वैसे तीन थाने हैं लेकिन कोई १० मील की दूरी से कम नहीं पड़ता है वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं । हमने जिले में भी निवेदन किया था कि थाना वहां पर खोल दिया जाय। पता नहीं वह दरख्वास्त माननीय मंत्री जी के पास आई है या नहीं। यदि माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बतलाने की कृपा करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी ।

हम लोग कुछ पार्टी पालिटिक्स की वजह से भी पुलिस को बदनाम करते हैं । यह हमारी हर एक पार्टी से सम्बन्धित बात है । मैं सीतापुर का उदाहरण देना चाहता हूं । वहां पर लहरपुर में एक साहब पकड़े गये । उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट की गई । पुलिस वालों ने उनको पीटा भी । जब सुबह पुलिस वाले उनको शौच के लिये ले गये तो वह किसी तरह से भाग गये । बाद में वह एक पार्टी में शरीक हो गये । पार्टीवाले पुलिस के पीछे पड़े हुये हैं तो फिर पुलिस अपना काम कैसे करे। पुलिस को जबतक राजनीति से अलग नहीं किया जाता, इंटायरली एक आदमी के जिम्मे नहीं कर दिया जायगा तब तक न पुलिस विभाग दुरुस्त होगा और न कोई और अन्य विभाग ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वेलफेयर स्टेट की स्थापना हमारा ध्येय है और उस ध्येय की स्थापना के लिये जरूरी है कि शान्ति और व्यवस्था हो । शान्ति और व्यवस्था स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी है और स्टेट में भी पुलिस विभाग की खास तौर पर । उसके लिये आज इस अनुदान पर मैं चन्द सुझाव आप के जरिये माननीय मंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं ।

अभी से कुछ साल पूर्व हमारे उत्तर प्रदेश में विलेज डिफेंस सोसाइटीज की स्थापना हुई थी और उसका प्रादुर्भाव मुजफ्फरनगर जिले में हुआ था । उस जिले में ५-७ गांवों में ग्रामीण लोगों ने अपनी रक्षा तथा डकैतों का मुकाबला करने के लिये उनकी स्थापना की और निहत्थे मुकाबला करके डकैतों को पकड़ा । उसके कुछ समय बाद हमने विचार किया कि विलेज डिफेंस ऐण्ज वेलफेयर सोसाइटीज की स्थापना की जाय उनके स्थान पर । उनके लिये हम ने नियम भी बनाय । उनकी सफलता जो कुछ हमारे जिले में हुई वह इसी कारण की वह स्वेच्छा पर आधारित थी । उसके कुछ समय बाद उनको अनिवार्य रूप दिया गया । फलस्वरूप वह सारी स्कीम समाप्त हुई । इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रदेश भर में स्वेच्छा पर आधारित विलेज डिफेंस ऐण्ड वेलफेयर सोसाइटीज की अधिक से अधिक स्थापना की जाय और उन की स्थापना के लिये प्रान्तीय रक्षक-दल की सहायता ली जाय क्योंकि उसमें अधिकांश लोग समाजसेवी हैं। वह समाज की सेवा भी करना चाहते हैं और समाज में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना करना अपनी प्राइमरी ड्यूटी समझते हैं । शान्ति और व्यवस्था बिगड़ने के कई कारण हैं । हमारे समाज में जुआ, सट्टा और शराब प्रचलित है और उस से ही सब से ज्यादा हमारी शान्ति और व्यवस्था भंग होती है । इस असेम्बली ने जुए और सट्टे के कानून में कुछ परिवर्तन किये हैं, लेकिन फिर भी किसी आदमी के पकड़े जाने पर उसको ५ या १० रुपया जुर्माना होता है या ६, ८ या १० दिन की जेल, जिसका नतीजा यह होता है कि वह बाहर आते ही फिर उस काम को शुरू कर देता है । जो व्यक्ति जुए और सट्टे में हारते हैं और अपने खून और पसीने की कमाई शराब में खराब करते हैं वह शान्ति और व्यवस्था बिगाड़ते हैं और जूआ और सट्टा उन्हीं थानों में अधिक होता है जहां के थानेदारों का उसमें हाथ होता है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी कड़ाई के साथ इस बात के आदेश अपने आई० जी० और डी० आई० जीज को देंगे कि वह देखें कि यह जुर्म किस थाने में रुके हैं और किस में नहीं। यदि रुके हैं तो उसका श्रेय एस० ओ० को है और यदि बढ़े हैं तो उसकी जिम्मेदारी एस० ओ० की है। इसके साथ ही साथ शान्ति और व्यवस्था के लिये मैं यह भी सुझाव देना मुनासिब समझता हूं और मुझे यह शिकायत भी है कि पिछल चार सालों से हमारे नये आई० जी० नियुक्त हुये हैं। मुझे मालूम नहीं कि वह मुजफ्फरनगर जिले में कब गय। अगर गये होंगे तो वह उनका पार्सिग शो होगा। एस० पी० से मिले होंगे और चले गये होंगे । जिले के किसी समाजसेवी या किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को उन्होंने अपने पहुंचने की सूचना नहीं दी ।

मैं आशा करता हूं कि हमारे आई० जी० महोदय साल भर में जिले का दौरा दो बार किया करें और वहां के प्रमुख कार्य कर्त्ताओं से, जिला बोर्ड, म्युनिसिपल और टाउन एरिया के चेयरमैन से, एम० एल० एज०, ऐम० पीज वगैरह से और-और पोलिटिकल पार्टियों के जिम्मेदार व्यक्तियों से मालुमात किया करें कि जो उनका प्रबंध चल रहा है उसके बारे में उनकी क्या राय

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

है । डी० आई० जी० भी जिस समय जावें, कभी अकस्मात् जाव, लेकिन जहां तक पब्लिक के कनटैक्ट का सवाल है, जिले में २–३ थानों पर वह पहुंचें और वहां के सोशल वर्कर्स से पुलिस के बारे में जानकारी हासिल करें,विलेज डिफेंस और वेलफेयर सोसाइटीज जिले में कैसा कामकर रही है और क्यों उन्होंने काम नहीं किया है, इसकी किस पर जिम्मेदारी है, आदि देखें । इससे शान्ति व्यवस्था में अवश्य ही उन्नति होगी । २ साल पहले अपने जिले में मैंने कोशिश की, राइफल क्लब एसोशियेशन पर काफी बल दिया और कोशिश की कि ट्रेनिंग वहां के गन लाइसेन्सीज को इसके जरिये से दी जाय । आजकल बन्दूक के लाइसेन्स देने का मापदण्ड केवल अमीरी है, इसे देखा जाय । राइफल एसोशियेसन के लिये ऐस० पी० कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है,डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की है । डी० ऐम० भी दिलचस्पी नहीं लेते हैं और ऐसोशियेशन बेकार पड़ा है । ऐसे अमीर लोगों को लाइसेंस दिये जाते हैं जो अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते हैं, गांव की रक्षा करना तो अलग रहा । जैसा मैंने अभी कहा, लाइसेन्स देने के नियमों को देखा जाय । और उनमें सुधार किया जाय। गन लाइसेन्सीज को राइफल ऐसोशियेशन द्वारा ट्रेनिंग देने की व्यवस्था होनी चाहिये चाहे उसे एस० पी० करे या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जरिये से हो। परन्तु मैं समझता हूं कि राइफल एसोशियेशन की जिम्मेदारी पुलिस विभाग को अपने ऊपर लेनी चाहिये ।

साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि १०७ और ११७ दफाओं का सदुपयोग किया जाय । अगर कोई पुलिस के आदमियों की शिकायत करता है तो उसके खिलाफ ये दफायें लागू कर दी जाती हैं । मुजफ्फरनगर जिले में एक परसैली नामक गांव है। वहां पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये गये । एक आदमी की मूंछ उखाड़ी गयी और एक के मुंह में थूका गया । लेकिन दोनों फरीकों के खिलाफ १०७ और ११७ चला दी गई हैं । लाइसेन्स भी उनके पास मौजूद हैं हालांकि कसूरवार एक पार्टी थी फिर भी उसकी तरफ कोई तवज्जह नहीं दी गई ।

मैं देख रहा हूं कि लाल बत्ती की ओर आपका हाथ जा रहा है । मैं जल्दी कर रहा हूं स्वयं ही । अधिक समय नहीं लूंगा, केवल १ मिनट और चाहता हूं । एनुअल इन्क्रीमेन्ट्स के बारे में मैं चाहूंगा कि जिन लोगों की इन्टेग्रिटी डाउटफुल हो उनके इन्क्रीमेंट रोक दिये जावें और डिमोशन किया जावे ।

*श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या १७ में श्री गौरीशंकर राय द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जिस समय माननीय मंत्री जी अनुदान पेश कर रहे थे तो मैं उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था। मंत्री जी को पुलिस विभाग में बड़ाई ही बड़ाई दिखायी दी, सब भलाइयां ही भलाइयां दिखायी दीं, और इसके साथ ही साथ एक ऐसी बात भी उन्होंने कह दी कि अगर उनको पुलिस की कोई बुराई बतलायी जाती है तो इस विभाग का और उनका दिल टूट जाता है । मैं नहीं समझ सका कि मंत्री जी अपनी बुराइयों को भी सुनने को तैयार नहीं हैं, पुलिस विभाग की कमजोरियों को सुनने को भी तैयार नहीं हैं । अगर उनकी यह इच्छा हो कि पुलिस विभाग में कोई कमी न रहे तो उन्हें पुलिस की कमजोरियों को अच्छी प्रकार से सुनना चाहिये और कोशिश करनी चाहिये कि उन कमियों को जल्दी से जल्दी दूर वे कर सकें ।

श्रीमन्, यह पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका सम्बन्ध हमारे प्रदेश की सारी जनता से है । यह ऐसा विभाग है जो कि 'गार्जियन आफ ला ऐन्ड पीस है ।' शान्ति और व्यवस्था की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है । लेकिन मैं तो शुरू में ही यह कह दूं कि आज पुलिस का काम सुरक्षा की रक्षा करना नहीं रह गया बल्कि वह सुरक्षा की भक्षक बन गयी है । जब पुलिस ही शान्ति और व्यवस्था की भक्षक बन जाय तो फिर वहां पर सुरक्षा कैसे हो सकती है ? इससे पहले कि मैं यह बताऊं कि पुलिस किस प्रकार से प्रबंध करे, या उसका क्या कर्तव्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी न पुलिस रिआर्गेनाइनेशन कमेटी की उस रिपोर्ट को, जिसके अध्यक्ष डाक्टर सीताराम थे, उन्होंने उस रिपोर्ट को देखने का कष्ट भी नहीं किया। यह मैं बगैर हिचक के कहने को तैयार हूं क्योंकि मैंने उसे बड़े गौर से पढ़ा है और उसकी बिना पर मैं माननीय सदस्य सुल्तानआलम खां की तरह से मांग करता हूं कि यह रिपोर्ट दुबारा एक छोटी सब-कमेटी के सुपुर्द की जाय और वह सब चीजों का ध्यान रखते हुये दूसरी रिपोर्ट दे और उसके ऊपर मंत्री जी अमल करने की कोशिश करें। मैं विशेषकर मंत्री जी का ध्यान उसके सफा २५ के ५१वें पैरा की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें साफ लिखा हुआ है —

"The oath is at present taken only by constables. The committee considers that the oath should be taken by Gazetted Officers and Sub-Inspectors also"

श्रीमन्, मैं दो लफ्जों में अपनी मंशा बतला दूं कि मैं किसी आदर्श पुलिस की बात इस समय नहीं सोचता, जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं। मेरा कहना तो यह है कि जैसा कि हमारा यह प्रदेश है उनको देखते हुये भी हमारी पुलिस में बहुत कमी है। मैं आज आदर्श पुलिस की बात नहीं कहता। जब समाज ही आदर्श नहीं तो पुलिस आदर्श किस तरह से हो सकती है। श्रीमान्, मेरा अब तक यह विचार था कि रिश्वत नीचे से ली जाती है लेकिन आज मैं बड़े साफ़ तरीके से इस सदन को आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि रिश्वत लेने की जिम्मेदारी ज्यादातर गजटेड आफिसर्स पर है। अगर आज सुपरिन्टेंडेन्ट आफ पुलिस या आई० जी० या डी० आई० जी० तथा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जो भी गजटेड आफिसर्स हैं, वे सब मंदिर-मसजिद और गिर्जाघरों में जाकर यह शपथ लें कि वे रिश्वत नहीं लेंगे तो यदि पूरे तरीके से नहीं तो आधे या चौथाई रूप में रिश्वत अवश्य कम हो जायगी। जब एस० पी० या डी० आई० जी० आदि बड़े-बड़े आफिसर्स दौरे पर जाते हैं तो उसका सब खर्चा सब-इंस्पेक्टर को करना पड़ता है। अब सवा सौ या डेढ़ सौ रुपया पाने वाला कहां इतना ज्यादा खर्च कर सकता है। अगर कोई उनकी आवभगत अच्छी तरह से नहीं कर सकता है तो यह ख्याल किया जाता है कि वह सब-इंस्पेक्टर नाकाबिल है और उसकी कैरेक्टर रोल तक में बैड ऐन्ट्री तक दे दी जाती है। मैं साफ तरीके से बतला दूं और उस चीज को दुहरा दूं अगर केवल गजटेड आफिसर इस किस्म की ओथ मस्जिदों में जाकर लें, मन्दिरों में जाकर लें, गिर्जा में जाकर लें कि हम रिश्वत नहीं लेंगे तो मेरा विश्वास है कि आधी या चौथाई रिश्वतखोरी न रह जाय तो माननीय मंत्री जी जो दंड भी मुझे देना चाहे, मैं उस दंड के लिये तैयार हूं।

श्रीमन्, जहां पुलिस के कर्तव्य की बात आयी, मैं तो पुलिस का कर्तव्य केवल तीन बात समझता हूं और उन तीन चीजों का उपयोग, जो पुलिस का कर्तव्य है, वह स्वयं करती है और वह है जब्र, तसद्दुद और फरेब। इन तीन चीजों को रोकने का काम पुलिस विभाग का हुआ करता है; लेकिन श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन तीन चीजों में कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल पुलिस नहीं करती है? जिस चीज को रोकने के लिये पुलिस बनायी जाती है, यदि अपने फरायज को पूरा करने के बजाय वह उसका उपयोग स्वयं करने लगे तो मुझे यह कहने में बिलकुल हिचकिचाहट नहीं है कि हमारे सूबे की पुलिस बिलकुल नाकामयाब रही है।

जहां तक आंकड़े की बात की गयी है, चूंकि आपने समय बहुत कम कर दिया है इसलिये मैं आंकड़े में जाकर ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन आंकड़े से विरोधी दल में बैठने वालों ने यह साबित कर दिया है कि क्राइम्स बढ़े ही हैं, घटने की बात नहीं है। न मालूम माननीय मंत्री जी ने किस किस्म के आंकड़े दिये, जैसा कि अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि अगर १—३ के अनुपात का हिसाब लगाया जाय तब तो क्राइम्स में बहुत वृद्धि हो गयी है। मैं कुछ कारण बतलाना चाहता हूं कि आखिर ये क्राइम्स बढ़ने के कारण क्या हैं।

[श्री जगवीर सिंह]

श्रीमन्, जहां तक क्राइम्स की बात है, उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है और जितने एस० पी० साहबान हैं, यह कहते हुये मुझे बिलकुल हिचकिचाहट नहीं है कि उनमें ज्यादातर क्या बल्कि ९० प्रतिशत बहुत जल्दी जल्दी दो तीन साल के बाद ही बाज-बाज जिले में अफसर बना कर बैठा दिये जाते हैं। पहले जमाने में जब कि अंग्रेजी शासन था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दस-दस और बारह-बारह साल तक आदमी ए० एस० पी० रहा करते थे, उनको काफी तजुर्बा हुआ करता था, और बहुत दिनों के अनुभव के बाद उनको किसी जिले में एस० पी० का चार्ज मिला करता था। श्रीमन्, आज बहुत ज्यादा एस० पी० ऐसे हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, और अगर मैं यह कहूं कि वे ऐसे हैं जो क्राइम्स रिपोर्ट तो कभी लिख ही नहीं सकते हैं अपने हाथ से, दफ्तर में जाते हैं या नहीं जाते हैं, इसमें भी मुझे बड़ा सन्देह है . . . .

एक सदस्य—बिलकुल नहीं जाते हैं।

श्री जगवीरसिंह—श्रीमन्, एक और हमारा दुर्भाग्य है कि पुलिस विभाग में ईमानदार अफसरों को परेशान किया जाता है। मुझे यह कहने में कत्तई झिझक नहीं है और उसकी एक मिसाल मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि वे अपने जवाब में इसका भी जवाब देंगे कि वह शख्स जो बेईमानी के खिलाफ है, जो इनएफिशिएंट लोगों के खिलाफ है, श्रीमन्, फाइल मेरे पास है उनका नाम ठाकुर धीरजसिंह है, जिनको ६ साल तक डी० वाई० एस० पी० रहने के बाद रिवर्ट करके पी० पी० इसलिये बना दिया कि वे अपने अफसरों की फ्लैटरी नहीं करते, यही उनका कसूर है।

श्री उपाध्यक्ष—किसी का नाम लेकर एक मामले पर विस्तार से जिक्र करना ठीक नहीं। अब दूसरी बात कहें।

श्री जगवीर सिंह—जहां तक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की बात है पी० पी० के लिये ला ग्रेजुएट मांगा जाता है, और जिस मुकदमे को ए० पी० पी० जजी में भेजता है वहां डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के लिये तो है कि वे ४० रुपये रोज लें लेकिन ए० पी० पी० जो ला ग्रेजुएट होता है, सब-इंस्पेक्टर के लिये जरूरी नहीं है कि वह ग्रेजुएट हो या ला ग्रेजुएट हो, उसको तनख्वाह भी कम दी जाती है और उसकी तरक्की भी रोक दी जाती है। माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि उनको पी० पी० होने का मौका है, लेकिन देखने की बात यह है कि सारे सूबे में इसकी कितनी जगहें हैं, मुश्किल से तीन चार होंगी। तो आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि ए० पी० पी० को मौका दिया जाय कि वे डी० वाई० एस० पी० हो सकें।

मैं एक बात कम्पलेंट आफिसर्स के बारे में भी कहूंगा। मैंने पिछली बार भी कहा था कि उनकी ऐसी पोस्ट्स सरकार ने कायम की हैं जो बिलकुल बेकार हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है और उसका कारण यह है कि उनको सीधे एस० पी० के कंट्रोल में रहना होता है। एक माननीय सदस्य ने पहले भी कहा था उसी को मैं दोहरा दूं तो बेजा न होगा कि कम्पलेंट आफिसर्स को डी० एम० के मातहत होना चाहिये क्योंकि एस० पी० के मातहत होने में केवल उन्हीं को सजा दी जाती है जिनसे एस० पी० नाराज रहते हैं वर्ना कम्पलेंट आफिसर की कोई नहीं सुनता। अगर यह स्थान तोड़ दिये जांय तो पैसे का दुरुपयोग न होगा। इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कब्ल इसके कि मैं बजट पर कुछ अर्ज करूं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस बात पर विचार करें कि यहां सरकारी बेंचेज के मेम्बरों की संख्या दुगनी है और विरोधी वृन्द जो केवल शिकायतें करते हैं उसके लिये ५ ही मिनट काफी होता है। जवाब देने के लिये अधिक समय चाहिये। इसलिये उनको विरोधी पक्ष वालों से दुगना समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठ जांय तो मैं इसका जवाब दे दूं जो प्रश्न आपने उठाया है। पिछले साल भी यह प्रश्न उठाया गया था और इस सम्बन्ध में हमने, सारे संसार में प्रचलित जो परम्परा है, उसके आधार पर निर्णय दिया था कि बजट के अनुदानों पर विचार करते समय विरोधी दल के सदस्यों को अधिक समय मिलना चाहिये और उसी का यहाँ पालन भी हो रहा है। बजट का ही एक ऐसा अवसर है कि जिस पर विरोधी दल बोल सकता हैं क्योंकि जो विधेयक आदि आते हैं उनमें तो सरकारी दल वालों को ही ज्यादा कहने का और अपनी बात समझाने का मौका रहता है। इसलिये जैसा आप चाहते हैं वैसी व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिये इस बात की कोशिश की जाती है कि विरोधी पक्ष को अधिक समय मिले और इसी हिसाब से माननीय सदस्यों को बुलाया जाता है और उस परम्परा का अनुसरण किया जाता है।

श्री सीताराम शुक्ल---मैं आपका हुक्म मानता हूं लेकिन मेरे समय में से जो आपने समय लिया है वह मुझे आप देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष---वह तो आपने ही सवाल उठाया था, खैर।

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय श्रीपाल सिंह जी चले गये। मैं उनका जवाब दूं तो बड़ा समय लग जायगा। वह बड़े अच्छे आदमी हैं, कोई साधारण आदमी अगर शौके-लीडरी में कोई गलत बात कहे तो बरदाश्त हो सकती है लेकिन एक जिम्मेदार आदमी जो समझदार हो, अगर तबिअत का भी अच्छा हो वह जब कोई ऐसी बात कहता है तो जरा हमें तकलीफ होती है। उन्होंने फरमाया कि एस० पी० के घोड़े को ज्यादा मिलता है और सब-इंस्पेक्टर के घोड़े को कम मिलता है। ठीक है। अगर ऐसा न होता तो सब-इंस्पेक्टर को भी एस० पी० का ही वेतन क्यों न मिलता। फर्क होता है। कहा भी गया है कि :—

" न हर ज़न जनस्तो, न हर मर्द मर्द,
ख़ुदा पंज अन्गुश्त यकसां न कर्द ।। "

कोई छोटा है कोई बड़ा है, एक आदमी कांस्टेबिल ही रह गया, एक थानेदार है, एक एस० पी० है, तो जाहिर है कि एस० पी० पर ज्यादा कीमती घोड़ा होगा। यह भी सदन में कहा गया कि कुत्ते को आदमी से ज्यादा दिया जाता है। जनाब, अगर कुत्ता आदमी का काम करेगा तो उस पर खर्च जरूर ज्यादा करना होगा।

बावजूद तमाम दिक्कतों के पुलिस बिभाग के लोगों ने जितना काम किया उस की तारीफ तो मेरा खयाल है कि दिल से हर एक आदमी करेगा जो कि उनकी दिक्कतों को समझता है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब एक जिम्मेदार माननीय सदस्य ने पुलिस की शिकायत कर दी लेकिन उनकी खूबियों का कोई जिक्र नहीं किया। आप को मालूम होगा कि राजस्थान में एक एस० पी० को गोली मार दी गई। दूसरे की रक्षा के लिये वह जान हथेली पर लेकर घूमते थे कि डाकुओं के निशाना बन गये, इसकी किसी ने तारीफ नहीं की। आपको मालूम होना चाहिये कि राजस्थान हमारे देश के अन्दर ही है।

हजूरवाला, नैपोलियन बोनापार्ट, वाशिंगटन की हिस्ट्री से अगर फायदा हो सकता है तो इस मुल्क के बहादुरों की हालत जानने से भी हमारा लाभ होगा। ऐसे लोगों की हमें इज्जत करनी चाहिये। जहां किसी की शिकायत करें वहां बहादुर आदमी की इज्जत भी करनी चाहिये ताकि उनका हौसला बढ़े। इसी लखनऊ के अन्दर ऐसे सब-इंस्पेक्टर हैं जो डंके की चोट पर रिश्वत लेते हैं। मगर ऐसे भी हैं जो, रुपये की थैली आती है, वह कहते हैं नहीं चाहिये। मोटा अनाज खाते हैं, मोटा कपड़ा पहनते हैं, गरीबी की जिन्दगी बसर करते हैं। तो जहां शिकायत करें वहां अच्छाइयों की तारीफ भी कीजिये ताकि अच्छे अफसरों का हौंसला बढ़ता रहे।

यह पुलिस विभाग की तरफ से रिपोर्ट आयी है। अभी जो हड़ताल हुई थी उसको इसमें सबसे आखिर में छापा गया है कि पुलिस ने हड़ताल की। यह अच्छा नहीं हुआ।

[श्री सीताराम शुक्ल]

लिखने का ढंग अच्छा नहीं है। हड़ताल की शिकायत हो, वह पहले आ जानी चाहिये और आखिर में खूबी आनी चाहिये। अफसोस है कि इस हड़ताल के बारे में न इधर से और न उधर से जिक्र किया गया। यह बड़ी खतरनाक चीज आ रही है सामने। ये कम है, यह इतनी खतरनाक चीज नहीं है जितनी अनुशासनहीनता का होना खतरनाक चीज है, पुलिस की हड़ताल होना जितनी खतरनाक चीज है। तनख्वाह कम है, बढ़ाइये। मैं आप से कहूं कि अपने कर्मचारियों को कम तनख्वाह देने में किसी को खुशी नहीं होती किन्तु बजट आपक सामन है। किस मद का रुपया काट कर दे दिया जाय ? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह हड़ताल क्यों होती है, इस पर गौर करना होगा। यह बहुत जरूरी है कि हड़ताल न हो। तो हमें गौर करना होगा कि हड़ताल क्यों होती है। राजनीतिक और पोलिटिकल फायदा उठाने के लिये कहा जाता है कि मजदूरी कम है, बढ़ानी चाहिये। मिल ओनर्स बहुत पैसा कमाते हैं, खून चूसते हैं, मजदूरों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये। प्रोपेगैंडा होता है, इनकी मजदूरी बढ़े। यह प्रचार के लिये बहुत अच्छी चीज है कि मजदूरी बहुत कम है, मिलमालिकों और मजदूरों में संघर्ष है, क्लैश है। किन्तु मैं कहता हूं कि क्लैश नहीं है। होशियार मिलओनर का फायदा इसीमें है कि मजदूरी ज्यादा दे, मजदूर खुश रहें ताकि अच्छा काम करें। इसी तरह मजदूर का भी लाभ इसी में है कि मिल की आमदनी बढ़े ताकि उसके तनख्वाह में तरक्की हो। मैं कहता हूं कि अगर मिल मालिक और मजदूर में क्लेश है तो औरत और मर्दों में भी क्लैश है, बाप और बेटे में भी क्लैश है। बेटा चाहेगा कि बाप से ज्यादा पैसा मिलना चाहिये, पिता कहेगा कि कम देना चाहिये। स्त्री चाहती है कि कम काम करना पड़, मर्द चाहता कि ज्यादा काम करे। किन्तु क्या उनमें क्लैश ह। कदापि नहीं, दोनों के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हैं। यह प्रोपेगैंडा है। उसका असर हुआ कि पुलिस ने भी कहा कि वेतन कम है। हड़ताल हो गयी। कहां से तनख्वाह बढ़ायी जाय ? बजट आपके सामने है। कौन सा तबका है जिस पर और अधिक टैक्स लगाया जा सकता है ? जमींदारी तोड़ दी गयी। मिलओनर्स पर हैवी टैक्स लग गया। यदि किसी पर लग सकता है अथवा किफायतसारी की जा सकती है तो बेकारों को भत्ता दिया जायगा कि पचपन पाने वालों की तनख्वाह सौ रुपये कर दी जायगी। जरूरत है कि कर्मचारियों में इस बात का प्रचार किया जाय कि वह ऐश करने के लिये नौकरी नहीं करते हैं, बल्कि सेवा करने के लिये नौकरी करते हैं। अगर हम इसका प्रचार कर ले जांय तो वही पुलिस है कि जब देश भक्ति की शिक्षा दी गयी तो कांग्रेस में शरीक हो गये अगर हम सही प्रचार करें, सेवा भाव के लिये सरकारी नौकरी करें। आप कहते हैं कि तनख्वाह बढ़ाओ। मैं सबूत दे सकता हूं ऐसा कांस्टेबिल है जो रिश्वत नहीं लेता और गुजर करता है। अगर वह उस तनख्वाह में गुजर कर सकता है तो दूसरे भी रिश्वत न ले कर गुजर कर सकते हैं, हम सही प्रचार तो करें। गवर्नमेंट वेतन बढ़ाना चाहती है। उसकी इच्छा है कि बढ़ाये। मगर उसके पास पैसा नहीं है। तो कहां से बढ़ाये ? अगर हम समझायें, अच्छे-अच्छ स्पीकर्स इस प्वाइंट को बतलायें कि सेवा भाव से काम करें तो हमारी पुलिस में सेवा भाव आ जायगा, रिश्वत बन्द होगी।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि श्री रामस्वरूप वर्मा ने कुछ आंकड़े पेश किये हैं, उसके अलावा मैं भी कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। १९५५ से पुलिस बढ़ी और पुलिस का खर्चा बढ़ा। सन् १९४५ से अब पुलिस बढ़ी और पुलिस का खर्चा बढ़ा और जुर्म और जरायम बढ़े। सन् १९४५ में ४२,५१४ पुलिस थी और सन् १९५६ में ६८,११४ थी। पुलिस तब से अब ड्योढ़ी हो गई और जुर्म तब से अब दूने हो गये। १०७ के मुकदमे सन् १९४५ में जितने थे उस से अब सात गुने हो गय। पुलिस अपने शासन में बिलकुल ही ढीली चल रही है। आज हमारे देश की जनता का उस पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। जानमाल की हिफाजत में उसको वह सहयोग

नहीं देती है। सन् ४५ में जब कि जो मुकदमे अदालत में जाते थे उनमें १०० में ८१·४ फीसदी में सजा होती थी, सन् १९५६ में अब ६५ फीसदी लोग सजा पाते हैं। जब एक तरफ सरकार सत्य और अहिंसा का नारा देती है, तब हमारे सूबे में इन आठ दस वर्षों में २८ बार गोली चली। जब कि जनता शान्त रूप से अपनी रोटी के लिये, अपनी रोजी के लिये, सरकार से मांग कर रही थी तो २८ बार इस सरकार ने गोली चलायी और उसमें ३३ व्यक्ति मरे और ३८९ आदमी घायल हुये। आज यह सरकार मुंह में अहिंसा और हाथ में गोली लेकर चलती है। रफी अहमद किदवई के समय में विद्यार्थियों के एक प्रदर्शन पर पुलिस ने गोली चलायी जिसमें १० विद्यार्थी मरे और दो सौ बच्चे घायल हुये। आज यह सरकार नारा लगा रही है अहिंसा, अहिंसा, लेकिन मुंह में अहिंसा और हाथ में गोली, ऐसी सरकार से जनता के जानमाल की हिफाजत कैसे हो सकती है।

दूसरी बात, कोई सरकार समाजवादी सरकार कैसे कही जा सकती है? जब कि पुलिस की तादाद बढ़ी, खर्चा बढ़ा, लेकिन महात्मा गांधी और सोशलिस्ट पार्टी के नियमानुसार सरकारी कर्मचारी कम होने चाहिये। सोशलिस्ट पार्टी का यह सुझाव है कि ये सब पुलिस, लेखपाल जितने सरकारी कर्मचारी हैं इन सबको गांव पंचायत और जिला पंचायत के अधीन होना चाहिये। यह कांस्टेबिल, दरोगा, इंस्पेक्टर और कप्तान आदि जो होते हैं हर जिले में, यह सब छोटे बड़े भाई होते हैं और जब कि जनता कोई शिकायत की दरख्वास्त देती है तो बड़ा भाई उसकी जांच करता है और उस जांच में बड़ा भाई छोटे भाई की रक्षा करता है। उसकी शिकायत साबित नहीं होने पाती है। हर प्रकार से सबूत देने वालों को दबाया जाता है। इसलिये अगर किसानों का राज्य, गरीबों का राज्य, हरिजनों का राज्य लाना है तो सरकार को चाहिये कि जो ग्राम पंचायतें और जिला पंचायतें हैं उनके अधीन नौकरशाही को होना चाहिये। जैसे कि एक थाने के एरिया के अन्दर सब पंचायतों को मिलाकर के एक आधिपत्य कमेटी बना देना चाहिये। जब कोई विभाग की शिकायत हो रिश्वत की या और किसी तरह की तो वह आधिपत्य कमेटी जो हो वह उसकी जांच करे और जांच-पड़ताल करके वह सिफारिश करे तब वह अधिकारी हटाया जाय। लेकिन आज ऐसा नहीं है। नौकरशाही का चक्र चलता है जिसमें हर बड़ा भाई अपने छोटे भाई की रक्षा करता है। सोशलिस्ट पार्टी का एक सुझाव और है। आज सरकार यह कहती है कि जितनी नौकरियां होती हैं उनमें डिग्री देखी जाती है। डिग्री देखकर नौकरी दी जाती है। परन्तु पुलिस विभाग में इसका कोई नियम नहीं है कि डिग्री देखकर नौकरी दी जाय। आज गांव की जो जनता है, किसान और मजदूर ही ८० फीसदी गांवों में रहते हैं पुलिस मंत्री को चाहिये कि यह ८० फीसदी किसान और मजदूर जो गावों में रहते हैं और वह पंचायतों में होते हैं, तो उनको चाहिये कि उन हरिजन और पिछड़ी जाति वाले लोगों को वह पुलिस की नौकरी में रखें, जो इंस्पेक्टर तक हो सकते हैं। इस तरह से देश का इन्तजाम सरकार को करना चाहिये, परन्तु ऐसा कोई नियम सरकार की तरफ से नहीं है।

बाराबंकी जिले की हालत में बतलाना चाहता हूं। बरेठी एक ग्राम है जहां पासियों को कुछ पुलिस के कर्मचारियों ने तथा अन्य लोगों ने बुरी तरह से मारा। जिलाधीश को जब दरख्वास्त दी गयी तो मुकदमा कायम हुआ। वारंट जारी किये गये लेकिन वहां के एस० पी० व कोतवाल उनको गिरफ्तार नहीं करते थे गांव में इस तरह बराबर जुर्म बढ़ते जाते थे। अगर एस० पी० ही वारंट पर गिरफ्तारी नहीं करेगा तो फिर लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठ जायगा।

इसी प्रकार कुर्सी में चमारों के सम्बन्ध में बेगार का मामला होता है। जब यहां से कमलापति त्रिपाठी जी का दबाव पड़ा तब जाकर कुछ हो सका। लल्ला जी की हत्या के सम्बन्ध में जो मुजरिम थे उनके जमानत पर छूटते ही एक डकैती पड़ी और कुर्सी थाने के चमारों से बेगार ली। जब यहां से दबाव पड़ा तो उनके ऊपर केस चला। केस चलने पर एस० पी०

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

साहब स्वयं कहते हैं कि गवाह जो हैं टूट रहे हैं, क्या किया जाय। आज वहां अधिकारी वर्ग भाईचारे का नाता जोड़ रहा है। हमने कहा कि अपराध करना अपराधियों का काम है और सबूत इक्ट्ठा करना पुलिस का काम है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई परवा नहीं की जा रही है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन के हेतु खड़ा हुआ हूं। यह सही है कि विरोधी पक्ष ने बड़ा तीव्र प्रहार किया है, इसके बावजूद भी मैं पुलिस मंत्री को और उनसे संबंधित विभाग को पूर्णतया बधाई देना चाहता हूं। इस बधाई के देने के सिलसिले में मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूं और ऐसा करने में मैं ऐसा महसूस नहीं करता कि मैं कोई एक बड़ा ओछा काम करने जा रहा हूं। इस प्रदेश की पुलिस ने प्रदेश का ही नहीं, वरन् सारे देश का गौरव बढ़ाया ह। इस प्रदेश की पुलिस ने आम चुनावों में उस कल्पना को कल्पना ही रखा जिसका कुछ समाज विरोधी तत्व बड़े जोरों से प्रचार कर रहे थे और सन् ५७ का नाम ले कर गदर की सी स्थिति बना देना चाहते थे। इसलिये मैं नहीं समझता कि पुलिस ने ऐसा कोई काम किया है जिससे हम उसे बधाई न दें, उसकी सराहना न करें।

मैं समझता हूं कि पुलिस ने बड़े गाढ़े वक्त में देश की सेवा की है। इस पुलिस के बजट को जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का बजट धीरे-धीरे समाजवाद की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। आप इसमें देखें कि इसमें १० लाख की एक रकम है और दूसरी २ लाख ५० या ५५ हजार की है छोटे कर्मचारियों के लिये भवन निर्माण हेतु और उनका भत्ता बढ़ाने हेतु। तो मैं समझता हूं कि पुलिस मंत्री ने उस भावना का आदर किया है जो समय-समय पर इस सदन में माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है।

इसके उपरान्त भी हमारे विरोधी भाइयों ने बड़ा कड़ा प्रहार किया और यह दिखाने की कोशिश की कि आज जुर्म ब्रिटिश सरकार के जमाने से भी ज्यादा हो रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं लेकिन मुझे उनकी बुद्धि पर दया आती है कि आज अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी, वे जिस प्रकार पहले मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और अध्यात्मिक रूप से उनकी गुलामी जकड़े हुये थे, आज भी इस सदन में उसी का परिचय दे रहे हैं। उन्हें आज भी ब्रिटिश समय की चीजें ही अच्छी लगती हैं। मैं कह सकता हूं कि उस तरफ के बैठने वाले बहुत से माननीय सदस्य पहल इधर ही रहे हैं और उन्होंने भी उस समय अंग्रेजों की बातों की भर्त्सना की थी और आज उन बातों की सराहना कर सही आंकड़ों की तुलना उस समय के गलत आंकड़ों से करना चाहते हैं।

श्री उग्रसेन—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, इस अनुदान पर भाषण करने वाले माननीय सदस्य स्पष्ट आक्षेप हम लोगों पर कर रहे हैं कि हम लोग अंग्रेजों के जमाने की बात करते हैं। यह तो हमको मिसइंटरप्रेट किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—सदन सब कुछ समझता है कि क्या बात है।

श्री उग्रसेन—यह तो आक्षेप है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री ताराचन्द माहेश्वरी से) आप बोलें।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—श्रीमन्, मुझे एक बात और निवेदन करनी है कि बाहर तो मैं अहिंसा का चमत्कार देखा ही करता हूं, यहां भी मुझे अहिंसा का चमत्कार देखने को मिला और यह सिद्ध हो गया कि अहिंसा से ही हमारी सारी समस्यायें हल होंगी। आज मैंने उस तरफ के एक माननीय सदस्य को इस तरह की मिसालें देते सुना कि जिससे यह आभास हुआ कि गरीबों की सेवा की जाय और गरीबों के लिये सब कुछ किया जाय। मैं इसको अहिंसा का चमत्कार मानता हूं। जो व्यक्ति अपने वक्त में स्वयं जिलेदार को ३ रुपया देते रहे मालूम नहीं उस समय उनके हृदय में वह गरीब परवरी, वह गरीब भक्ति पैदा क्यों नहीं हुई? मालूम नहीं यहां आने पर ऐसा एक साथ कैसे हो गया ? इसको अहिंसा का चमत्कार मानकर अहिन्स

की तारीफ करना चाहता हूं कि वह धीरे-धीरे अपना रंग दिखला रही है। जिन दिलों में मानवता नाम की चीज ही शेष नहीं रह गयी थी, जिनके दिल शुष्क हो गये थे उनमें भी गरीबों के लिये अहिन्सा ने स्थान पैदा कर दिया।

अन्त में एक चीज कहूं, बहुत सी बातें मैंने सुनीं। भ्रष्टाचार की बातें सुनीं, हमारा सामाजिक चरित्र कैसा है यह सब सुना। तो जब समाज चरित्रवान नहीं हैं तो उस समाज में से जो आदमी आते हैं वह भी चरित्रवान नहीं होंगे और यह कमी महसूस होगी ही। कोई रचनात्मक सुझाव देने की कोशिश नहीं की गयी। यदि रचनात्मक सुझाव दिया जाय तो माननीय मंत्री जी ने कोई दरवाजा तो बन्द कर नहीं दिया है कि वह स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा अपना एक सुझाव है कि जिस आधार पर आज पुलिस को काम करना पड़ता है उसके आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अब आजादी के बाद जुर्म करने के तरीके भी आजादाना हो गये, और उसे घुमाने के तरीके भी आजादाना हो गये। आजादी के पहले की संहिता (Cr. P. C.) के शायद रहते हम जुर्म करने वाले व्यक्तियों को सजा नहीं दे सकेंगे, इसलिये हमको यदि पूरे तरीके से अमन कायम करना है तो हमको ताजीरात हिन्द को बदलना पड़ेगा। वह गुलामी के जमाने की पुस्तक है। साथ ही इसमें से बहुत से लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि आज किन परिस्थितियों में पुलिस को अपना काम करना पड़ता है। पहले के जमाने में पुलिस का चौकीदार अपने सिपाही के लिये वफादार होता था। सिपाही अपने दरोगा के लिये वफादार होता था और दरोगा अपने कप्तान के लिये वफादार होता था। यह सिलसिला कायम रहा और इलाके में कुछ होता रहे उस दरोगा के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सकता था। आज जनतंत्र की प्रथा हमारे प्रदेश में चालू हुई, राज करने का तरीका बदल गया। जो भी जांच करने के अधिकारी हैं, आज उनको कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है। अगर मैं हल्के का एम० एल० ए० हूं तो जांच करने वाले अधिकारी को मुझे भी खुश रखना पड़ेगा, अपने अफसर को भी खुश रखना पड़ेगा, उधर (विरोध पक्ष के) के महानुभावों में से कोई हुआ तो उसे खुश रखना पड़ेगा और अगर कहीं से कुछ प्राप्त हुआ तो वह जेब में भी रखना है। तो इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तब हम कैसे कहें कि सब कुछ ठीक होना चाहिये। ईमानदारी से अगर हम मुकाबिला करें तो हममें से बैठे हुये बहुत से व्यक्तियों के पास इस तरह के लोग आया करते हैं जिनका घर लुट गया है और जिसने लूट लिया ह वह भी हमारे पास आते हैं। दोनों ही हमसे इमदाद चाहते हैं और वोट की लालच में हम दोनों ही कोठरियों में भूसा भरते हैं और दोनों के लिये कुछ न कुछ कहने के लिये मजबूर हो जाते हैं और इनक्वायरी अथारिटी मजबूर है कि वह हमारा ख्याल करे और हमारी पोजीशन का लिहाज करके वह ढील-ढाल डाले। बहुत हद तक ऐसी कार्यवाही के लिये जिम्मेदारी हम पर आती है।

अब अन्त में एक सुझाव देकर अपने क्षेत्र के बारे में मैं मंत्री जी से कुछ कहूंगा। पहले वह सुझाव आपके सामने रख दूं।

(लाल बत्ती देखने के बाद)

मुझे उम्मीद है कि एक सेकेंड और देने की कृपा करेंगे। मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं कि जो भरती आज के जमाने में पुलिस इंस्पेक्टरों की होती है उसमें केवल योग्यता का ही मापदण्ड न रखा जाय बल्कि उसमें इसका भी विचार करना चाहिये कि उस व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति क्या रही है और यदि वह समाजवादी ढांचे में फिट बैठता है तो हमें विद्वत्ता को गौण स्थान दे कर इन बातों को प्रमुख स्थान देना चाहिये तभी जो व्यवस्था आप चलाना चाहते हैं वह सही माने में चल सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष--एक सेकेंड आपने मांगा था वह खत्म हो गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो इधर से कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं बड़ी देर से इधर से भी और उधर से भी आज के विषय पर जो बातें कही गयीं उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, श्रीमन्, अगर मैंने सही सुना, मैं आशा करता हूं कि मैंने सही

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

नहीं सुना होगा, कि उस पक्ष से यह कहा गया कि नौकरी देते समय मनुष्य के परिवार की जांच हो, मनुष्य के विचार को जांच हो, किस वातावरण में वह मनुष्य पला है इसकी जांच हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उधर से प्रजातंत्र का तो नारा लगता है और व्यवस्था की मांग को जाती है जो टोटैलिटेरियन स्टेट्स में होता है कि अगर हमारे विचार अनुकूल नहीं हैं तो तुम को जीवित रहने का अधिकार नहीं है, खाली भूखे रहने का अधिकार है। अगर इस प्रकार की बात है तो मुझे बड़ा दुःख है कि प्रजातंत्र का तो हल्ला हो और टोटैलिटेरियन व्यवस्था की मांग हो।

वास्तव में विचार करने की आवश्यकता यह थी कि हमारे देश के अन्दर आज जो पुलिस की व्यवस्था है, जो रचना, है, जो ढांचा है उसकी नींव में क्या गड़बड़ी है। दुनियां के सभी देशों में पुलिस का ढांचा है, सब समाज पुलिस का निर्माण करते हैं और समाज की सब प्रकार की व्यवस्था की सुरक्षा की दृष्टि से करते हैं। यह नहीं, स्वतंत्र समाजों के अन्दर तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोगी और जिसको कहा जाय 'फ्रेंड इन नीड' इस भाव से पुलिस की रचना होती है। हमारे देश की पुलिस की रचना हमारी दासता के काल में हुई। अंग्रेजी शासन ने अपने शासन को कायम रखने के लिये जिसको एक फोर्स आफ आक्युपेशन कहते हैं उसको सिविल जीवन में स्थान-स्थान पर खड़ा किया और उसके पीछे उनका दृष्टिकोण केवल यह था कि उनका शासन सूत्र ठीक से चल सके और दुनिया के सामने उनको प्रत्यक्ष सैनिक बल प्रयोग न करना पड़े। तो एक पैरा मिलिटरी आर्गेनाइजेशन के रूप में हमारे देश की पुलिस खड़ी थी और इस भावना से ओतप्रोत पुलिस को सम्पूर्ण अधिकार इस प्रकार के दिये गये कि जिस प्रकार का तुम चाहो औचित्य करो लेकिन हमारा शासन सूत्र न बिगड़ने पाये और वह तुम्हारा सारा औचित्य क्षम्य होगा। इसके साथ-साथ यह भी होता है कि जो यह चाहते हैं कि जहां हम शासन कर रहे हैं वहां के लोगों के द्वारा हमारा शासन ठीक से चल सके तो वहां के लोगों को करप्ट करने की भी आवश्यकता रहती है क्योंकि यह भी शासन का एक साधारण नियम है कि करप्ट आफिशियल को अपनी इच्छानुसार ट्रुइस्ट किया जा सकता है। तो वास्तव में करप्शन का रूट है हमारी दासता। देखना यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उस ढांचे को बदलने की दृष्टि से, उसके दृष्टिकोण को बदलने की दृष्टि से, उसके विचारों को बदलने की दृष्टि से सरकार ने क्या कदम उठाये। सरकार ने जो कुछ भी किया वह केवल बाह्य उपचार मात्र किया। श्रीमन्, मैं इस पुस्तिका को पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हंसी आयी कि जनता के प्रति नम्रता तथा सद्व्यवहार रखने की आदत डालने के लिये विनय सप्ताह मनाया गया। अरे, क्या एक ही सप्ताह विनय का होगा और बाकी साल भर तक अविनय के सप्ताह रहेंगे? एक दिन के लिये आपने विनय का ढोंग किया और बाकी साल भर तक जो ५२ या ५१ सप्ताह बचते हैं उसमें क्या पुलिस को अविनय करना चाहिये? आज आवश्यकता तो इस बात की थी कि पुलिस के अन्दर इस बात की आदत डाली जाय कि वह नम्रता जनता के साथ व्यवहार करे। लेकिन यह तो केवल प्रचार मात्र है और इसमें आंतरिक चीज कहीं भी दिखाई नहीं देती है। यदि कोई घटना घटती है और उसकी शिकायत होती है और वह एस० पी० के पास आती है तो वह ए० एस० पी० को भेजता है और ए० एस० पी०, डी०एस० पी० को भेजता है। इसी तरह से यह शिकायत आखिर में बेचारे कांस्टेबिल के मत्थे मढ़ी जाती है। वास्तव में बात यह है कि अगर कोई भूल हुई हो तो वह कांस्टेबिल की गलती है। लेकिन असल में होना यह चाहिये कि इसका परिणाम आफिसर पर पड़ना चाहिये। जैसे कि सेना में होता है कि सोल्जर की जिम्मेदारी कप्तान के ऊपर होती है, वह उसके प्रति उत्तरदायी होता है, इसी प्रकार से गवर्नमेन्ट का कोई भी अधिकारी यदि जांच में गलती करता है तो उसका दोषारोपण मंत्रिमंडल पर होता है। यह जो प्रिंसिपिल है इसको कहां फालो किया गया है? आजकल असल बात यह है कि कोई भी ऊपर वाला गलती अपने ऊपर लेना नहीं चाहता है और अन्त में गलती कांस्टेबिल के सिर पर आकर पड़ती है।

श्रीमन्, इसका उदाहरण भी मैं दे देना चाहता हूं। आपके लखनऊ में ही एक मोहल्ला हुसनगंज है। उसमें ७/८ चोरियां ताबड़तोड़ हुईं। उनके नाम भी यदि माननीय

मंत्री जी जानना चाहेंगे तो मैं उनको बतला दूंगा लेकिन इस समय-समय की कमी के कारण उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। जब उनके घर चोरी हुई तो वह सज्जन पुलिस के पास रिपोर्ट करने के लिये गये। पुलिस स्टेशन पर जांच का बहाना बनाकर और आश्वासन देकर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अगर श्रीमन्, यहां का एस०पी०कागजी कार्यवाही को छोड़कर फील्ड वर्क में घूमा होता, लोगों से मिला होता और अपने नीचे के कर्मचारियों के काम की जांच करता होता तो उससे इस प्रकार की बात कभी भी छिप नहीं सकती थी। हमारे यहां के अधिकारीगण कागज के शहीद बने घूमते हैं। कागजी घोड़ों पर दौड़ते हैं और हमारे यहां फील्ड वर्क कतई नहीं हो रहा है और श्रीमन्, अगर ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे प्रान्त का आई०जी० किसी काम को नहीं करेगा तो डी० आई०जी० भी नहीं करेगा। डी०आई०जी० नहीं करेगा तो एस०पी०नहीं करेगा। एस०पी० नहीं करेगा तो डी०एस०पी० नहीं करेगा; यह होना चाहिये कि ऊपर वाले को करना चाहिये और हर काम में ऊपर से चलना चाहिये। श्रीमन्, सब से आश्चर्यजनक घटना तो यह है कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के घर में चोरी हो गई और उसका कुछ भी पता नहीं चला और कहा यह जाता है कि हम जनता के जान माल की सुरक्षा करते हैं और अखबारों में हम दैनन्दिन देखते हैं कि जो सुरक्षा के जिम्मेदार हैं, उन्हीं मंत्रियों के घरों में भी चोरी होती है। मैं श्रीमन्, नाम लेना नहीं चाहता हूं ....।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, दारुलशफा में मेरे यहां चोरी हो गई।

राजा यदवेन्द्र दत्त दुबे--एस० पी०, सी० आई० डी० के घर में चोरी होती है। श्रीमन्, इस सबके पीछे एक चीज का अभाव है और एक ही इसके पीछे बात है कि आज कांस्टेबिल भी डरता है कि उससे गलती हो गई तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। श्रीमन्, आदमी से ही गलती होती है, जानवर से गलती नहीं होती है। आज हमारे कांस्टेबिल को यह विश्वास नहीं है कि अगर उससे कोई गलती हो गई तो उसे संरक्षण मिल सकेगा किसी भी पुलिस फोर्स की रीढ़ की हड्डी उसका कांस्टेबिल होता है। अगर रीढ़ की हड्डी के अन्दर विश्वास न हो तो फिर वह संगठन कभी भी सफलता के साथ नहीं चल सकता है।

श्रीमन्, अभी लखनऊ में स्ट्राइक हुआ। श्रीमन्, इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह एक बड़ी दुखद घटना है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि जब कोई स्ट्राइक होता है तो उसके पीछे कारण क्या हैं इसके भी जानने की आवश्यकता हुआ करती है और मैं तो कहता हूं कि कांस्टेबिल स्ट्राइक करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? यह पुलिस अफसरों की इन्कामिपटेन्सी है। आप देखें कि जिस प्रकार से पुलिस वर्ग में प्रमोशन होता है। उस प्रमोशन के कारण आपस में लोगों के अन्दर विद्वेष खड़ा है। यह कहा जा सकता है कि प्रमोशन हम करते हैं मेरिट के आधार पर। मेरिट के बारे में विचार भिन्न हो सकते हैं और दो राय हो सकती हैं, लेकिन जब स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार के विषय में खुला हुआ चित्र समाचार पत्रों में जनता के सामने किसी अधिकारी के बारे में आता हो—मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता--फिर भी उनका संरक्षण किया जाता है। उनकी मोटर जू के पास जो दीवार बनी हुई है उसके पास पकड़ी जाती है और यह अखबारों में घटना निकल चुकी हो, फिर भी पृष्ठपोषण किया जाता हो और उनका संरक्षण किया जाता हो तो यह बड़े दुख की बात है। यह तो डेमोक्रेसी के लिये जो आवश्यक चीजें हैं उसके प्रतिकूल है। डेमोक्रेसी के अन्दर जिस प्रकार भी गलती हो, उनकी अगर उतनी ही विराट पाब्लिसिटी की जाय तो उससे देश को लाभ होता है। आज बुराइयों को दबाने का प्रयत्न किया जाता है और डेमोक्रेसी को प्रेस्टिज के नाम पर उनको दबाया जाता है। डेमोक्रेसी के अन्दर प्रेस्टिज के नाम पर कोई बुराई दबाकर नहीं रखी जाती है। डेमोक्रेसी तभी जीवित होती है जब अपनी कमजोरियों का स्पष्टीकरण किया जाय और स्पष्ट रूप से वह जनता के सामने लायी जायं।

आज पुलिस फोर्स के अन्दर श्रीमन्, सर्विसेज की बड़ी-बड़ी कमजोरियों को छिपाया जाता है। मुझे स्वयं जानकारी नहीं है लेकिन मुझे बताया गया कि माननीय गृह मंत्री जी के पास इसी सदन के एक माननीय सदस्य ने एक शिकायत लिखकर भेजी कि एटा जिले में वहां बरोगा

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

खुलेआम रुपया लेते हैं। लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार रुपये के बल पर हो तो उसके विरुद्ध तुरन्त कार्य होना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर यह बात सत्य है तो उसके ऊपर कठोर स्टेप लेना चाहिये। क्योंकि सर्विसेज को सुचारु रूप से चलाने के लिये अगर एक्जम्पलरी पनिशमेंट भी देना जरूरी हो तो उसको कम करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बताया गया कि इटावा के जसवन्तपुर थाने के दारोगा के ऊपर मर्डर का एक केस चलाया गया लेकिन उनके ऊपर ४०० रुपया जुरमाना हुआ। सिर्फ ४०० रुपया जुर्माना मर्डर के केस में हो यह कभी किसी ने नहीं सुना होगा। इस प्रकार की घटना न्याय की पेनल कोड क बावजूद भी हमन नहीं सुनी। अगर मैं इसको ब्लड मनी कहूं जो कि इस प्रान्त में हो रही है तो यह बड़े दुख की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें।

माननीय मंत्री जी ने जो पुस्तिका इस सदन के सामने रखी है उससे भी यह स्पष्ट जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम्स की संख्या बढ़ी है। जितनी रिपोर्ट की गई उससे कम केसेज में इन्क्वायरी हुई। जितने केसेज में इन्क्वायरी हुई उससे कम प्रासिक्यूट हुये। जितने प्रासिक्यूट हुये उससे आधे से कम में कन्विक्शन हुआ और बाकी सब छूट गये। मैं यह समझता हूं कि जो इन्क्वायरी की पद्धति है वह गलत है। मैं देखता हूं कि ब्रिटिश काल की उन्नीसवीं शताब्दी में जो इन्क्वायरी का तरीका था आज भी वही है। थोड़ा बहुत उसमें अन्तर किया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि साइन्टिफिक तरीके से इन्क्वायरी की पद्धति होनी चाहिये जैसा कि स्काटलैंड यार्ड में है कि वहां पर 'रोग्स गैलरी' होती है। जितने क्राइम्स करन वाले हैं उनके वहां पर चित्र मौजूद रहते हैं। उन चित्रों के अन्दर उनकी सारी विशेषतायें दर्ज रहती हैं। उनके क्राइम्स करने का भी जो मेथड होता है वह लिखा रहता है। हरएक आदमी का हरएक क्राइम को करने का अलग-अलग मेथड होता है। उसका अपना एक रूप होता है क्योंकि मनुष्य इंडिवीजुअली ही ज्यादा काम करता है जो उसमें ज्यादा सफल होता है। कहीं भी क्राइम होता है फिंगर प्रिन्ट लिये जाते हैं, किस ढंग से क्राइम हुआ है उसका वर्णन लिख कर उस लाइब्रेरी को भेज दिया जाता है और वह उस के आधार पर बहुत जल्द निकाल लेते हैं कि क्रिमिनल कौन सा व्यक्ति है। तो इस ढंग पर मैं चाहूंगा कि हमारे यहां इंन्वेस्टीगेशन का मेथड होना चाहिये। मैं यह जरूर कहूंगा कि इस दिशा में थोड़ा बहुत प्रयास हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिये उतना नहीं हुआ और इसलिये आशा करता हूं कि इस को बढ़ाया जायगा।

इस शब्दों के साथ मैं एक बात और कहूंगा कि कांस्टेबिल का जो लिविंग स्टैन्डर्ड है और उनकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने की दृष्टि से भी मंत्री जी कुछ विचार करें। उनके ट्रेनिंग क मथड को इम्प्रूव करें और उनकी एमिनिटीज को इम्प्रूव करें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब आप कल ही भाषण करें। एक मिनट रह गया है।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१९ मार्च, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७२ पर)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में १९५५, १९५६ तथा १९५७ (सितम्बर तक) में सब-इंस्पेक्टरों के विरुद्ध कत्ल के मुकदमों का विवरण

वर्ष	जिला	सब-इंस्पेक्टरों की संख्या				टिप्पणी
		जिनपर कत्ल का अभियोग लगाया गया	जिनपर न्यायालय में मुकदमे चले	जिनको मुकदमें में सजा हुई	जो मुकदमें से छूटे	
१९५५	फतेहपुर	२	१	..	१	एक सब-इंस्पेक्टर पर वैभागिक कार्यवाही की गई जिसमें वह दोषी पाये गये और उन्हें उचित दंड दिया गया।
	सहारनपुर	१	१	१	..	
१९५६	आजमगढ़	१	१	..	१	
	इटावा	१	१	१	..	
	मथुरा	२	२	२	..	
१९५७ (सितम्बर तक)	इलाहाबाद	१	१	..	१	
	लखनऊ	१	१	..	..	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
योग		९	८	४	३	१ न्यायालय में विचाराधीन है १ के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही हुई।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७६ पर)

मऊ (आजमगढ़) शहर में दिनांक २२ नवम्बर, १६५७ की रात्रि को एक पूजन नामक व्यक्ति की कुछ व्यक्तियों ने हत्या कर दी इस विषय में प्राप्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित बातें ज्ञात हुई हैं :—

इस दिन पूजन बढ़ई नामक व्यक्ति मऊ शहर में एक शराबखाने से नशे की अवस्था में निकला और लगभग साढ़े आठ बजे रात्रि में उसकी मुठभेड़ कुछ व्यक्तियों से हुई। कहा जाता है कि मऊनाथ भंजन साम्प्रदायिक दंगे में पूजन अभियुक्त था तथा इस मुकदमे में छूटे व्यक्तियों में से था जिन व्यक्तियों से मुठभेड़ हुई वह सब उस मुकदमे में वादी की ओर से गवाह थे और उन्होंने पूजन के विरुद्ध गवाही दी थी। पूजन और उन व्यक्तियों में कुछ कहा-सुनी और गाली-गलौज हुई इसी से बढ़ते-बढ़ते झगड़ा हो गया और दो व्यक्तियों ने पूजन पर वार किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पाकर कोतवाल तत्काल वहां पहुंच गये शीघ्र ही जिलाधीश तथा सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गये तथा शीघ्र ही परिस्थिति पर काबू कर लिया इस घटना में ८ व्यक्तियों का नाम लिया जाता है। ७ व्यक्ति तो पकड़े जा चुके हैं तथा बाकी १ फरार है। आठों व्यक्तियों का चालान किया गया और उनमें से ७ सेशन सिपुर्द हो चुके हैं। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

———

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८२ पर)

सन् १९५७ में आगरा पुलिस और डकैतों में हुये मुकाबलों का विवरण

उक्त वर्ष में आगरा पुलिस और डकैतों में निम्नलिखित ३ मुकाबले हुये :—

(१) एक मुकाबला शमशाबाद पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत क्षेत्र में २२–५–५७ को हुआ जिसमें एक डाकू मारा गया और ७ पकड़ लिये गये । पुलिस का कोई नहीं मारा गया ।

(२) दूसरा मुकाबला मैनपुरी पुलिस की सहायता से ग्राम बलारपुर, पुलिस स्टेशन शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में ३१–५–५७ को हुआ जिसमें १ डाकू मारा गया । पुलिस का कोई नहीं मारा गया ।

(३) तीसरा मुकाबला पुलिस स्टेशन जैतपुर के अन्तर्गत ग्राम टुन्डे सिंह का पुरा के पास ९–७–५७ को हुआ जिसमें २ डाकू मारे गये । पुलिस का कोई नहीं मारा गया ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९१ पर)

जिले के कोतवाली तथा सदर बाजार थानों के इलाकों में १ जनवरी, १९५५ से ३१ जनवरी, १९५८ तक हुई डकैतियों तथा राहजनी, कत्ल, नकबजनी और चोरी के मामलों का विवरण

अपराध	थाना	संख्या	मामलों की संख्या जिनका चालान किया गया	मामले जो अदालत से छूट गए	मामले जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगाई गई
डकैती	कोतवाली	३	३	१	..
	सदर बाजार	७	४	..	..
राहजनी	कोतवाली	७	७	..	..
	सदर बाजार	१९	१२	३	६
कत्ल	कोतवाली	७	६	२	१
	सदर बाजार	९	९	२	..
नकबजनी	कोतवाली	१४९	४२	४	९८
	सदर बाजार	१७१	२८	६	१४१
चोरी	कोतवाली	१०७	५६	१०	४३
	सदर बाजार	१७१	५४	१०	८९

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९४ पर)

उद्देश्य की सूची

आगरा विश्वविद्यालय ने एक हिन्दी संस्थान स्थापित किया है, इस संस्थान का लक्ष्य विभिन्न भारतीय भाषाओं और हिन्दी के पारस्परिक सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुये भाषा विज्ञान के उच्च पठन-पाठन की व्यवस्था करना, तथा भाषा और साहित्य की समान प्रगतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना सारे भारत वर्ष में समान रूप से प्रचलित ग्रन्थों, मुहावरों, वाक्यांशों की खोज करना तथा ऐसी विचार-धाराओं का अनुकरण करना है, जिससे कि आधुनिक भाषा के रूप में हिन्दी को आवश्यक शक्ति तथा समृद्धि प्राप्त हो सके। उक्त संस्थान का स्तर वही होगा जो एक, प्रथम श्रेणी के स्नातकोत्तर संस्था का होता है।

इस संस्थान के निम्नलिखित कार्य हैं :

(१) बी० लिट० और एम० लिट० डिगरियों के लिये शिक्षा प्रदान करना तथा उन व्यक्तियों के लिये जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी है, हिन्दी के अतिरिक्त आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रोफिसेन्शी सर्टिफिकेट प्रदान करना तथा उन लोगों को हिन्दी में प्रोफिसेन्शी सर्टिफिकेट प्रदान करना जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है।

(२) अनुसंधान के लिये व्यवस्था करना।

(३) प्राचीन हिन्दी पाठ्य पुस्तकों, विभिन्न विषयों में हिन्दी में प्रकाशन, अन्य भारतीय भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद और एक सामयिक पत्रिका के प्रकाशन और प्राचीन पाठ्य पुस्तकों के लिखने की व्यवस्था करना।

(४) स्टैन्डर्ड हिन्दी व्याकरण और हिन्दी से अन्य भारतीय भाषाओं एंव भारतीय भाषाओं से हिन्दी में कोष के प्रकाशन तैयार किये जाने की व्यवस्था करना।

(५) हिन्दी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के पुस्तकालय की स्थापना करना।

(६) प्रसार भाषणों (एक्स्टेन्सन लेक्चर) की व्यवस्था करना।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ११२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६४ पर)

वर्ष	सुपरिन्टेडेंट पुलिस	डी० एस० पी०	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	हेड कांस्टेबिल	कांस्टेबिल	योग	अपराधों की संख्या
१६४१	१	१	४	५१	८३	६२४	७६४	१,५३०
१६५७	१	२	५	५२	६६	६४७	८०३	१,८८४

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१५ एल० ए०—१६५८—८३५।